रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251732
CG-DL-E-02022024-251732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
No. 23] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

ग्रिड कनेक्टेड पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2024-एनआरई.—ग्रिड कनेक्टेड पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों को दिनांक 26 जुलाई, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1 - खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/02/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

2. केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 14.5 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

खंड 14.5: विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत में विलंब :

खंड 14.5 (ख) (ii) हटा दिया गया माना जाए।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आर एंड आर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd February, 2024

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement Power from Grid Connected Wind Power Projects

No. 48-19/2/2024-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Power Projects have been notified vide Resolution No.27/02/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 26th July 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 26th July, 2023:-

Clause 14.5 of the existing guidelines is modified as follows: -

Clause 14.5. **Delay incommencement of supply of power:**

Clause 14.5 (b)(ii) shall stand deleted.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112023-250104
CG-DL-E-17112023-250104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945
No. 290] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2023-एनआरई.—ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देश 26 जुलाई 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1, खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/02/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।

2. केंद्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 14.4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है,

खण्ड 14.4. विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआत: डब्ल्यूपीजी को पारेषण कनेक्टिविटी और दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए)/सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) की उपलब्धता के अधीन एससीएसडी से पहले भी परियोजना की पूर्ण और साथ ही आंशिक क्षमता से आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। विद्युत आपूर्ति के समय से पहले प्रारंभ पूर्ण या आंशिक भाग के मामलों में, विकासकर्ता पूर्ण या आंशिक क्षमता के अग्रिम रूप से चालू होने के संबंध में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों को पंद्रह (15) दिन का अग्रिम नोटिस देगा। अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार नोटिस के तामील होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी विद्युत का लाभ उठाने के लिए स्वीकृति देंगे। यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार, दोनों, विद्युत खरीदने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर

अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो विकासकर्ता अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा स्वीकार न की गई सीमा तक विद्युत को विद्युत एक्सचेंजों में या द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से बेच सकता है।

परंतु यह कि यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं, तो अंतिम खरीददार (खरीददारों) को ऐसी विद्युत प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा देय टैरिफ पीपीए टैरिफ के बराबर होगा।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 17th November, 2023

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement Power from Grid Connected Wind Power Projects

No. 48-19/2/2023-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Power Projects have been notified vide Resolution No.27/02/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 26th July 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 26th July, 2023:-

Clause 14.4 of the existing guidelines is substituted with the following,

Clause 14.4. **Early Commencement of Supply of Power:** The WPG shall be permitted for commencement of supply from full as well as part capacity of the Project even prior to the SCSD subject to availability of transmission connectivity and Long-Term Access (LTA)/General Network Access (GNA). In cases of early part or full commencement of supply of power, the developer shall give fifteen (15) days advance notice to both End Procurer(s) and Intermediary Procurer regarding the advance commissioning of full or part capacity. The End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall give acceptance for availing such power within 15 days from the date of service of notice. In case, both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer do not give their acceptance to purchase power within the stipulated period, the developer can sell the power to the extent not accepted by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer in the power exchanges or through bilateral arrangements.

Provided that in case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer give their acceptance to purchase the power, the End Procurer(s) will be accorded priority in availing such power.

Provided further that in such cases tariff payable by the End Procurer(s) and the Intermediary Procurer shall be equal to the PPA tariff.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247661
CG-DL-E-27072023-247661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
No. 181] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

ग्रिड संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश

सं. 27/02/2023-आरसीएम.—1. पृष्ठभूमि

देश में पवन ऊर्जा का परिनियोजन 90 के दशक की शुरुआत में आरंभ हुआतथा केंद्र और राज्य स्तर पर प्रदान किए गए अनुकूल नीति वातावरण के साथ इस खंड ने अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बीच सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। दिनांक 31 मई, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता 43 गीगावॉट से अधिक है, जो कुल संस्थापित क्षमता का 10% से अधिक प्रदान करती है। विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा सस्थापित क्षमता के मामले में भारत चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है।

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन संसाधनों से 500 गीगावॉट विद्युत क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) ने देश में पवन ऊर्जा क्षमता का आकलन किया, जो जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर लगभग 1,164 गीगावॉट होने का अनुमान है।इसकी अधिकतर क्षमता आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में मौजूद है।

विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विद्युत अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया गया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा।राष्ट्रीय

विद्युत नीति, 2005 में लागत कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का प्रावधान है। दिनांक 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी टैरिफ को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

2. दिशानिर्देशों के उद्देश्य

इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

(क) नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि करने और वितरण लाइसेंसधारियों कीनवीकरणीय क्रयदायित्व (आरपीओ) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करना।

(ख) विभिन्न हितधारकों के बीच उपयुक्त जोखिम हिस्सेदारी के साथ खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाके आधार पर एक पारदर्शी, निष्पक्ष, मानकीकृत खरीद फ्रेमवर्क प्रदान करना ताकि उपभोक्ता के हित में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विद्युत की खरीद हो सके, परियोजनाओं की बैंक ग्राह्यता में सुधार हो सके और निवेशकों के लिए उचित प्रतिफल सुनिश्चित हो सके; तथा

(ग) क्षेत्र को जोखिम रहित बनाने के लिए एक और उपाय के रूप में, विद्युत की अंतर-राज्यीय/अंतः-राज्यीय, दीर्घावधिक, बिक्री – खरीद के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना।

3. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

(क) ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत, (क) अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली संबद्ध परियोजनाओं के लिए 10 मेगावाट और उससे अधिक की बोली क्षमता; और (ख) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली संबद्ध परियोजनाओं के लिए 50 मेगावाट और उससे अधिक की बोली क्षमता वाली ग्रिड संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं ("डब्ल्यूपीपी") से, 'खरीददार(रों)' द्वारा बिजली की खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं।

स्पष्टीकरण

(क) **'खरीददार(रों)':** जैसाकि प्रसंग में अपेक्षितहै, 'खरीददार(रों)' शब्द से तात्पर्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी (कों) अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (यों) अथवा मध्यस्थ खरीददार से होगा।

(ख) खरीददार(रों) का 'अधिकृत प्रतिनिधि': ऐसे मामलों में, जहां विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षरकर्ता एजेंसी और निविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी अलग-अलग हैं, तोनिविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी 'खरीददार' की अधिकृत प्रतिनिधि मानी जाएगी और खरीददार की ओर से इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बोली प्रक्रिया चरण के दौरान 'खरीददार' पर लगाई गई सभी बाध्यताओं को पूरा करने की जिम्मेदार होगी।

(ग) **'मध्यस्थ खरीददार':**

(i) कुछ मामलों में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित मध्यस्थ को विभिन्न उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत को एकत्रित करने और उसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/उपभोगकर्ता कंपनियों/खुली पहुंच उपभोक्ताओं को बेचने का कार्य सौंपा जा सकता है। ऐसे मामलों में, इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ वितरण अनुज्ञप्तिधारी/उपभोगकर्ता कंपनियां/ खुली पहुंच वाले उपभोक्ता "अंतिम खरीददार" होंगे और मध्यस्थ 'मध्यस्थ खरीददार' होगा।

(ii) मध्यस्थ खरीददार डब्ल्यूपीजी के साथ एक विद्युत क्रय करार (पीपीए) करेगा और साथ ही, अंतिम खरीददार के साथ विद्युत विक्रय करार (पीएसए) भी करेगा। पीएसएमें साथ-साथ आधार पर पीपीए के सभी संगत प्रावधान भी शामिल होंगे। अंतिम खरीददार द्वारा मध्यस्थ खरीददार को 0.07 रु./किलोवाट घंटा के ट्रेडिंग मार्जिन का भुगतान किया जाएगा।

(iii) जब तक मध्यस्थ खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाएगा, तब तक अंतिम खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया मान लिया जाएगा।

(घ) **'पवन विद्युत उत्पादक (डब्ल्यूपीजी)/उत्पादक' :** उत्पादक इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'पवन विद्युत उत्पादक/उत्पादक' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह पवन विद्युत से उत्पादित विद्युत के उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में होगा।

(ङ) **आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी):** संविदात्मक क्षमता के संबंध में आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी) का तात्पर्य, आरएफएस (चयन हेतु अनुरोध) में दर्शाए गए आपूर्ति की शुरूआत की तिथि,के अनुरूप तिथि से होगा।

इन दिशानिर्देशों के प्रावधान खरीददार, अधिकृत प्रतिनिधि और मध्यस्थ खरीददार पर बाध्यकारी होंगे। इन दिशानिर्देशों से प्रस्तावित किसी भी विचलन की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों के खंड 18 में निर्दिष्ट है।

इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धांतों का मानक बोली दस्तावेजों [जिसमें मॉडल चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, मॉडल विद्युत क्रय करार तथा मॉडल विद्युत विक्रय करार शामिल है] में उपयुक्त रूप से विस्तृत वर्णन किया जा सकता है।

आधिकारिक राजपत्र में इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना पर, दिनांक 8.12.2017 की संख्या 23/54/2017-आर एंड आर के माध्यम से अधिसूचित पूर्ववर्ती दिशानिर्देश और तत्संबंधी संशोधन, इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद जारी की गई बोलियों के लिए लागू नहीं होंगे। तथापि, पूर्ववर्ती बोली दिशानिर्देशों के अंतर्गत पहले से ही अवार्ड की गई/कार्यान्वयनाधीन/आरंभ की गई परियोजनाएं, उन दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी और इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएंगी। यदि ऐसी कोई चालू बोलियां हैं जिनमें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के बाद है, तो ऐसी बोलियों के संबंध में निविदा दस्तावेजों को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

4. बोली आमंत्रित करने तथा परियोजना की तैयारी की प्रक्रिया

खरीददार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगाः-

4.1 बोली दस्तावेजः

(क) इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार करना।

(ख) इन दिशानिर्देशों के खण्ड 18 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इन दिशानिर्देशों और/अथवा मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) सेप्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदि लागू हों) में यदि कोई विचलन हो, तो उसके लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना।

तथापि, यदि खरीददार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और अन्य परियोजना करारों को तैयार करते समय विस्तृत प्रावधान करता है, जो दिशानिर्देशों के अनुकूल हों, तो ऐसे विस्तृत प्रावधान, इन दिशानिर्देशों में नहीं दिए जाने के बावजूद भी इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माने जाएंगे।

4.2 आपूर्ति की शुरूआत से संबंधित व्यवस्थाएं

आरएफएस, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, कनेक्टिविटी आदि के साथ-साथ उत्पादक द्वारा नियमित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त लक्ष्यों को निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे लक्ष्यों/अपेक्षाओं की गैर-अनुपालना के संबंध में शास्ति निर्दिष्ट करेगा। विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि से पूर्व भूमि की व्यवस्था और ग्रिड से कनेक्टिविटी और पहुंच (यदि लागू हो) सहित सभी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना डब्ल्यूपीजी की जिम्मेदारी होगी और ऐसी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने में विलंब के मामले में खरीददार जिम्मेदार नहीं होगा।

5. बोली संरचना

5.1 बोली का आकार: खरीददार बोलियाँ विद्युत क्षमता (मेगावाट) के संदर्भमें आमंत्रित करेगा।न्यूनतम बोली क्षमता दिशानिर्देशों के खंड 3 के अनुसार होगी। खरीददार अधिकतम क्षमता निर्दिष्ट करने का विकल्प भी चुन सकता है जिसे उसके सहयोगियों[1] सहित एकल बोली लगाने वाले को आवंटित किया जा सकता है।

---

[1]किसी कंपनी के संबंध में **सहयोगी** का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी कंपनी को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, या उसके साथ सामान्य नियंत्रण में है। अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' का अर्थ ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या बहुमत निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

5.2 बोली मापदंडः

5.2.1 पवन विद्युत की खरीद के लिए, बोलीदाता द्वारा उद्धृत टैरिफ बोली मापदंड होगा।खरीददार एक बेंचमार्क टैरिफ निर्दिष्ट कर सकता है और उस स्थिति में बोलीदाता को बेंचमार्क टैरिफ से अधिक टैरिफ उद्धृत नहीं करना होगा। उद्धृत टैरिफ पीपीए अवधि के लिए रुपये/किलोवाट घंटे में बेंचमार्क टैरिफ होगा।

5.2.2. क्षमता का आवंटन बकेट फिलिंग आधार पर किया जाएगा, अर्थात उद्धृत दरों(एल 1 दरों) पर सबसे कम दर उद्धृत करने वाले बोलीदाता (एल 1 बोलीदाता) द्वारा उल्लिखित क्षमता पहले आवंटित की जाएगी, उसके बाद, अगले न्यूनतम बोलीदाता (जिसे एल 2 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उल्लिखित दरों (जिसे एल2 दर कहा गया है) पर उल्लिखित क्षमता आवंटित की जा सकती है और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।

तथापि, केवल उन बोलीदाताओं को आवंटन किया जाएगा, जिनकी बोली आरएफएस में यथानिर्धारित एल1 टैरिफ से पूर्व-परिभाषित "श्रेणी"के अंतर्गत आती हो। इस प्रकार, बोलीदाताओं को टैरिफ के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, परियोजना क्षमताओं को केवल उन बोलीदाताओं को अवार्ड किया जाएगा, जिनकी अंतिम मूल्य बोली, रुपये प्रति किलोवाट घंटे के अनुसार, "L1+x%" की श्रेणी में हो; जबकि "x" का मान सामान्यत: दो (2) से पांच (5) के बीच हो और इसे आरएफएस में तय किया जाएगा।"

5.2.3 खरीदार बोलीदाताओं के अंतिम चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है, ऐसे मामले में, बोलियां आमंत्रित करने वाले नोटिस और बोली दस्तावेज़ में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। खरीददार आरएफएस में डब्ल्यूपीजी को उपलब्ध मौजूदा प्रोत्साहनों का प्रकटन कर सकता है।

5.2.4 किसी एक बोलीदाता को आरएफएस में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसारकुल क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत आवंटित किया जा सकता है।

6. विद्युत क्रय करार

सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाला प्रस्तावित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए (यदि लागू हो),आरएफएस के साथ-साथ, जारी किया जाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य के साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे, जिसमें जब तक यहां अन्यथाउल्लिखित न किया जाए, इन्हें पीएसए में *साथ-साथ* आधार पर शामिल किया जाएगा।

6.1 पीपीए अवधिःपीपीए की अवधि सामान्यतः एससीएसडी की तिथि से 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए अथवा खरीदादर द्वारा डब्ल्यूपीजी के नियंत्रण से बाहर के आधार पर दिए गए विस्तार की सीमा तक आपूर्ति की शुरूआत की पुनर्निर्धारित तिथि से होगी। तथापि, पीपीए की अवधि को 25 वर्षकी दीर्घ अवधि के लिए भी तय किया जा सकता है। आरएफएस दस्तावेज में पीपीए की अवधि का उल्लेख पहले से किया जाना चाहिए। विकासकर्ताओं को पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट होगी। विकासकर्ता पीपीए अवधि के दौरान अपने जोखिम और लागत पर अपने संयंत्रों का उन्नयन तथापुनः शक्तिकरण कर सकता है; और बाद की बोलियों में उनकी अबद्ध क्षमता की सीमा तक भाग ले सकता है। जिन विकासकर्ताओं ने पहले ही पवन विद्युत संयंत्र आरंभ कर दिए हैं अथवा ऐसे संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया में हैं और जिनके पास अबद्ध क्षमता है, वे भी बोली में भाग लेंगे।ऐसे मामले में, उन्हें विद्युत की आपूर्ति शुरू होने की वास्तविक तारीख और एससीएसडी के बीच की अवधि के अनुरूप पीपीए की दीर्घावधि का लाभ दिया जा सकता है।

6.2 विद्युत की मात्राः खरीदी जाने वाली विद्युत, विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में होगी।

6.2.1 विद्युत संदर्भ (मेगावाट) में खरीदः

क. विद्युत (मेगावाट) संदर्भ में खरीद के मामले में, क्षमता उपयोगिता घटक (सीयूएफ) की रेंज को बोली दस्तावेज में इंगित किया जाएगा। सीयूएफ की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी। यदि परियोजना न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा से कम ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति करती

है, तो डब्ल्यूपीजी का खरीददार को उपलब्धता में ऐसे संविदा किए गए सीयूएफ स्तर से कमी के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के दंड की राशि की गणना, पीपीए की शर्तों के अनुसार, ऊर्जा के संदर्भ में कमी के लिए पीपीए टैरिफ के 50% (पचास प्रतिशत) की दर पर होगी।

ख. यदि किसी मामले में ऊर्जा की उपलब्धता निर्दिष्ट अधिकतम सीयूएफ से अधिक है तो डब्ल्यूपीजी इसको किसी अन्य कंपनी को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि इसको मना करने का प्रथम अधिकार खरीददार (खरीददारों) का होगा। खरीददार अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अस्वीकृति प्रदान करेगा, जिसके बाद, इसे अस्वीकार माना जाएगा। यदि किसी मामले में, खरीददार विद्युत उत्पादन की अधिक मात्रा को खरीदलेता है, तो वह उसको पीपीए टैरिफ के अनुसार खरीदेगा, और आर एफएस दस्तावेज में इस आशय का प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

ग. डब्ल्यूपीजी, खरीददार(रों) (अधिकतम सीयूएफ के भीतर) को डे अहैड आधार पर प्रस्तावित की गई, परंतु खरीददार(रों) द्वारा अगले दिन के लिए शिड्यूल नहीं की गई विद्युत, की बिक्री, खरीददार(रों) से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बिना किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को कर सकेगा।

6.2.2. गैर-निष्पादन के लिए शास्ति आरएफएस में निर्दिष्ट अनुसार होगी।विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसी) (अंतःक्षेपण, हस्तक्षेप और खरीददार एसएलडीसी/आरएलडीसी सहित) पर शेड्युलिंग और उसकी पंचिंग की जिम्मेवारी केवल डब्ल्यूपीजी की होगी।

6.2.3. विचलन समाधान तंत्र (डीएसएम):निर्धारित समय से विचलन के लिए, मौजूदा विनियमों के अनुसार, डीएसएम (विचलन समाधान तंत्र) लागू होगा। उत्पादक पर डीएसएम प्रभारों का भुगतानडब्ल्यूपीजी द्वारा किया जाएगा।

6.3 भुगतान सुरक्षा

विद्युत (विलंब भुगतान अध िभार एवं संबंधित मामले) नियमावली, 2022 और समय-समय पर जारी इसके संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों सहित, पर्याप्त भुगतान सुरक्षा का प्रावधान, यदि कोई हो, किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ खरीददार भुगतान सुरक्षा निधि का रखरखाव करेगा। निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु,विकासकर्ता को प्रति यूनिट 2 पैसे की दर से पीएसएम प्रभारों का भुगतान करने का वचन देना होगा।

6.4 **अप्रत्याशित घटनाः** पीपीए में, अप्रत्याशित घटनाकी परिभाषाओं, अपवादों, प्रयोज्यता और उद्योग मानकों के अनुसार अप्रत्याशित घटना के कारण, उपलब्ध राहत से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे। डब्ल्यूपीजी खरीददार को अप्रत्याशित घटना शुरु होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना घटित होने के बारे में सूचित करेगा और खरीददार सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके दावे का उत्तर देगा।

6.5 **ऑफ-टेक बाधाओं के लिए उत्पादन मुआवजाः** यदि खरीदार डब्ल्यूपीजी द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत का ऑफ-टेक नहीं करता है, तो शास्तिसमय-समय पर यथासंशोधित, विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत के उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 के अनुसरण में, होगी।

6.5.1 **ग्रिड अनुपलब्धता के कारण ऑफ-टेक बाधाओं के लिए उत्पादन मुआवजाः** संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधियां हो सकती हैं जब संयंत्र विद्युत का उत्पादन तो कर सकता है, परंतु अस्थायी पारेषण अनुपलब्धता के कारण विद्युत की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके लिए डब्ल्यूपीजी जिम्मेवार नहीं होता। ऐसे मामलों में, खरीददार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन मुआवजे पर ध्यान दिया जाएगाः

ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि	**उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान**
किसी संविदा वर्ष में 50 घण्टों से अधिक के रूप में संविदा वर्ष में ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा = ***((टैरिफ X प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिड्यूल नहीं)) x 1000 x ग्रिड अनुपलब्धता के घण्टों की संख्या***

	तथापि, तृतीय पक्ष बिक्री अथवा पावर एक्सचेंज में बिक्री के मामले में, कीमत लेने वाले के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों की कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।

6.5.2 **ऑफ-टेक में कमी के मामले में भुगतानः**यदि संयंत्र विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध है परंतु खरीददार द्वारा विद्युत मंत्रालय की दिनांक 3 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022" और इससे संबंधित किसी स्पष्टीकरण या संशोधन, की अनुपालना न होने के कारण विद्युत डिस्पैच न होने सहित विद्युत ऑफ-टेक नहीं किया जाता है, तो आरई विद्युत के लिए 'मस्ट रन' स्थिति संबंधी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक खरीददार से भुगतान के लिए, निम्नलिखित तरीके से घटे हुए ऑफ-टेक के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:

ऑफ-टेक में कमी की अवधि	**उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान**
एक वर्ष में50घण्टों से अधिक की ऑफ-टेक में कमी, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा = ***((टैरिफ X प्रस्तावितआरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिड्यूल नहीं)) x 1000 x घटे हुए ऑफटेक के घंटों की संख्या*** *तथापि, तीसरे पक्ष की बिक्री अथवा पावर एक्सचेंज में बिक्री के मामले में, मूल्यग्राही रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों में कटौती के बाद, मासिक आधार पर, देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।*

6.5.3 मुआवजे का दावा करने के लिए, उत्पादक को एक प्राइस टेकर के रुप में, पावर एक्सचेंज में अपनी विद्युत बेचनी होगी। इस प्रकार, मुआवजा, घोषित क्षमता तक, वास्तविक उत्पादन के अन्तर तक सीमित होगा, जो अधिकतम संविदा की गई क्षमता और खरीददार द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा।

6.6 चूक की स्थिति (इवेंट ऑफ डिफॉल्ट)

(क) एससीएसडी से विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत में छह माह से अधिक विलंब के लिए, उत्पादक को चूक की घटना हुई माना जाएगा और परिणाम खंड 14.5 के अनुसार होंगे।

(ख) यदि उत्पादक पीपीए में घोषित न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने में विफल रहता है, तो उत्पादक की चूक होगी और पीपीए को समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।इसके अतिरिक्त, उत्पादक निर्धारित न्यूनतम सीयूएफ के साथ अपनी संविदा की गई क्षमता के लिए टैरिफ के, 24 (चौबीस) माह अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य हर्जाना, खरीददार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) यदि उत्पादक पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों का निर्वहन करता है अथवा प्रतिस्थापन करता है अथवा पीपीए का परित्याग करता है, अथवा पीपीए में यथा निर्धारित किसी प्रकार के अन्य कृत्य अथवा चूक करता है तथा पीपीए में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपचार अवधि के भीतर उपरोक्त किसी भी प्रकार का हल निकालने में असफल होता है, तो उत्पादक, खरीददार को, उसकी निर्धारित सीयूएफ के साथ संविदा की गई क्षमता के लिए टैरिफ के, 24 (चौबीस) माह, अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य हर्जाने, का भुगतान करेगा। खरीददार को अधिकार होगा कि वह किसी भी अन्य कानूनी प्रक्रिया या उपचार के उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गारंटी, यदि कोई हो, जब्त करके उक्त हर्जाने की वसूली करे।

(घ) उपरोक्त अनुसार हर्जाने की वसूली के साथ-साथ, उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में, ऋणदाता, पीपीए में उपबंधित प्रतिस्थापन उपबंधों तथा खरीददारों की सहमति के अनुसार, प्रतिस्थापन के अपने अधिकार का

प्रयोग करने का पात्र होगा।तथापि, यदिऋणदाता निर्धारित अवधि के भीतर, चूककर्ता उत्पादक के प्रतिस्थापन में असफल होते हैं, तो खरीददार पीपीए को समाप्त कर सकता है।

(ङ) यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार, अन्य बातों के साथ-साथ, आरएफएस अथवा पीपीए के समापन के अनुसरण में, देय राशियों के समय पर भुगतान में विफलता सहित अन्य कारणों से चूककर्ता है, तो उत्पादक अपने विवेकानुसार पीपीए को समाप्त कर सकता है। चूककर्ता खरीददार उत्पादक को, निर्धारित सीयूएफ के साथ उसकी संविदा की गई क्षमता के लिएप्रभारों के 24 (चौबीस) माह, अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य, हर्जाने का भुगतान करेगा।

6.7 विधि में परिवर्तनः विधि में परिवर्तन संबंधी प्रावधान विद्युत मंत्रालय की दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021 के अनुसार होंगे जिसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरण भी शामिल होंगे।

7. बोली प्रक्रिया

7.1 खरीददार/मध्यस्थ खरीददार एकल चरण,दो भाग (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) को अपनाते हुए बोलियां आमंत्रित करेगा, बोली प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई-बोली) के माध्यम से संचालित की जाएगी। तकनीकी बोली पहले खोली जाएगी। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्ह पाए जाएंगे।खरीदार बोलीदाताओं के अंतिम चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है, ऐसे मामले में, बोलियां आमंत्रित करने वाले नोटिस और बोली दस्तावेज़ में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। सफल ट्रैक रिकॉर्ड तथा पर्याप्त सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषताओं वाले ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

7.2 खरीददार बोलीदाताओं को, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, पवन विद्युत परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) की संस्थापना के लिए आरएफएस में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेगा।

7.3 विकासकर्ता, जिन्होंने पहले ही क्षमता संस्थापित कर ली है अथवा जिनके पास अतिरिक्त अबद्ध क्षमता है, वे भी इस बोली में भाग ले सकते हैं।

7.4 खरीददार द्वारा, आरएफएस, मसौदा पीपीए तथा मसौदा पीएसए (यदि लागू हो) सहित बोली दस्तावेज को, इन दिशानिर्देशों तथा एसबीडी, यदि कोई हो, तो उनके अनुरूप तैयार किया जाएगा।

7.5 खरीददार इसके व्यापक प्रचार के लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अथवा अपनी वेबसाइट में आरएफएस नोटिस प्रकाशित करेगा।

7.6 खरीददार प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस का अवसर प्रदान करेगा तथा किसी भी बोलीदाता के लिए बोली दस्तावेजों की लिखित व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिसे सभी अन्य बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सम्बद्ध पार्टियां पूरी तरह लिखित पत्राचार पर ही भरोसा करेंगी। बोली दस्तावेजों से संबंधित किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन को पर्याप्त जानकारी हेतु खरीददार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों के संबंध में किसी भी तरह के संशोधन या आशोधन जारी किए जाने पर बोलीदाताओं को, बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए, तब से कम से कम 7 (सात) दिनों का समय दिया जाएगा।

8. चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज

आरएफएस दस्तावेज में खरीददार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे और उनमें उपयुक्त रूप से विस्तार किया जा सकता है:

8.1 बोली प्रभावनीयताः बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह प्रभावनीय हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो।

क. बोलीदाता या उसका कोई भी सहयोगी किसी भी ऋणदाता का जान-बूझकर चूककर्ता न रहा हो।

ख. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अनुसार, किसी भी कंसोर्टियम सदस्य और उसके किसी भी सहयोगी सहित किसी भी बोलीदाता तथा उसके किसी भी सहयोगी, उनके निदेशकों को, भारत में किसी भी सरकारी एजेंसी अथवा प्राधिकरणों द्वारा, बोलीदाता अथवा सदस्यों के अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा,

जहां लागू हों अथवा उनके व्यवसाय के मूल स्थान के अधिकार क्षेत्र में, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि विश्व बैंक समूह, एशियन डेवलेपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलेपमेंट बैंक, इंटर-अमेरीकन डेवलेपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंकआदि या संयुक्त राष्ट्र या इसका कोई भी एजेंसियों को वर्जित अथवा ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

8.2 बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली योग्यता अपेक्षाएं

8.2.1 तकनीकी मानदंड:सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, खरीददार तकनीकी मानदंड का उल्लेख कर सकता है। ऐसे परियोजना विकासकर्ताओं, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय किए जाने चाहिएं ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।तकनीकी मानदंडों को पूरा करने के लिए कट-ऑफ तिथि सामान्यतः उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के रूप में रखी जानी चाहिए जो उस वित्तीय वर्ष, जिसमें बोली लगाई जा रही हो, से पिछला वित्तीय वर्ष हो।

8.2.2 वित्तीय मानदंड

(क) निवल मूल्य

i). खरीददार आवश्यक योग्यता के भाग के रूप में निवल मूल्य के रूप में वित्तीय मानदंड का उल्लेख करेगा। निवल मूल्य की आवश्यकता उस वर्ष, जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, के लिए डब्ल्यूपीपी हेतुअनुमानित पूंजीगत लागत का कम से कम 20% अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड होनी चाहिए।

ii). उपरोक्त प्रयोजन के लिए विचार किए जाने वाला निवल मूल्य बोलीदाता कंपनी या संघ (कंसोर्टियम) का संचयी निवल मूल्य होगा, जिसमें बोलीदाता (ओं) की ऐसी सहायक कंपनियों का निवल मूल्य शामिल होगा जो आरएफएस दस्तावेज के अनुसार, बोलीदाता (ओं) के ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में अपेक्षित इक्विटी वित्तपोषण और कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियां देने का वचन देंगी।

iii). स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के लिए विचार किए जाने वाला निवल मूल्य कंपनी अधिनियम के अनुसार गणना किया गया कुल निवल मूल्य होगा।

(ख) परिसमापनः आवश्यक है कि बोलीदाता के पास परियोजना के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह/आंतरिक प्राप्तियां हैं। तदनुसार, खरीददार वार्षिक टर्नओवर, आंतरिक संसाधन जुटाने, बोली लगाने की क्षमता इत्यादि जैसे उपयुक्त मापदंडों का भी उल्लेख कर सकता है।

8.3 बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्राः खरीददार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी/भुगतान वचन पत्र के रूप में बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जो डब्ल्यूपीपी की अनुमानित पूंजी लागत के दो प्रतिशत अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट किसी अन्य मापदंड से कम नहीं होगी। डब्ल्यूपीजी की निर्धारित समय अवधि के भीतर पीपीए का निष्पादन करने में विफलता के कारण, इन दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित, ईएमडी की जब्ती या डिबारिंग (निषेध) आदि की जाएगी।

8.4 विदेशी बोलीदाताओं द्वारा एफडीआई कानूनों का अनुपालनः यदि किसी विदेशी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो वह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन करेगी।

9. बोली प्रस्तुत तथा मूल्यांकन करना:

9.1 बोलीदाताओं द्वारा संघ बनाने की अनुमति होगी, जिसमें यह संघ एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रक्रिया के दौरान समस्त पत्राचार के लिए संपर्क सूत्र होगा। खरीददार संघ के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड, तथा लॉक इन आवश्यकताओं का उल्लेख करेगा।

9.2 खरीददार बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए, कम से कम तीन सदस्यों की समिति (मूल्यांकन समिति) गठित करेगा, जिसमें कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञ होगा।

9.3 बोलीदाताओं को तकनीकी और कीमत बोली अलग-अलग जमा करानी होगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ ईएमडी के रूप में आवश्यक बोली-गारंटी जमा करानी होगी।

9.4 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियां आरएफएस दस्तावेज में सभी मूल्यांकन मापदंडों के संबंध में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। आरएफएस में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली बोलियों पर ही, मूल्य बोली पर आगे मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

9.5 प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी। बोली के तीन प्रयासों के बावजूद, यदि पात्र पाए गए बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और खरीददार फिर भी बोली प्रक्रिया जारी रखना चाहता है, तो उपयुक्त आयोग की सहमति से ऐसा किया जा सकता है।

9.6 यदि मूल्य बोली मेंबोली संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो इसे निरस्त किया जाएगा। इस स्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः किसी स्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

9.7 आरएफएस में बोली के मूल्यांकन और बोलीदाता के चयन की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जाएगी।

10. बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय सारणी

10.1 बोली प्रक्रिया में, आरएफएस दस्तावेजों को जारी करने और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच 22 (बाइस) दिनों की न्यूनतम अवधि की अनुमति दी जाएगी। बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारिणी नीचे दी गई है:-

बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

क्र.सं.	कार्य वृतांत	शून्य तिथि से समय
1	दस्तावेज चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, परियोजना विशिष्ट मसौदा विद्युत क्रय करारों व अन्य मसौदा परियोजना करार और विद्युत विक्रय करार (पीएसए), यदि लागू हो, जारी करने की तारीख	शून्य तारीख
2	बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, स्थल, यदि खरीददार द्वारा उल्लेख किया गया हो, सहित सभी परियोजना विशिष्ट विवरण साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटा** कक्ष खोलना, और आरएफएस में संशोधन करना।	**
3	आरएफएस बोली प्रस्तुत करना	22 दिन
4	तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन	64 दिन
5	वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन और ई-रिवर्स नीलामी करना	99 दिन
6	अवार्ड पत्र [लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए)] जारी करना	110 दिन
7	पीपीए और पीएसए पर हस्ताक्षर (यदि लागू हो)	140 दिन

**आरएफएस दस्तावेज में किसी बदलाव के मामले में, खरीददार इन दिशानिर्देशों के खंड 7.6 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय देगा।

<u>नोटः</u> यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि खरीददार उस कार्य से पहले पूरी की जाने हेतु अपेक्षित गतिविधियों की प्राप्ति में विलंब के कारण से बोली प्रक्रिया में किसी भी कार्य के लिए अधिक समय लगा देता है, इस तरह के समय विस्तार को किसी भी तरह से इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माना जाएगा।

10.2 सामान्य परिस्थितियों में, बोली प्रक्रिया 110 (एक सौ दस) दिनों की अवधि में पूरी होने की संभावना है।

11. संविदा अवार्ड करना और समाप्त करना

11.1 पीपीए पर सफल बोलीदाता/परियोजना कंपनी या सफल बोलीदाता द्वारा स्थापित एसपीवी के हस्ताक्षर होंगे।

11.2 आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए खरीददार एक समिति का गठन करेगा। बोली प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति, गंभीरतापूर्वक गुणदोष की दृष्टि से बोलियों का मूल्यांकन करेगी और उपयुक्त रूप से यह प्रमाणित करेगी कि बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन आरएफएस के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं। मूल्यांकन प्राधिकारी को स्वयं यह संतुष्टि होनी चाहिए कि

चयनित प्रस्ताव युक्तिसंगत तथा आवश्यकता के अनुरूप है। यदि अंकित दरें मौजूदा बाजार की कीमतों के अनुसार नहीं हैं, तो मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य की बोलियां रद्द करने का अधिकार होगा।

11.3 पारदर्शिता के प्रयोजन से, खरीददार, सार्वजनिक रूप से सफल बोलीदाता (ओं) के नामों और घटकों के ब्यौरे, यदि कोई हों, के साथ उनके द्वारा अंकित टैरिफ का प्रकटन करेगा। यह सार्वजनिक प्रकटन अपेक्षित ब्यौरे कम-से-कम 30 दिनों के लिए खरीददार की वेबसाइट पर डालकर किया जाएगा।

11.4 अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी,इन दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में, टैरिफ प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर, अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, समुचित आयोग द्वारा प्राप्त टैरिफ लागू करने के लिए समुचित आयोग से संपर्क करेगा।

11.5 यदि वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीददार जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, टैरिफ लागू करने के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क करता है, तो इस प्रकार के अनुरोध के साठ दिनों के भीतर या विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर जो भी अधिक हो, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इसे अपनाने/अनुमोदित करने में देरी [(60 (साठ) से अधिक दिनों के विलंब अथवा विद्युत विक्रय करार (पीएसए) से 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक के विलम्ब, जो भी अधिक हो]के अनुसार, उत्पादकों को चालू करने के एससीएसडी में समुचित आयोग द्वारा अपनाए। अनुमोदन किए जाने की तिथि तक उचित विस्तार प्रदान करेगा।

12. बैंक गारंटी/आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र

खरीददार को, डब्ल्यूपीजी को आरएफएस की शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बैंक गारंटी/वचन पत्र देना होगा।

12.1 **खंड 8.3 के अनुसार बयाना जमा राशि (ईएमडी),**आरएफएस की प्रतिक्रिया सहित निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

क) बैंक गारंटी (गारंटियां);

या

ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)/आरईसी लि. (आरईसी) से, आरएफएस के अनुसार, निविदा संबंधी शर्तों मेंडब्ल्यूपीजी के चूक की स्थिति मेंभुगतान करने के लिए "आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र।

"आदेश पर भुगतान पत्र" *का तात्पर्य भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं] से निविदा शर्तों/विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक से हुई चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए, वचन पत्र से है। इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाव किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के "आदेश पर भुगतान पत्र" में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी के समान नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का वचन दिया जाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को विधिवत् प्रतिभूति प्रदान करके उत्पादक ऐसे पत्र (पत्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और आरईसी को छोड़कर किसी भी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बैंक से उपरोक्त या कोई अन्य "वचन पत्र"दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।*

12.2 **निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)**उस वित्तीय वर्ष, जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, के लिए पवन ऊर्जा परियोजना हेतु अनुमानित पूंजी लागत का 5% (पांच प्रतिशत) या समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा, जो भी हो कम हो, के अनुसार होगी। पीबीजी, पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना है:

(क) बैंक गारंटी (गारंटियां);

या

(ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से, निविदा संबंधी शर्तों के संदर्भ में डब्ल्यूपीजी की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र";

12.3 अन्य सुधारों के साथ-साथ, यह पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदत्त कोई विकल्प) पीपीए के संदर्भ में उत्पादक की किन्हीं क्षतियों/देय राशियों की वसूली के लिए भुनाई जा सकती है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पीपीए के अंतर्गत उत्पादक की चूक होने पर पीबीजी को भुनाकर मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्राप्त की गई क्षतियों/देय राशियों को इन दिशानिर्देशों के खंड 7.3 के अंतर्गत मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्रबंध किए जाने वाले भुगतान सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा। पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध विकल्प) परियोजना के एससीएसडी के 45 दिनों के अंदर उत्पादक को वापस कर दिए जाएंगे। परियोजना की आंशिक क्षमता से विद्युत की आपूर्ति के चालू करने के मामले में, ऐसी आंशिक क्षमता के अनुसार पीबीजी 45 दिनों के अंदर वापस की जाएगी।

12.4 खरीददार "निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)" के रूप में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों को अवमुक्त कर सकता है, यदि उत्पादक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए इसके स्थान पर आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र देने में सक्षम हो। उत्पादक कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पहले से रखी उनकी बैंक गारंटियों को बदलवाने के लिए उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को समुचित प्रतिभूति प्रदान करके ऐसे पत्र की मांग कर सकता है।

13. प्रमोटर द्वारा शेयरधारिता

13.1 सफल बोलीदाता, यदि वह एकल कंपनी है तो, यह सुनिश्चित करेगा कि एसपीवी/पीपीए निष्पादित करने वाली परियोजना कंपनी में उसकी हिस्सेदारी, खरीददार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष से पूर्व किसी भी समय, 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीदाता एक संघ है, तो खरीददार की पूर्व सहमति के अलावा एसपीवी/पीपीए का निष्पादन करने वाली कंपनी में समूह के सदस्यों की संयुक्त हिस्सेदारी एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष पूर्व किसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। तथापि, यदि सफल बोलीदाता स्वयं पीपीए निष्पादित करेगा, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रमोटर खरीददार की पूर्व अनुमति के अलावा एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष तक बोली लगाने वाली कंपनी/समूह का नियंत्रण[2] नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मामले में यह भी आवश्यक होगा कि सफल बोलीदाता खरीददार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपने प्रमोटरों तथा उनकी शेयरधारिता के बारे में जानकारी प्रदान करे।

13.2 एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष की समाप्ति के बाद शेयरधारिता में किसी प्रकार के बदलाव को खरीददार को सूचना देकर किया जा सकता है।

13.3 यदि डब्ल्यूपीजी ऋणदाता (ओं) के समक्ष चूक करे, तो ऋणदाता खरीददारों की सहमति से "प्रमोटर का प्रतिस्थापन" करने के हकदार होंगे।

14. विद्युत की आपूर्ति का आरंभ

14.1 पवन परियोजना और खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के बीच विद्युत क्रय करार स्पष्ट रूप से एससीएसडी और आपूर्ति की मात्रा को दर्शाएगा।

14.2. आपूर्ति समय की शुरुआतः

(क) परियोजनाएं आम तौर पर विद्युत की आपूर्ति निम्नलिखित अवधि के भीतर आरंभ करेंगीः

i. जहां परियोजना का आकार 1,000 मेगावाट से अधिक या उसके बराबर न हो,विद्युत क्रय करार के निष्पादन की तिथि से 24 (चौबीस) माह;

ii. 1000 मेगावाट से अधिक परियोजना आकार के लिए विद्युत क्रय करार के निष्पादन की तिथि से 30 (तीस) माह;

---

[2] *[अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' का तात्पर्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का स्वामित्व या अधिकतर निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।]*

(ख) तथापि, यदि किसी कारणवश, एससीएसडी अवधि को इन दिशानिर्देशों में की गई व्यवस्था से कम अथवा उच्चतर रखने की आवश्यकता है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है।

(ग) यह मान लिया गया है कि इन दिशानिर्देशों के खंड 11.5 के संदर्भ में, उपयुक्त आयोग द्वारा ऐसी प्रस्तुति के 60 दिनों या विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 दिनों, जो भी अधिक हो, के भीतर टैरिफ को अपनाया जाएगा। तथापि, इन दिशानिर्देशों में निहित किसी बात के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने में कोई देरी, जो प्रस्तुति के 60 दिन से ज्यादा या पीएसए के 120 दिन से ज्यादा, जो भी अधिक हो, के कारण एससीएसडी में तदनुसार विस्तार किया जाएगा।

14.3 विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआतः क्रेता द्वारा परियोजना से विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआत इस शर्त के अधीन स्वीकार की जाएगी कि पहले भाग की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता परियोजना क्षमता का 50% या 50 मेगावाट, जो भी कम हो, उस हिस्से पर जिसने अभी तक विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है, पीपीए के संदर्भ में, जुर्माना लगाने के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना होगी। तथापि, अंतरराज्यीय परियोजना के मामले में, विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की स्वीकृति के लिए पहला हिस्सा कम से कम 50 मेगावाट का होगा। ये परियोजनाएं आगे चलकर, शेष क्षमता के रूप में अंतिम भाग के साथ, कम से कम 10 मेगावाट क्षमता के हिस्सों में विद्युत आपूर्ति शुरू कर सकती हैं।तथापि, विद्युत की आपूर्ति आंशिक रूप से शुरू होने के कारण एससीएसडी में परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत की आंशिक या पूर्ण आपूर्ति की तारीखों पर ध्यान दिए बिना, पीपीए, बोली में निर्दिष्ट अवधि के लिए, लागू रहेगा।

14.4 विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआतः डब्ल्यूपीजी को पारेषण कनेक्टिविटी और दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए) की उपलब्धता के अध्यधीन एससीएसडी से पहले भी परियोजना की पूर्ण और आंशिक क्षमता से आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।विद्युत आपूर्ति के पूर्व में आंशिक या पूर्ण रूप से शुरुआत के मामलों में, खरीददार(रों) द्वारा विद्युत, पीपीए टैरिफ पर खरीदी जाएगी।

14.5. विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंबः

एससीएसडी के बाद, विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंब की स्थिति में डब्ल्यूपीजी पर शास्तियां लगाई जाएंगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

(क) विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में एससीएसडी से 6 (छह) माह तक की देरी के लिए, प्रतिदिन आधार पर और उस संविदा की गई क्षमता, जिसमें विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई, के अनुपात में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), या वैकल्पिक साधनों का नकदीकरण।

(ख) विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में एससीएसडी से छह माह से अधिक के विलंब के लिए, निम्नलिखित लागू होगाः

(i) संविदा की गई क्षमता उस परियोजना क्षमता तक घटाई जाएगी जिसने एससीएसडी +6 (छह) माह की अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति शुरू कर दी है।शेष संविदा की गई क्षमता, जिसने विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है, के लिए पीपीए समाप्त हो जाएगा।

(ii) डब्ल्यूपीजी को किसी भी खरीददार अथवा किसी मध्यस्थ खरीददार द्वारा जारी बोलियों में भाग लेने से निम्नलिखित अवधि के लिए वंचित किया जाएगा:

क. प्रथम चूक के मामले में एक वर्ष के लिए

ख. द्वितीय तथा तदंतर चूक के लिए 2 वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम के लिए

15. पारेषण कनेक्टिविटी

15.1 जीएनए विनियम के अधीन आईएसटीएस से पारेषण कनेक्टिविटी प्राप्त करने की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी और यह उत्पादक की लागत पर होगी।

15.2 मीटरिंग बिंदु, वे बिंदु होते हैं जिन पर खरीददार को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा को मापा जाएगा, वे सीटीयू/एसटीयू सब-स्टेशन के कम वोल्टेज वाले पक्ष होंगे। आरई पार्कों के मामले में, मीटरिंग संबंधी बिंदु आईएसटीएस पूलिंग स्टेशन हैं, जिसके साथ सभी पूलिंग सब-स्टेशनों से आंतरिक पारेषण को जोड़ा जाता है। व्हीलिंग प्रभारों और परियोजना तथा मीटरिंग बिंदु के बीच की क्षतियों सहित सभी खर्च का भुगतान

खरीददार से किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के बगैर उत्पादकों द्वारा किया जाएगा। मीटरिंग बिंदु से आगे पारेषण और वितरण के संबंध में व्हीलिंग प्रभारों और क्षतियों सहित सभी खर्च का वहन आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियम के अनुसार खरीददार द्वारा किया जाएगा।

16. राज्य नोडल एजेंसियों की भूमिका

संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य नोडल एजेंसी समयबद्ध तरीके से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी की सुविधा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति शुरू हो सके।इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सुविधा शामिल हो सकती है:

i. परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय

ii. परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति शुरू करने के दौरान सहायता

iii. रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए साइट सर्वेक्षण करना और उन्नयन प्रमाण पत्र जारी करना।

17. निष्पादन की निगरानी

सभी पवन ऊर्जा परियोजनाएं प्रत्येक पवन टरबाइन से पवन संसाधन आंकड़ोंतथा अन्य मौसम मापदंडों और विद्युत मापदंडों को लगातार मापने के लिए आवश्यक उपकरण संस्थापित करेंगी।पवन टरबाइन के पूरे जीवन काल के प्रदर्शन की निगरानी के लिए उन्हें यह आंकड़ेएक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान को प्रस्तुत करने होंगे।

18. दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन

यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के लिए इन दिशानिर्देशों से/या एसबीडी से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रक्रिया की शुरुआत होने से पूर्व ही उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन होगा। उपयुक्त सरकार, ऐसी याचिका दायर करने के 60(साठ) दिनों के यथोचित समय के भीतर बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा या उनमें संशोधन की जरूरत बताएगा।

19. विवाद समाधान

ऐसी स्थिति में, जब सीईआरसी उपयुक्त आयोग है, तो टैरिफ में बदलाव का दावा करने या कोई टैरिफ निर्धारित करने या किसी टैरिफ संबंधी मामले या ऐसे मामले, जिनसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से टैरिफ में बदलाव हो सकते हैं, के संबंध में विवाद होने पर, सीईआरसी द्वारा फैसला किया जाएगा। अन्य सभी विवादों का समाधान सरकार द्वारा स्थापित विवाद निवारण समिति द्वारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर भारतीय मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। यदि एसईआरसी/जेईआरसी उपयुक्त आयोग हो, तो सभी विवादों पर एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा निर्णय किया जाएगा अथवा एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

20. दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण और संशोधन

यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को लागू करने में या दिशानिर्देशों की व्याख्या में या दिशानिर्देशों के संशोधन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से, विद्युत मंत्रालय ऐसा करने के लिए अधिकारप्राप्त है।

21. आईएसटीएस प्रभार और हानियां

विद्युत के पारेषण के संबंध में आईएसटीएस शुल्क और हानियां, जिसमें पवन विद्युत के लिए छूट सम्मिलित है, मौजूदा वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार होंगी।

हेमन्त कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Dehi, the 26th July, 2023

Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement Power from Grid Connected Wind Power Projects

No. 27/02/2023-RCM.—1. BACKGROUND

The wind power deployment in the country started in early 90s and with the conducive policy environment provided at Central and State level this segment has achieved highest growth amongst the other renewable energy technologies. The wind power installed capacity in the country is over 43GW as on 31stMay, 2023, providing more than 10% of total installed capacity. Globally India is at 4thposition in terms of wind power installed capacity after China, USA and Germany.

The Government of India has set an ambitious target of achieving 500 GW power capacity from non-fossil fuel resources by 2030.

The National Institute of Wind Energy (NIWE) assessed the wind power potential in the country, which is estimated to be around 1,164GW at 150 meter above ground level. Most of this potential exists in eight States namely Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu and Telangana.

One of the key objectives of the Electricity Act, 2003 is promotion of competition in the electricity sector. Section 63 of the Electricity Act provides for adoption of the tariff by the Appropriate Commission if the same has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government.The National Electricity Policy, 2005 provides for competition in the renewable energy sector to reduce the cost. The National Tariff Policy notified on 28 January 2016 also provides to encourage procurement of renewable power through competitive bidding to reduce the tariff.

2. OBJECTIVES OF GUIDELINES

The specific objectives of these Guidelines are as follows:

a) To facilitate renewable capacity addition and fulfilment of Renewable Purchase Obligation (RPO) requirement of distribution licensees;

b) To provide a transparent, fair, standardized procurement framework based on open competitive bidding with appropriate risk-sharing between various stakeholders to enable procurement of power at competitive prices in consumer interest, improve bankability of projects and ensure reasonable returns to the investors; and

c) To provide for a framework for the inter-state/ intra-state, long-term, sale-purchase of power as a further measure to derisk the sector.

3. APPLICABILITY OF GUIDELINES

These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of electricity by the 'Procurer(s)', from grid-connected Wind Power Projects ('WPP') having,(a) bid capacity of 10 MW and above forprojects connected tointra-state transmission system; and (b)bid capacity of 50 MW and above for projects connected to inter-state transmission system.

Explanation:

a) '**Procurer(s)**': The term 'Procurer(s)', as the context may require, shall mean the distribution licensee(s), or their Authorized Representative, or an Intermediary Procurer.

b) **'Authorised Representative' of the Procurer(s):** In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing agency and the agency carrying out the tendering/bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall be deemed to be the Authorized Representative of the 'Procurer' and shall, on behalf of the Procurer, be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the 'Procurer' during the bidding phase, in accordance with these Guidelines.

c) '**Intermediary Procurer**'

(i) In some cases, an intermediary, as designated by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, or a State Government, may be tasked to aggregate the power purchased from different generators and sell it to the distribution licensee(s) / consuming entities / open access consumers. In such cases, the distribution licensee(s) / consuming entities / open access consumers shall be the "End Procurer" and the intermediary shall be "Intermediary Procurer"for the purposes of these Guidelines.

(ii) The Intermediary Procurer shall enter into a Power Purchase Agreement (PPA) with the WPG(s) and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back-to-back basis. Trading margin of Rs. 0.07 / kWh shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer.

(iii) As long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of power.

d) 'Wind Power Generator (WPG)/Generator'The term 'Wind Power Generator/ Generator', wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of electricity generated through wind power.

e) Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD): Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD) in relation to the contracted capacity shall mean the date corresponding to the date of commencement of supply as indicated in the RfS (Request for Selection).

The provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer, Authorised Representative and Intermediary Procurer. The process to be adopted inthe event of any deviation proposed from these Guidelines is specified in Clause 18of these Guidelines.

Principles outlined in these Guidelines may be suitably detailed in the Standard Bidding Documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement].

Upon notification of these Guidelines in the Official Gazette, the erstwhile Guidelines notified vide No. 23/54/2017-R&R dated 8.12.2017 and amendment thereto, shall not be applicable for bids issued subsequent to issuance of these Guidelines. However, the projects already awarded/under implementation/commissioned under the erstwhile Bidding Guidelines, will continue to be governed by those Guidelines and will not be covered under these Guidelines. In case there are any ongoing bids wherein the last date of bid submission is after the date of notification of these Guidelines, then the bid documents in respect of such bids shall be appropriately modified to bring them in alignment with these Guidelines.

4. PREPARATION FOR INVITING BID AND PROJECT PREPAREDNESS

The Procurer shall meet the following conditions:

4.1. Bid Documentation:

a) Prepare the bid documents in accordance with these Guidelines.

b) Seek approval of the Government for deviations, if any, in the draft RfS, draft PPA, draft PSA (if applicable) from these Guidelines and/ or Standard Bidding Documents (SBDs), in accordance with the process described in Clause 18 of these Guidelines.

However, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines.

4.2. Arrangements related to Commencement of Supply:

The RfS may specify additional milestones for the project with respect to land acquisition, connectivity etc. as well as regular reporting requirements by the Generator and shall specify penalties with respect to non-compliance with such milestones/requirements. Obtaining all clearances, permits, licenses including arrangement of land and connectivity to the Grid and access (if applicable) prior to scheduled date of commencement of supply of power shall be the responsibility of the WPG and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining such clearances, permits, licenses etc.

5. BID STRUCTURE

5.1. Bid Size: The Procurer will invite the bids in Power Capacity (MW) terms**.** The minimumbid capacityshall be as per clause 3 of the Guidelines. The Procurer may also choose to specify the maximum capacity that can be allotted to a single bidder including its Affiliates[3].

5.2. Bidding Parameters:

5.2.1. For procurement of wind power, the tariff quoted by the bidder shall be the bidding parameter. The Procurer may specify a benchmark tariff and in that case, bidder has to quote tariff not more than the benchmark tariff. The tariff quoted shall be fixed tariff in Rs./kWh for the PPA period.

[3]**Affiliate** in relation to a Company shall mean a person who controls, is controlled by, or is under the commoncontrol with such Company. The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.

5.2.2. The capacity allocation shall be on the basis of Bucket filling i.e. capacity quoted by least quoted tariff bidder (called the L1 bidder) at the rates quoted (L1 rates) shall be allocated first, then the capacity quoted by the next lowest bidder (called the L2 bidder) at the rates quoted (called the L2 rates) may be allocated and so on.

However, the allocation will only be made to the bidders whose bid falls within a pre-defined "Range" from the L1 tariff, as stipulated in the RfS. Thus, after arranging the bidders in the ascending order of tariff, the Project capacities will be awarded only to those bidders whose final price bids are within a range of "L1+x%", in terms of Rs/kWh; while the value of "x" generally be two (2) to five (5) and shall be fixed in the RfS."

5.2.3. The Procurer may also opt for e-reverse auction for final selection of bidders, in such a case, this will be specifically mentioned in the notice inviting bids and bid document. The Procurer may disclose in the RfS, the prevailing incentives available to the WPGs.

5.2.4. A maximum of 50 percent of total capacity as specified in the RfScan be allocated to a single bidder.

6. POWER PURCHASE AGREEMENT

The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of the PPA shall include inter alia the following, which, unless otherwise specified herein, shall be provided for on a back-to-back basis in the PSA:

6.1. PPA Period: The PPA period shall generally be for a period of 20 (twenty) years from the date of the SCSD or from the rescheduled date of commencement of supply to the extent of extension given by the Procurer on the grounds which are beyond control of the WPG. The PPA may, however, also be fixed for a longer period such as 25 (twenty-five) years. The duration of the PPA must be mentioned upfront in the RfSdocument. The developers shall be free to operate their plants after the expiry of the PPA period.The developer may upgrade and repower their plants during the PPA period at his own risk and cost; and participate in subsequent bids to the extent of their untied capacity. Developers who have already commissioned wind power plants or are in the process of constructing such plants and have untied capacity may also participate in the bid. In such case, they will be given the benefit of a longer period of PPA, commensurate to the duration between the actual date of commencement of supply of power and SCSD.

6.2. Quantum of Power: The procurement of power will be in power (MW) terms**.**

6.2.1. Procurement in Power Terms (MW):

a. In case of procurement in power (MW) terms, the range of Capacity Utilisation Factor (CUF) will be indicated in the bidding documents. Calculation of CUF will be on yearly basis. In case the project generates and supplies energy less than the energy corresponding to the minimum CUF, the WPG will be liable to pay to the Procurer, penalty for the shortfall in availability below such contracted CUF level. The amount of such penalty will be calculated @ 50% (fifty per cent) of the PPA tariff for the shortfall in energy terms, in accordance with the terms of the PPA.

b. In case of availability of energy more than the maximum CUF specified, WPG will be free to sell it to any other entity provided first right of refusal will vest with the Procurer(s). The Procurer(s) shall provide refusal within 15 days from the receipts of the request, beyond which it would be considered as deemed refusal. In case the Procurer purchases the excess generation, the same may be done at the PPA tariff, and provision to this effect shall be clearly indicated in the RfS document.

c. The WPG may also sell the power which was offered on day ahead basis to the procurer(s) (within maximum CUF) but not scheduled by the Procurer(s), to any third party or power exchange without requiring NOC from the Procurer(s).

6.2.2. The penalty for non-performance shall be as specified in the RfS. The scheduling and its punching thereof at different Regional Load Despatch Centres (RLDCs) / State Load Despatch Centres (SLDCs) (including the injecting, intervening and buyer SLDCs/ RLDCs) shall be the responsibility of WPG only.

6.2.3. Deviation Settlement Mechanism (DSM): For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. The DSM charges at the generator ends shall be settled by the WPG.

6.3. Payment Security: Adequate payment security shall be provided as per Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 including amendments and clarification, if any, thereof, issued from time to time. In addition, the intermediary procurer may maintain a payment security fund. To be eligible for coverage from the fund the developer will undertake to pay PSM charges at the rate of 2 paise per unit.

6.4. Force Majeure: The PPA shall contain provisions with regard to force majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of force majeure, as per the industry standards. The WPG shall intimate the Procurer about the occurrence of force majeure within 15 (fifteen) days of the start of the force majeure and the Procurer shall respond on his claim within 15 days of the receipt of the intimation.

6.5. Generation Compensation for Off-take Constraints: If the Procurer does not off-take power scheduled by WPG,the penalty shall bein accordance with the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021, as amended from time to time.

6.5.1. Generation Compensation in offtake constraints due to Grid Unavailability:

During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the WPG. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner:

Duration of Grid unavailability	**Provision for Generation Compensation**
Grid unavailability in a contract year as beyond 50 hours in a Contract Year as defined in the PPA	Generation Compensation = ***((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer)) X 1000X No. of hours of grid unavailability*** However, in the case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realized, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.

6.5.2. Payment in case of reduced offtake: In case the plant is available to supply power but the off take of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with "Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 notified by the Ministry of Power vide Gazette notification dated 3rd June 2022" and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of 'must run' status for RE Power, the Generator shall be eligible for payment from the Procurer, corresponding to the reduced off take, in terms of following manner:

Duration of Reduced Offtake	**Provision for Generation Compensation**
Reduced off-take beyond 50 hours in a year, as defined in the PPA	Generation Compensation = ***((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer)) X 1000 X No. of hours of Reduced Offtake*** However, in the case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realized, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.

6.5.3 For claiming compensation the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer.

6.6. Event of Default:

a) For Delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the generator event of default shall be construed to have occurred and consequences shall be in accordance with Clause 14.5.

b) In the event the Generator fails to maintain energy supply corresponding to the minimum CUF as declared in the PPA, the Generator shall be in default and the PPA shall be liable to be terminated. Further, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF.

c) In the event that the Generator assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Generator shall pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated CUF. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.

d) In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution provisions provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA.

e) If the Procurer/Intermediary procurer is in default on account of reasons including *inter alia* failure in timely payment of the dues, in accordance with the RfS or repudiation of the PPA, the Generator may terminate the PPA and at its discretion. The defaulting Procurer shall pay to the Generator, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity with the stipulated CUF.

6.7. Change in Law: The provisions for Change in Law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Ministry of Power vide notification dated 22nd October 2021 including amendments and clarification thereof issued from time to time.

7. BIDDING PROCESS

7.1. The Procurer/intermediate procurer shall call for the bids adopting a single stage, two part (Technical Bid & Financial Bid), bidding process to be conducted through electronic mode (e-bidding). The technical bid shall be opened first. The financial bids of only those bidders who qualify in the technical bid shall be opened. The procurer may also opt for e-reverse auction for final selection of bidders, in such a case, this will be specifically mentioned in the notice inviting bids and bid document. E-procurement platforms with a successful track record and with adequate safety, security and confidentiality features will be used.

7.2. The Procurer shall invite the bidders to participate in the RfS for installation of Wind Power Projects (WPPs) in terms of these Guidelines.

7.3. Developers who have already set up capacity or who have spare untied capacity may also participate in the bid.

7.4. The bidding documents including the RfS, draft PPA and draft PSA (if applicable) shall be prepared by the Procurer in consonance with these Guidelines and the SBDs, if any.

7.5. The Procurer shall publish the RfS notice in at least two national newspapers or its own website to accord wide publicity.

7.6. The Procurer shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders and shall provide written interpretation of the bid documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on the written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the website of the Procurer for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 (seven) days therefrom, for submission of bids.

8. REQUEST FOR SELECTION (RFS) DOCUMENT

The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfSdocument shall include the following and may be suitably expanded:

8.1. Bid Responsiveness: The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including *inter-alia* ~

a) Bidder or any of its Affiliates is not a willful defaulter to any lender.

b) As on last date of bid submission, the Bidder & any of its Affiliate including any Consortium Member & any of its Affiliate, their directors should not have been barred or included in the blacklist by any government agency or authority in India, the government of the jurisdiction of the Bidder or Members where they are incorporated or the jurisdiction of their principal place of business, any international financial institution such as the World Bank Group, Asian Development Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank etc or the United Nations or any of its agencies.

8.2. Qualification requirements to be met by the bidders:

8.2.1. Technical Criteria: The Government would like to encourage competition by way of increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the projects, the Procurer may choose to specify technical criteria. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved. Cut-off date for meeting the technical criteria should generally be kept as the end date of the financial year that is previous to the financial year in which the bid is being floated.

8.2.2. Financial Criteria:

a) Networth:

(i) The Procurer shall specify financial criteria in the form of networth as a part of the qualification requirement. The net-worth requirement should be at least 20% of the Estimated Capital Cost for WPP for the year in which bids are invited or any other criteria specified in the RfS.

(ii) The net worth to be considered for the above purpose will be the cumulative net-worth of the bidding company or consortium together with the net-worth of those Affiliates of the bidder(s) that undertake to contribute the required equity funding and performance bank guarantees in case the bidder(s) fail to do so in accordance with the RfS document.

(iii) It is clarified that the net-worth to be considered for this clause will be the total net-worth as calculated in accordance with the Companies Act.

b) Liquidity: It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals to manage the fund requirements for the project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bidding capacity etc.

8.3. Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD): Procurer will specify the quantum of the Earnest Money Deposit (EMD), which shall not be less than two percent of the estimated capital cost of the WPP or any other criteria specified in the RfS, in the form of a bank guarantee / letter of undertaking to pay, to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or debarring etc., as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the WPG to execute the PPA within the stipulated time period.

8.4. Compliance of FDI Laws by foreign bidders: In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India.

9. BID SUBMISSION AND EVALUATION

9.1. Formation of consortium by the bidders shall be permitted, in which case the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bidding process. The Procurer may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium.

9.2. The Procurer shall constitute committee for evaluation of the bids (Evaluation Committee), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters/ bid evaluation.

9.3. The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. Bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an EMD along with the bids.

9.4. The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS shall be considered for further evaluation on the price bids.

9.5. To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders should be two. If the number of qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.

9.6. The price bid shall be rejected, if it contains any deviation from the bid conditions. No clarifications shall normally be requested from bidders at this stage.

9.7. The detailed procedure for evaluation of the bid and selection of the bidder shall be provided for in the RfS.

10. INDICATIVE TIMETABLE FOR BID PROCESS

10.1. In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty-two) days shall be allowed between the issuance of RfS documents and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated below.

Time Table for Bid Process

Sl. No.	Event	Time from Zero date
1.	Date of issue of Request for Selection (RfS) document, Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the Power Sale Agreement (PSA), if applicable.	Zero Date
2.	Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS document	**
3.	RfS bid submission	22 days
4.	Evaluation of technical bids	64 days
5.	Evaluation of financial bids and conduction of e-Reverse Auction	99 days
6.	Issuance of Letter of Award (LoA)	110 days
7.	Signing of PPA & PSA (if applicable)	140 days

** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide Bidders additional time in accordance withclause 7.6 of these Guidelines.

Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on accountof delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not inany way be deviation from these Guidelines.

10.2. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 110 (one hundred ten) days.

11. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION

11.1. The PPA shall be signed with the successful Bidder/ Project Company or an SPV formed by the successful bidder.

11.2. The procurer shall constitute a committee for evaluation of the RfS bids. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS document. The evaluation authority should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the requirement. The evaluation committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned to the prevailing market prices.

11.3. For the purpose of transparency, the Procurer shall publicly disclose the name(s) of the successful Bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days.

11.4. Subject to provisions of the Act, the distribution licensee shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs by the Appropriate Commission in terms of Section 63 of the Act, within 15 (fifteen) days of the discovery of the tariffs in the transparent competitive bidding process conducted in accordance with these Guidelines.

11.5. Subsequent to the distribution licensee or Intermediary Procurer, as the case may be, approaching the Appropriate Commission for adoption of tariffs under Section 63 of the Act, in case, the Appropriate Commission does not decide upon the same within sixty days of such submission or within 120 (one hundred and twenty) days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more, the Procurer(s) shall grant appropriate extension of time in SCSD to the generators, corresponding to the delay [beyond 60 (sixty) days of submission or 120 (one hundred and twenty) days of PSA whichever is more] in adoption/ approval by the Appropriate Commission till the date of adoption/ approval by the Appropriate Commission.

12. BANK GUARANTEES / PAYMENT ON ORDER INSTRUMENTS / LETTERS OF UNDERTAKING

The WPG shall provide the following bank guarantees/ letters of undertaking to pay to the Procurer in terms of the RfS.

12.1. **Earnest Money Deposit (EMD)**as per Clause 8.3to be submitted along with response to RfS, in the form of:

a) Bank Guarantee(s);

OR

b) "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case of default of WPG in terms of tender condition, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC).

"Payment on Order instrument" means Letter of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC.

12.2. **Performance Bank Guarantee (PBG)**shall be 5% (five percent) of the Estimated Capital Cost for wind power project for the financial year in which the bids are invited or as per the upper limit stipulated by Ministry of Finance from time to time, whichever is lower. PBG shall be submitted at the time of signing of the PPA**,** in the form of:

a) Bank Guarantee(s);

OR

b) "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case situation of default of WPG in terms of tender condition arises, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC).

12.3. In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under clause 6.3 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the SCSD the project. In case of commencement of supply of power from part capacity of the project, PBG corresponding to such part capacity should be released within 45 days.

12.4. Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a generator as ‘Performance Bank Guarantee (PBG)’, if the generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking to pay in case situation of default of generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC). Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three nonbanking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the implementing agencies.

13. SHAREHOLDING BY THE PROMOTER

13.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. However, in case the successful bidder shall be itself executing the PPA, then it shall ensure that its promoters shall not cede control[4] till 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.

13.2. Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the SCSD can be undertaken under intimation to Procurer.

13.3. In the event the WPG is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake ‘Substitution of Promoter’ in concurrence with the Procurers.

---

[4] The expression ‘control’ shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.

14. COMMENCEMENT OF SUPPLY OF POWER

14.1. The Power Purchase Agreement between the Wind Project and Procurer/Intermediate procurer shall clearly indicate the SCSD and quantum of supply.

14.2. Commencement of Supply Schedule:

a. The projects shall generally commence supply of power, within a period of :

i. 24 (twenty-four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size not more than or equal to 1,000 MW;

ii. 30 (thirty) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 1,000 MW.

b. However, if for some reason, the SCSD period needs to be kept shorter or longer than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

c. It is presumed that in terms of Clause 11.5 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission or within 120 days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 days of submission or 120 days of PSA whichever is more, shall entail a corresponding extension in SCSD.

14.3. Part Commencement of Supply of Power: Part Commencement of supply of power from the Project shall be accepted by Procurer subject to the condition that the minimum capacity for acceptance of first part shall be 50% of Project Capacity or 50 MW, whichever is lower, without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which has not yet commenced supply of power. However, in case of inter-state project, first part for acceptance of commencement of supply of power shall be at least 50 MW. The projects can further commence supply of power in parts of at least 10 MW capacity; with last part as the balance capacity. However, the SCSD will not get altered due to part commencement of supply of power. Irrespective of dates of part or full commencement of supply of power, the PPA will remain in force for the period specified in the bid.

14.4. Early Commencement of Supply of Power: The WPG shall be permitted for commencement of supply from full as well as part capacity of the Project even prior to the SCSD subject to availability of transmission connectivity and Long-Term Access (LTA). In cases of early part or full commencement of supply of power, the power shall be purchased at PPA Tariff by the Procurer(s).

14.5. Delay incommencement of supply of power, beyond the SCSD shall involve penalties on the WPG, as detailed below:

a. For Delay in commencement of supply of power upto6 (six) months from SCSD, encashment of Performance Bank Guarantee (PBG), or alternate instruments, on per day basis and proportionate to the contracted capacity that has not commenced supply of power.

b. For Delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the following shall be applicable:

(i) The contracted capacity shall stand reduced to the project capacity that has commenced supply of power within the period of SCSD plus 6 (six) months. The PPA for the balance contracted capacity that has not commenced supply of power shall stand terminated.

(ii) The WPG shall be debarred from participating in bids issued by any procurer, or any intermediary procurer for the following period:

a. For one year, in case of first default

b. For not less than 2 years, and not more than 3 years for second and any subsequent defaults

15. TRANSMISSION CONNECTIVITY

15.1. The responsibility of getting Transmission Connectivity to ISTS network under GNA regulation will lie with the Generator and shall be at the cost of Generator.

15.2. The Metering Points, which are the points at which energy supplied to the Procurer shall be measured, shall be the low voltage side of the CTU/STU substation. In case of RE parks, the metering point is the ISTS pooling station with which the internal transmission from all the pooling substations is connected. All expenses including wheeling charges and losses between the Project and the Metering Point shall be paid by the Generators without any reimbursement by the Procurer. All expenses including wheeling charges and losses in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by the Procurers as per the regulation notified by the Commission from time to time.

16. ROLE OF STATE NODAL AGENCIES

The State Nodal Agency appointed by respective State Government will provide necessary support to facilitate the required approvals and sanctions in a time bound manner so as to achieve commencement of supply of power from the Projects within the scheduled Timeline. This may include facilitation in the following areas:

i. Coordination among various State and Central agencies for speedy implementation of projects

ii. Support during commencement of supply of power from the projects

iii. Carry out the site survey and issuance of elevation certificate for attaining the No Objection Certificate (NoC) from Ministry of Defence.

17. PERFORMANCE MONITORING

All wind power projects shall install necessary equipment to continuously measure wind resource data and other weather parameters and electrical parameters from each wind turbine. They are required to submit this data throughan online portal to National Institute of Wind Energy for monitoring the performance for the entire life of wind turbine.

18. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES

In case it becomes imperative for the Procurer/intermediate procurer to deviate from these Guidelines and or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Governmentbefore the initiation of the bidding process itself. The Appropriate Governmentshall approve or require modification to the bid documents within a reasonable timenot exceeding 60 (sixty) days.

19. DISPUTE RESOLUTION

In the event, CERC is the Appropriate Commission, any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by Dispute Resolution Committee set up by the Government, failing which by arbitrationunder the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC/JERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC/JERC or shall be referred for arbitration by the SERC/JERC.

20. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, the Ministry of Power is empowered to do the samein consultation withMinistry ofNew and Renewable Energy.

21. ISTS CHARGES AND LOSSES

ISTS charges and losses on transmission of power, including waiver for wind power, shall be as per extant rules and regulations.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251733
CG-DL-E-02022024-251733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
No. 24] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

ग्रिड कनेक्टेड पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2024-एनआरई.—ग्रिड कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों को दिनांक 21 अगस्त, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1 खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/03/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

2. केंद्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 15.5 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

खंड 15.5: विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत में विलंब :

खंड 15.5 (ख) (ii) हटा दिया गया माना जाए।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आर एंड आर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd February, 2024

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Solar Hybrid Projects.

No. 48-19/2/2024-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified vide Resolution No. 27/03/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 21st August, 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 21st August, 2023 :-

Clause 15.5 of the existing guidelines stand modified as follows :-

15.5. Delay in Commencement of Supply of Power:

Clause 15.5 (b) (ii) shall stand deleted.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112023-250105
CG-DL-E-17112023-250105

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945
No. 293] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

ग्रिड से जुड़ी पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2023-एनआरई.—ग्रिड से जुड़ी पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देश 21 अगस्त, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1, खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/03/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।

2. केंद्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों का खंड 15.4 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है,

खंड 15.4: विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआत:

बहुविध परियोजना घटकों के मामले में और यदि ऐसे एक या अधिक घटक (पवन या सौर) ग्रिड में विद्युत डालने के लिए तैयार है, लेकिन शेष घटक विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में असमर्थ है, तो उत्पादक को ऐसे घटक से विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की अनुमति होगी जो पीपीए के दायरे से बाहर तैयार है। विकासकर्ता पूर्ण या आंशिक क्षमता के अग्रिम रूप से चालू होने के संबंध में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों को पंद्रह (15) दिन का अग्रिम नोटिस देगा।

अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार नोटिस के तामील होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी विद्युत का लाभ उठाने के लिए स्वीकृति देंगे। यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो विकासकर्ता अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा स्वीकार न की गई सीमा तक विद्युत को विद्युत एक्सचेंजों में या द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से बेच सकता है।

परंतु यह कि यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं, तो अंतिम खरीददार(खरीददारों) को ऐसी विद्युत प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में अंतिम खरीददार(खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा देय टैरिफ पीपीए टैरिफ के 75 प्रतिशत तक होगा या इस संबंध में निविदा दस्तावेजों में विशिष्ट प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the17th November, 2023

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Solar Hybrid Projects.

No. 48-19/2/2023-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Solar Hybrid Projectshave been notified vide Resolution No. 27/03/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 21st August 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 21st August, 2023:-

Clause 15.4 of the existing guidelines is substituted with the following,

Clause 15.4: Early Commencement of Supply of Power:

In case of multiple project components and if one or more such component (wind or solar) is ready for injection of power into the grid, but the remaining component is unable to commence supply of power, the Generator will be allowed to commence supply of power from such component which is ready outside the ambit of PPA.The developer shall give fifteen (15) days advance notice to both End Procurer(s) and Intermediary Procurer regarding the advance commissioning of full or part capacity. The End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall give acceptance for availing such power within 15 days from the date of service of notice. In case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer do not give their acceptance to purchase power within the stipulated period, the developer can sell the power to the extent not accepted by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer in the power exchanges or through bilateral arrangements.

Provided that in case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer give their acceptance to purchase power, the End Procurer(s) will be accorded priority in availing such power.

Provided further that in such cases tariff payable by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall be up to 75% of the PPA tariff or specific provisions in this regard will be stipulated in the tender documents.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082023-248203
CG-DL-E-21082023-248203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] **नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 2023/श्रावण 30, 1945**
No. 202] **NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 2023/SHRAVANA 30, 1945**

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2023

ग्रिड संबद्ध पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश

सं. 27/03/2023- आर सी एम. —1. पृष्ठभूमि

1.1. यह स्थापित हो चुका है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के संयोजन से उनकी व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता कम हो जाती है और बेहतर उत्पादन मिलता है। इसके परिणामस्वरूप पारेषण अवसंरचना और भूमि संसाधन का अधिक दक्ष उपयोग भी होता है। यह सामान्य बात है कि हवा सुबह और शाम या रात के दौरान बेहतर होती है, जो दिन के समय चरम पर होने वाली सौर ऊर्जा की पूरक होती है। भंडारण सुविधा द्वारा समर्थित हाइब्रिड परियोजनाएं आरई विद्युत की गुणवत्ता को और बढ़ा सकती हैं।

1.2. एमएनआरई ने पारेषण अवसंरचना और भूमि के बेहतर और दक्ष उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करने के लिए बड़े ग्रिड संबद्ध पवन-सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 14.05.2018 को पवन-सौर हाइब्रिड संबंधी नीति जारी की (और दिनांक 13.08.2018 को संशोधन जारी किया)।

1.3 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है और इसमें यह प्रावधान है कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित

किया गया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा। दिनांक 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति भी बाजार आधारित टैरिफप्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देती है।

2. दिशानिर्देशों के उद्देश्य

2.1 इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

क. उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा, ग्रिड संबद्ध पवन सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं (जिसे एतद्पश्चात 'हाइब्रिड विद्युत परियोजना' कहा गया है) से विद्युत की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देना;

ख. नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि करने और डिस्कॉमों की नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करना;

ग. खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुविधाजनक बनाने के लिए/और उपभोक्ता के हित में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दीर्घकालिक विद्युत के अंतर-राज्यीय विक्रय-क्रय के लिए एक संग्रहकर्ता/व्यापारी के रूप में एक मध्यस्थ खरीददार के लिए एक मानकीकृत कार्यढांचा प्रदान करना; और

घ. विभिन्न हितधारकों के बीच जोखिम-साझाकरण कार्यढांचा प्रदान करना तथा पवन सौर हाइब्रिड विद्युत खरीद में शामिल निवेशकों के लिए उचितलाभ सुनिश्चित करना, जिससे आगे के निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, परियोजनाओं की बैंक ग्राह्यता में वृद्धि और निवेशकों के लिए लाभप्रदता को प्रोत्साहित किया जा सके।

3. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

3.1 ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत खरीददार(रों) द्वारा (क) अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 10 मेगावाट और उससे अधिक की बोली क्षमता; और (ख) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 50 मेगावाट और उससे अधिक की बोली क्षमता वाली हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं से, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से, विद्युत की दीर्घकालिक खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं, जो इस शर्त के अध्यधीन हैं कि एक संसाधन (पवन अथवा सौर) की रेटेड विद्युत क्षमता कुल संविदा की गई क्षमता का कम से कम 33% होगी।

3.2. हाइब्रिड परियोजना की सौर और पवन परियोजनाएं एक ही या अलग-अलग स्थानों पर स्थित हो सकती हैं।

3.3. हाइब्रिड विद्युत परियोजना में भंडारण को जोड़ा जा सकता है:

क. पवन सौर हाइब्रिड परियोजना से उत्पादित विद्युत की परिवर्तनशीलता को कम करना;

ख. पवन सौर हाइब्रिड परियोजना में पवन और सौर ऊर्जा की अतिरिक्त क्षमता संस्थापित करके, वितरण बिंदु पर दी गई क्षमता (बोली/संस्वीकृत क्षमता) के लिए अधिक ऊर्जा उत्पादन प्रदान करना;

ग. किसी विशेष अवधि के लिए निश्चित विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3.4 इन दिशानिर्देशों के प्रावधान खरीददार, अधिकृत प्रतिनिधि और मध्यस्थ खरीददार पर बाध्यकारी होंगे। इन दिशानिर्देशों से प्रस्तावित किसी भी विचलन की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों के खंड 19 में निर्दिष्ट है।

3.5 परियोजना से खरीदी गई विद्युत का उपयोग संयंत्र में क्रमशः सौर और पवन ऊर्जा की रेटेड क्षमता के अनुपात में आरपीओ की पूर्ति के लिए किया जा सकता है।

3.6 इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धांतों का मानक बोली दस्तावेजों [जिसमें मॉडल चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, मॉडल विद्युत क्रय करार तथा मॉडल विद्युत विक्रय करार शामिल है] में उपयुक्त रूप से विस्तृत वर्णन किया जा सकता है।

3.7 इन दिशानिर्देशों की सरकारी राजपत्र में अधिसूचना पर, दिनांक 14.10.2020 की संख्या 238/78/2017-पवन द्वारा अधिसूचित पूर्ववर्ती दिशानिर्देश और उनमें संशोधन, इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद जारी की गई बोलियों के लिए लागू नहीं होंगे। तथापि, पूर्ववर्ती बोली दिशानिर्देशों के अंतर्गत पहले से ही अवार्ड की जा चुकी/कार्यान्वयनाधीन/आरंभ की जा चुकी परियोजनाएं उन दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी और इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएंगी।यदि ऐसी कोई जारी बोलियां हैं जिनमें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के बाद है, तो ऐसी बोलियों के संबंध में बोली दस्तावेजों को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

4. स्पष्टीकरण/परिभाषाः

(क) **'खरीददार(रों)':** जैसाकि प्रसंग में अपेक्षित है, 'खरीददार(रों)' शब्द से तात्पर्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी (यों) अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि(यों) अथवा मध्यस्थ खरीददार से होगा।

(ख) **खरीददार(रों) का 'अधिकृत प्रतिनिधि':** ऐसे मामलों में, जहां विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षरकर्ता एजेंसी और निविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी अलग-अलग हैं, तो निविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी 'खरीददार' की अधिकृत प्रतिनिधि मानी जाएगी और खरीददार की ओर से इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बोली प्रक्रिया चरण के दौरान 'खरीददार' पर लगाई गई सभी बाध्यताओं को पूरा करने की जिम्मेदार होगी।

(ग) **'मध्यस्थ खरीददार':**

(i) कुछ मामलों में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित मध्यस्थ को विभिन्न उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत को एकत्रित करने और उसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों)/उपभोगकर्ता कंपनियों/खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओंको बेचने का कार्य सौंपा जा सकता है। ऐसे मामलों में, इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों)/उपभोगकर्ता कंपनियां/खुली पहुंच वाले उपभोक्ता "अंतिम खरीददार" होंगे और मध्यस्थ'मध्यस्थ खरीददार' होगा।

(ii) मध्यस्थ खरीददार हाइब्रिड विद्युत उत्पादक(कों) के साथ एक विद्युत क्रय करार (पीपीए)करेगा और साथ ही, अंतिम खरीददार के साथ विद्युत विक्रय करार (पीएसए) भी करेगा। पीएसएमें एक के बाद एक आधार पर पीपीए के सभी संगत प्रावधान भी शामिल होंगे। अंतिम खरीददार द्वारा मध्यस्थ खरीददार को 0.07 रु./किलोवाट घंटा के ट्रेडिंग मार्जिन का भुगतान किया जाएगा।

(iii) जब तक मध्यस्थ खरीददार द्वारा हाइब्रिड विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरणकरता है, तब तक अंतिम खरीददार द्वारा हाइब्रिड विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया मान लिया जाएगा।

(घ) **'हाइब्रिड विद्युत उत्पादक (एचपीजी)/उत्पादक':**उत्पादक इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'हाइब्रिड विद्युत उत्पादक/उत्पादक' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह पवन सौर हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन उत्पादित विद्युत के उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में होगा।

(ङ) **आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी):** संविदात्मक क्षमता अथवा संविदात्मक क्षमता के भाग के संबंध में आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी) का तात्पर्य, आरएफएस (चयन हेतु अनुरोध) में उद्धृतआपूर्ति की शुरूआत की तिथि(यों),के अनुरूप तिथि से होगा।

5. बोली आमंत्रित करने की तैयारी तथा परियोजना की तैयारी

खरीददार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगाः-

5.1 बोली दस्तावेजः

(क) खरीददार इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेजों को तैयार करेगा।

इन दिशानिर्देशों के खण्ड 19 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदि लागू हों) में इन दिशानिर्देशों और/अथवा मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडीज़) से किसी विचलन को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

तथापि, यदि खरीददार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और अन्य परियोजना करारों को तैयार करते समय विस्तृत प्रावधान करता है, जो दिशानिर्देशों के अनुकूल हों, तो ऐसे विस्तृत प्रावधान, इन दिशानिर्देशों में नहीं दिए जाने के बावजूद भी इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माने जाएंगे।

5.2 आपूर्ति की शुरूआत से संबंधित व्यवस्थाएं

आरएफएस, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, कनेक्टिविटी आदि के साथ-साथ एचपीजी द्वारा नियमित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त लक्ष्यों को निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे लक्ष्यों/अपेक्षाओं कीगैर-अनुपालना के संबंध में शास्ति निर्दिष्ट करेगा। विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि से पूर्व भूमि की व्यवस्था और ग्रिड से कनेक्टिविटी और पहुंच (यदि लागू हो) सहित सभी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना एचपीजीकी जिम्मेदारी होगी और ऐसी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने में विलंब के मामले में खरीददार जिम्मेदार नहीं होगा।

6. बोली संरचना

6.1 बोली का आकार: खरीददार बोलियाँ विद्युत क्षमता (मेगावाट) के संदर्भमें आमंत्रित करेगा।किसी बोलीदाता को दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार न्यूनतम बोली क्षमता के लिए बोली की अनुमति होगी। खरीददार अधिकतम क्षमता निर्दिष्ट करने का विकल्प भी चुन सकता है जिसे उसके सहयोगियों[1] सहित एकल बोली लगाने वाले को आवंटित किया जा सकता है।

6.2 बोली मापदंडः

6.2.1 पवन सौर हाइब्रिड विद्युत की खरीद के लिए, बोलीदाता द्वारा उद्धृत टैरिफ बोली मापदंड होगा। उद्धृत टैरिफ पीपीए अवधि के लिए रुपये/किलोवाट घंटा में बेंचमार्क टैरिफ होगा।

6.2.2. क्षमता का आवंटन बकेट फिलिंग आधार पर किया जाएगा, अर्थात उद्धृत दरों(जिसे एल 1 दर कहा गया है) पर सबसे कम दर उद्धृत करने वाले बोलीदाता (जिसे एल 1 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उल्लिखित क्षमता पहले आवंटित की जाएगी, उसके बाद, अगले न्यूनतम बोलीदाता (जिसे एल 2 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उल्लिखित दरों (जिसे एल2 दर कहा गया है) पर उल्लिखित क्षमता आवंटित की जा सकती है और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।

तथापि, केवल उन बोलीदाताओं को आवंटन किया जाएगा, जिनकी बोली आरएफएस में यथानिर्धारित एल1 टैरिफ से पूर्व-परिभाषित "श्रेणी"के अंतर्गत आती हो। इस प्रकार, बोलीदाताओं को टैरिफ के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, परियोजना क्षमताओं को केवल उन बोलीदाताओं को अवार्ड किया जाएगा, जिनकी अंतिम मूल्य बोली, रुपये प्रति किलोवाट घंटे के अनुसार, "L1+x%" की श्रेणी में हो; जबकि "x" का मान सामान्यत: दो (2) से पांच (5) के बीच हो और इसे आरएफएस में तय किया जाएगा।"

---

[1]किसी कंपनी के संबंध में **सहयोगी** का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी कंपनी को नियंत्रित करता है, इसके द्वारा नियंत्रित होता है, या उसके साथ सामान्य नियंत्रण में है। अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' का अर्थ ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या बहुमत निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

6.2.3 खरीददार बोलीदाताओं के अंतिम चयन के लिए रिवर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है, ऐसे मामले में, बोलियां आमंत्रित करने वाले नोटिस और बोली दस्तावेज़ में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। खरीददार आरएफएस में एचपीजी को उपलब्ध मौजूदा प्रोत्साहनों का प्रकटन कर सकता है।

6.2.4 आरएफएस में विनिर्दिष्ट कुल क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत एक एकल बोली लगाने वाले को आबंटित किया जा सकता है।

7. विद्युत क्रय करार

सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाला प्रस्तावित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए,आरएफएस के साथ-साथ, जारी किया जाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य के साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे, जिसमें जब तक यहां अन्यथा उल्लिखित न किया जाए, इन्हें पीएसए में *एक के बाद एक* आधार पर शामिल किया जाएगा।

7.1 **पीपीए अवधिः** पीपीए की अवधि सामान्यतः एससीएसडी की तिथि से 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए अथवा खरीदादर द्वारा एचपीजी के नियंत्रण से बाहर के आधार पर दिए गए विस्तार की सीमा तक आपूर्ति की शुरूआत की पुनर्निर्धारित तिथि से होगी। तथापि, पीपीए की अवधि को 25 वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए भी तय किया जा सकता है। आरएफएस दस्तावेज में पीपीए की अवधि का उल्लेख पहले से किया जाना चाहिए। विकासकर्ताओं को पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट होगी। विकासकर्ता पीपीए अवधि के दौरान अपने जोखिम और लागत पर अपने संयंत्रों का उन्नयन तथापुनः शक्तिकरण कर सकता है; और उत्तरवर्ती बोलियों में उनकी अबद्ध क्षमता की सीमा तक भाग ले सकता है। जिन विकासकर्ताओं ने पहले ही पवन सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र संस्थापित कर दिए हैं अथवा ऐसे संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया में हैं और जिनके पास अबद्ध क्षमता है, वे भी बोली में भाग लेंगे। ऐसे मामले में, उन्हें विद्युत की आपूर्ति शुरू होने की वास्तविक तारीख और एससीएसडी के बीच की अवधि के अनुरूप पीपीए की दीर्घावधि का लाभ दिया जा सकता है।

7.2 **विद्युत की मात्राः** खरीदी जाने वाली विद्युत, विद्युत (मेगावाट)के संदर्भ में होगी।

7.2.1 विद्युत संदर्भ (मेगावाट) में खरीदः

क. विद्युत (मेगावाट) संदर्भ में खरीद के मामले में, क्षमता उपयोगिता घटक (सीयूएफ) की रेंज को बोली दस्तावेज में इंगित किया जाएगा। सीयूएफ की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी। यदि परियोजना न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा से कम ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति करती है, तो एचपीजी का खरीददार कोउपलब्धता में ऐसे संविदा किए गए सीयूएफ स्तर से कमी के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।इस प्रकार के दंड की राशि,पीपीए की शर्तों के अनुसार, ऊर्जा के संदर्भ में कमी के लिए पीपीए टैरिफ के डेढ़ गुना की दर पर होगी।

ख. यदि किसी मामले में ऊर्जा की उपलब्धता निर्दिष्ट अधिकतम वार्षिक सीयूएफ से अधिक है तो एचपीजी इसको किसी अन्य कंपनी को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि इस को मना करने का प्रथम अधिकार खरीददार(रों) का होगा। खरीददार अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अस्वीकृति प्रदान करेगा, जिसके बाद, इसे अस्वीकार माना जाएगा। यदि किसी मामले में, खरीददार विद्युत उत्पादन की अधिक मात्रा को खरीद लेता है, तो वह उसको पीपीए टैरिफ के अनुसार खरीदेगा, और आरएफएस दस्तावेज में इस आशय का प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

ग. एचपीजी, खरीददार(रों) (अधिकतम सीयूएफ के भीतर) को डे अहैड आधार पर प्रस्तावित की गई, परंतु खरीददार(रों) द्वारा अगले दिन के लिए शिड्यूल नहीं की गई विद्युत, की बिक्री,खरीददार(रों) से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बिना किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को कर सकेगा।

7.2.2. गैर-निष्पादन के लिए शास्ति आरएफएस में निर्दिष्ट अनुसार होगी।विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसीज़ज़)/राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसीज़) (अंतःक्षेपण, हस्तक्षेप और खरीददार एसएलडीसी/आरएलडीसी सहित) पर शेड्युलिंग और उसकी पंचिंग की जिम्मेवारी केवल एचपीजी की होगी।

7.2.3. विचलन समाधान तंत्र (डीएसएम):निर्धारित समय से विचलनों के लिए, मौजूदा विनियमों के अनुसार, डीएसएम (विचलन समाधान तंत्र) लागू होगा। उत्पादक पर डीएसएम प्रभारों का भुगतानएचपीजी द्वारा किया जाएगा।

7.3 भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम)

विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामले) नियमावली, 2022 और समय-समय पर जारी इसके संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों सहित, पर्याप्त भुगतान सुरक्षा का प्रावधान, यदि कोई हो, किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ खरीददार भुगतान सुरक्षा निधि का रखरखाव करेगा। निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु,विकासकर्ता को प्रति यूनिट 2 पैसे की दर से पीएसएम प्रभारों का भुगतान करने का वचन देना होगा।

7.4 विधि में परिवर्तनः

विधि में परिवर्तन संबंधी प्रावधान विद्युत मंत्रालय की दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021 के अनुसार होंगे जिसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरण भी शामिल होंगे।

7.5 अप्रत्याशित घटनाः

पीपीए में,'अप्रत्याशित घटना'की परिभाषाओं, अपवादों, प्रयोज्यता और उद्योग मानकों के अनुसार अप्रत्याशित घटना के कारण, उपलब्ध राहत से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे। एचपीजी खरीददार को अप्रत्याशित घटना शुरु होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना घटित होने के बारे में सूचित करेगा और खरीददार सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके दावे का उत्तर देगा।

7.6 ऑफ-टेक बाधाओं के लिए उत्पादन मुआवजाः यदि खरीददार एचपीजी द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत का ऑफ-टेक नहीं करता है, तो शास्ति समय-समय पर यथासंशोधित, विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत के उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 के अनुसरण में, होगी।

7.6.1 ग्रिड अनुपलब्धता के कारण ऑफ-टेक बाधाएं: संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधियां हो सकती हैं जब संयंत्र विद्युत का उत्पादन तो कर सकता है, परंतु अस्थायी पारेषण अनुपलब्धता के कारण विद्युत की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके लिए एचपीजी जिम्मेवार नहीं होता। ऐसे मामलों में, खरीददार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन मुआवजे पर ध्यान दिया जाएगाः

ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि	उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान
किसी संविदा वर्ष में 50 घण्टों से अधिक के रूप में संविदा वर्ष में ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा = ***((टैरिफ X आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिड्यूल नहीं)) x 1000 x ग्रिड अनुपलब्धता के घण्टों की संख्या।*** *तथापि, तृतीय-पक्ष बिक्री अथवा विद्युत एक्सचेंज में बिक्री के मामले में, मूल्यग्राही के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों की कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।*

7.6.2 **ऑफ-टेक में कमी के मामले में भुगतानः**यदि संयंत्र विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध है परंतु खरीददार द्वारा विद्युत मंत्रालय की दिनांक 3 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022" और इससे संबंधित किसी स्पष्टीकरण या संशोधन, की अनुपालना न होने के कारण विद्युत डिस्पैच न होने सहित विद्युत ऑफ-टेक नहीं किया जाता है, तो आरई विद्युत के लिए 'मस्ट रन' स्थिति संबंधी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, खरीददार निम्नलिखित तरीके से घटे हुए ऑफ-टेक के अनुरूप एचपीजी को भुगतान करेगाः

ऑफ-टेक में कमी की अवधि	**उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान**
एक वर्ष में 50 घण्टों से अधिक की ऑफ-टेक में कमी, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा = ***((टैरिफ X आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिड्यूल नहीं)) x 1000 x ग्रिड ऑफटेक में कमी के घण्टों की संख्या।*** *तथापि, तृतीय-पक्ष बिक्री अथवा विद्युत एक्सचेंज में बिक्री के मामले में, मूल्यग्राही के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों की कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।*

7.6.3 मुआवजे का दावा करने के लिए, एचपीजी को एक मूल्यग्राही के रुप में, पावर एक्सचेंज में अपनी विद्युत बेचनी होगी। इस प्रकार, मुआवजा, घोषित क्षमता तक, वास्तविक उत्पादन के अन्तर तक सीमित होगा, जो अधिकतम संविदा की गई क्षमता और खरीददार द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा।

7.7 **चूक की स्थिति (इवेंट ऑफ डिफॉल्ट)**

(क) एससीएसडी से विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत में छह माह से अधिक के विलंब के लिए, उत्पादक को चूक की घटना हुई माना जाएगा और परिणाम खंड 15.5 के अनुसार होंगे।

(ख) यदि उत्पादक पीपीए में घोषित न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने में विफल रहता है, तो उत्पादकचूककर्ता होगा और पीपीए समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्पादक निर्धारित न्यूनतम सीयूएफ के साथ अपनी संविदात्मक क्षमता के लिए खरीददार को 24 (चौबीस) माह शेष पीपीए अवधि, जो भी कम हो, के टैरिफ के बराबर हर्जाना का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) यदि उत्पादक पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों का निर्वहन करता है अथवा प्रतिस्थापन करता है अथवा पीपीए का परित्याग करता है, अथवा पीपीए में यथा निर्धारित किसी प्रकार के अन्य कृत्य अथवा चूक करता है तथा पीपीए में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपचार अवधि के भीतर उपरोक्त किसी भी प्रकार का हल निकालने में असफल होता है, तो उत्पादक, खरीददार को, उसकी निर्धारित सीयूएफ के साथ संविदा की गई क्षमता के लिए, 24 (चौबीस) माह, अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के टैरिफ केसमतुल्य हर्जाने, का भुगतान करेगा। खरीददार को अधिकार होगा कि वह किसी भी अन्य कानूनी प्रक्रिया या उपचार के उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गारंटी, यदि कोई हो, जब्त करके उक्त हर्जाने की वसूली करे।

(घ) उपरोक्त अनुसार हर्जाने की वसूली के साथ-साथ, उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में, ऋणदाता, पीपीए में उपबंधित प्रतिस्थापन उपबंधों तथा खरीददारों की सहमति के अनुसार, प्रतिस्थापन के अपने अधिकार का प्रयोग करने का पात्र होगा।तथापि, यदिऋणदाता निर्धारित अवधि के भीतर, चूककर्ता उत्पादक के प्रतिस्थापन में असफल होते हैं, तो खरीददार पीपीए को समाप्त कर सकता है।

(ङ) यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार, अन्य बातों के साथ-साथ, आरएफएस अथवा पीपीए के समापन के अनुसरण में, देय राशियों के समय पर भुगतान में विफलता सहित अन्य कारणों से चूककर्ता है, तो उत्पादक अपने विवेकानुसार पीपीए को समाप्त कर सकता है। चूककर्ता खरीददार उत्पादक को, निर्धारित सीयूएफ के साथ उसकी संविदा की गई क्षमता के लिए 24 (चौबीस) माह, अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के प्रभारों केसमतुल्य, हर्जाने का भुगतान करेगा।

8. बोली प्रक्रिया

8.1 खरीददार/मध्यस्थ खरीददार एकल चरण दो-भाग (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) को अपनाते हुए बोलियां आमंत्रित करेगा, बोली प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई-बोली) के माध्यम से संचालित की जाएगी। तकनीकी बोली पहले खोली जाएगी। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्ह पाए जाएंगे। खरीदार बोलीदाताओं के अंतिम चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है, ऐसे मामले में, बोलियां आमंत्रित करने वाले नोटिस और बोली दस्तावेज़ में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। सफल ट्रैक रिकॉर्ड तथा पर्याप्त सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषताओं वाले ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

8.2 खरीददार बोलीदाताओं को, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, हाइब्रिड विद्युत परियोजना(ओं) की संस्थापना के लिए आरएफएस में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे।

8.3 विकासकर्ता, जिन्होंने पहले ही क्षमता संस्थापित कर ली है अथवा जिनके पास अतिरिक्त अबद्ध क्षमता है, वे भी इस बोली में भाग ले सकते हैं।

8.4 खरीददार(रों) द्वारा, आरएफएस, मसौदा पीपीए तथा मसौदा पीएसए (यदि लागू हो) सहित बोली दस्तावेज को, इन दिशानिर्देशों तथा एसबीडी, यदि कोई हो, तो उनके अनुरूप तैयार किया जाएगा।

8.5 खरीददार इसके व्यापक प्रचार के लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अथवा अपनी वेबसाइट में आरएफएस नोटिस प्रकाशित करेंगे।

8.6 खरीददार प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस का अवसर प्रदान करेंगे तथा किसी भी बोलीदाता के लिए बोली दस्तावेजों की लिखित व्याख्या उपलब्ध कराएंगे जिसे सभी अन्य बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सम्बद्ध पार्टियां पूरी तरह लिखित पत्राचार पर ही भरोसा करेंगी। बोली दस्तावेजों से संबंधित किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन को पर्याप्त जानकारी हेतु खरीददार(रों) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों के संबंध में किसी भी तरह के संशोधन या आशोधन जारी किए जाने पर बोलीदाताओं को, बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए, तब से कम से कम 7 (सात) दिनों का समय दिया जाएगा।

9. चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज

आरएफएस दस्तावेज में खरीददार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे और उनमें उपयुक्त रूप से विस्तार किया जा सकता है:

9.1 **बोली प्रभावनीयताः** बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह प्रभावनीय हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी करती होः

(क) बोलीदाता या उसका कोई भी सहयोगी किसी भी ऋणदाता का जान-बूझकर चूककर्ता न रहा हो।

(ख) बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अनुसार, किसी भी कंसोर्टियम सदस्य और उसके किसी भी सहयोगी सहित किसी भी बोलीदाता तथा उसके किसी भी सहयोगी, उनके निदेशकों को, भारत में किसी भी सरकारी एजेंसी अथवा प्राधिकरण द्वारा, बोलीदाता अथवा सदस्यों के अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा, जहां लागू हों अथवा उनके व्यवसाय के मूल स्थान के अधिकार क्षेत्र में, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि विश्व बैंक समूह, एशियन डेवलेपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलेपमेंट बैंक, इंटर-अमेरीकन डेवलेपमेंट बैंक,

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक आदि या संयुक्त राष्ट्र या इसकी किसी भी एजेंसियों को वर्जित नहीं किया जाना चाहिए।

9.2 बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली योग्यता अपेक्षाएं

9.2.1 **तकनीकी मानदंड:**

सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, खरीददार तकनीकी मानदंड का उल्लेख कर सकता है। ऐसे परियोजना विकासकर्ताओं, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय किए जाने चाहिएं ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।

9.2.2 **वित्तीय मानदंड**

क. निवल मूल्य

i). खरीददार(रों) आवश्यक योग्यता के भाग के रूप में निवल मूल्य के रूप में वित्तीय मानदंड का उल्लेख करेंगे। निवल मूल्य की आवश्यकता उस वर्ष, जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, के लिए परियोजना हेतु अनुमानित पूंजीगत लागत का कम से कम 20% अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड होनी चाहिए।

ii). उपरोक्त प्रयोजन के लिए विचार किए जाने वाला निवल मूल्य बोलीदाता कंपनी या संघ (कंसोर्टियम) का संचयी निवल मूल्य होगा, जिसमें बोलीदाता (ओं) की ऐसी सहायक कंपनियों का निवल मूल्य शामिल होगा जो आरएफएस दस्तावेज के अनुसार, बोलीदाता (ओं) के ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में अपेक्षित इक्विटी वित्तपोषण और कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियां देने का वचन देंगी।

iii). स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के लिए विचार किए जाने वाला निवल मूल्य कंपनी अधिनियम के अनुसार गणना किया गया कुल निवल मूल्य होगा।

ख. परिसमापनः आवश्यक है कि बोलीदाता के पास परियोजना के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह/आंतरिक प्राप्तियां हैं। तदनुसार, खरीददार वार्षिक टर्नओवर, आंतरिक संसाधन जुटाने, बोली लगाने की क्षमता इत्यादि जैसे उपयुक्त मापदंडों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

9.3 **बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्राः** खरीददार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी/भुगतान वचन पत्र के रूप में बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जो हाइब्रिड विद्युत परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत के दो प्रतिशत अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट किसी अन्य मापदंड से कम नहीं होगी। एचपीजी की निर्धारित समय अवधि के भीतर पीपीए का निष्पादन करने में विफलता के कारण, इन दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित, ईएमडी की जब्ती या डिबारिंग (निषेध) आदि की जाएगी।

9.4 **विदेशी बोलीदाताओं द्वारा कानूनों का अनुपालनः** यदि किसी विदेशी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो वह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)से संबंधित सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन करेगी।

10. बोली प्रस्तुत तथा मूल्यांकन करना:

10.1 बोलीदाताओं द्वारा संघ बनाने की अनुमति होगी, जिसमें यह संघ एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रक्रिया के दौरान समस्त पत्राचार के लिए संपर्क सूत्र होगा। खरीददार संघ के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड, तथा लॉक इन आवश्यकताओं का उल्लेख करेगा।

10.2 खरीददार बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए, कम से कम तीन सदस्यों की समिति (मूल्यांकन समिति) गठित करेंगे, जिसमें कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञ होगा।

10.3 बोलीदाताओं को तकनीकी और कीमत बोली अलग-अलग जमा करानी होगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ ईएमडी के रूप में आवश्यक बोली-गारंटी जमा करानी होगी।

10.4 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियां आरएफएस दस्तावेज में सभी मूल्यांकन मापदंडों के संबंध में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। आरएफएस में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली बोलियों पर ही, मूल्य बोली पर आगे मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

10.5 प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी। बोली के तीन प्रयासों के बावजूद, यदि पात्र पाए गए बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और खरीददार फिर भी बोली प्रक्रिया जारी रखना चाहता है, तो उपयुक्त आयोग की सहमति से ऐसा किया जा सकता है।

10.6 यदि मूल्य बोली मेंबोली संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो इसे निरस्त किया जाएगा। इस स्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः किसी स्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

10.7 आरएफएस में बोली के मूल्यांकन और बोलीदाता के चयन की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जाएगी।

11. बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय सारणी

11.1 बोली प्रक्रिया में, आरएफएस दस्तावेजों को जारी करने और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच 22 (बाइस) दिनों की न्यूनतम अवधि की अनुमति दी जाएगी। बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारिणी नीचे दिए अनुसार है:-

बोली प्रक्रिया के लिए संभावित समय-सारणी

क्र.सं.	कार्य वृतांत	शून्य तिथि से समय
1	दस्तावेज चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, परियोजना विशिष्ट मसौदा विद्युत क्रय करारों व अन्य मसौदा परियोजना करार और विद्युत विक्रय करार (पीएसए), यदि लागू हो, जारी करने की तारीख	शून्य तारीख
2	बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, स्थल, यदि खरीददार आदि द्वारा उल्लेख किया गया हो, सहित सभी परियोजना विशिष्ट विवरण साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटा कक्ष खोलना, और आरएफएस दस्तावेज में संशोधन करना।	**
3	आरएफएस बोली प्रस्तुत करना	22 दिन
4	तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन	64 दिन
5	वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन और ई-रिवर्स नीलामी करना	99 दिन
6	अवार्ड पत्र (एलओए) जारी करना	110 दिन
7	पीपीए और पीएसए (यदि लागू हो)पर हस्ताक्षर	140 दिन

***आरएफएस दस्तावेज में किसी बदलाव के मामले में, मध्यस्थ खरीददार इन दिशानिर्देशों के खंड 8.6 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय देगा।*

नोटः *यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि खरीददार उस कार्य से पहले पूरी की जाने हेतु अपेक्षित गतिविधियों की प्राप्ति में विलंब के कारण से बोली प्रक्रिया में किसी भी कार्य के लिए अधिक समय लगा देता है, इस तरह के समय विस्तार को किसी भी तरह से इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माना जाएगा।*

12. संविदा अवार्ड करना और समाप्त करना

12.1 पीपीए पर सफल बोलीदाता/परियोजना कंपनी या सफल बोलीदाता द्वारा निर्मित एसपीवी के हस्ताक्षर होंगे।

12.2 आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए खरीददार एक समिति का गठन करेगा। बोली प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति, गंभीरतापूर्वक गुणदोष की दृष्टि से बोलियों का मूल्यांकन करेगी और उपयुक्त रूप से यह प्रमाणित करेगी कि बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन आरएफएस के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं। मूल्यांकन प्राधिकारी को स्वयं यह संतुष्टि होनी चाहिए कि चयनित प्रस्ताव युक्तिसंगत तथा आवश्यकता के अनुरूप है। यदि उद्धृत दरें मौजूदा बाजार की कीमतों के अनुसार नहीं हैं, तो मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य की बोलियां रद्द करने का अधिकार होगा।

12.3 पारदर्शिता के प्रयोजन से, खरीददार, पीपीए के निष्पादन के पश्चात,सार्वजनिक रूप से सफल बोलीदाता (ओं) के नामों और घटकों के ब्यौरे, यदि कोई हों, के साथ उनके द्वारा अंकित टैरिफ का प्रकटन करेगा। यह सार्वजनिक प्रकटन अपेक्षित ब्यौरे कम-से-कम 30 दिनों के लिए खरीददार की वेबसाइट पर डालकर किया जाएगा।

12.4 अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा मध्यस्थ खरीददार, जैसा भी मामला हो,इन दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में, टैरिफ प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर, अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, समुचित आयोग द्वारा प्राप्त टैरिफ लागू करने के लिए समुचित आयोग से संपर्क करेगा।

12.5 यदि वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीददार जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, टैरिफ लागू करने के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क करता है, तो इस प्रकार के अनुरोध के साठ दिनों के भीतर या विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर जो भी अधिक हो, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इसे अपनाने/अनुमोदित करने में देरी (60 (साठ) से अधिक दिनों के विलंब अथवा विद्युत विक्रय करार (पीएसए) से 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक के विलम्ब, जो भी अधिक हो]के अनुसार, उत्पादकों को चालू करने के एससीएसडी में समुचित आयोग द्वारा अपनाए/अनुमोदन किए जाने की तिथि तक उचित विस्तार प्रदान करेगा।

13. बैंक गारंटियां/भुगतान पर आदेश संबंधी पत्र /वचन पत्र

एचपीजी को आरएफएस की शर्तों के अनुसार खरीददार को भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बैंक गारंटी/ वचन पत्र देना होगा।

13.1 खंड 9.3 के अनुसार **बयाना जमा राशि (ईएमडी),**आरएफएस की प्रतिक्रिया सहित निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

क) बैंक गारंटी (गारंटियां);

अथवा

ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)/आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से, आरएफएस के अनुसार, निविदा संबंधी शर्तों में एचपीजी के चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान पर आदेश संबंधी पत्र/वचन पत्र।

"भुगतान पर आदेश संबंधी पत्र" *का तात्पर्य भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं] से निविदा शर्तों/विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक से हुई चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए, वचन पत्र से है। इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाव किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के* "भुगतान पर आदेश संबंधी पत्र" *में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी के समान नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का वचन दिया जाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को विधिवत् प्रतिभूति प्रदान करके उत्पादक ऐसे पत्र*

(पत्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और आरईसी को छोड़कर किसी भी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बैंक से उपरोक्त या कोई अन्य "वचन पत्र"दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।

13.2 **निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)**खरीददार द्वारा निश्चित की जाएगी, किंतु उस वित्तीय वर्ष, जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, के लिए हाइब्रिड विद्युत परियोजना हेतु अनुमानित पूंजी लागत या पीपीए पर हस्ताक्षर के समय प्रस्तुत किये जाने वाले, आरएफएस में निर्दिष्ट किसी अन्य मानदंड के 5% (पांच प्रतिशत) से कम नहीं होगी और निम्नलिखित रूप में होगीः

(क) बैंक गारंटी (गारंटियां);

या

(ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से, निविदा संबंधी शर्तों के संदर्भ में एचपीजी की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान पर आदेश संबंधी पत्र";

13.3 अन्य सुधारों के साथ-साथ, यह पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदत्त कोई विकल्प) पीपीए के संदर्भ में उत्पादक की किन्हीं क्षतियों/देय राशियों की वसूली के लिए भुनाई जा सकती है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पीपीए के अंतर्गत उत्पादक की चूक होने पर पीबीजी को भुनाकर मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्राप्त की गई क्षतियों/देय राशियों को इन दिशानिर्देशों के खंड 7.3 के अंतर्गत मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्रबंध किए जाने वाले भुगतान सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा। पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध विकल्प) परियोजना के एससीएसडी के 45 दिनों के अंदर उत्पादक को वापस कर दिए जाएंगे। परियोजना की आंशिक क्षमता से विद्युत की आपूर्ति के चालू करने के मामले में, ऐसी आंशिक क्षमता के अनुसार पीबीजी 45 दिनों के अंदर वापस की जाएगी।

13.4 खरीददार(रों) "निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)" के रूप में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों को अवमुक्त कर सकता है, यदि उत्पादक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए इसके स्थान पर "भुगतान पर आदेश संबंधी पत्र"/वचन पत्र(त्रों) देने में सक्षम हो। उत्पादक कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पहले से रखी उनकी बैंक गारंटियों को बदलवाने के लिए उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को समुचित प्रतिभूति प्रदान करके ऐसे पत्र की मांग कर सकता है।

14. प्रमोटर द्वारा शेयरधारिता

14.1 सफल बोलीदाता, यदि वह एकल कंपनी है तो, यह सुनिश्चित करेगा कि एसपीवी/पीपीए निष्पादित करने वाली परियोजना कंपनी में उसकी हिस्सेदारी, खरीददार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष से पूर्व किसी भी समय, 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीदाता एक संघ है, तो खरीददार की पूर्व सहमति के अलावा एसपीवी/पीपीए का निष्पादन करने वाली कंपनी में समूह के सदस्यों की संयुक्त हिस्सेदारी एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष पूर्व किसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। तथापि, यदि सफल बोलीदाता स्वयं पीपीए निष्पादित करेगा, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रमोटर खरीददार की पूर्व अनुमति के अलावा एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष तक बोली लगाने वाली कंपनी/समूह का नियंत्रण[2] नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मामले में यह भी आवश्यक होगा कि सफल बोलीदाता खरीददार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपने प्रमोटरों तथा उनकी शेयरधारिता के बारे में जानकारी प्रदान करे।

---

[2] **'नियंत्रण'** का तात्पर्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का स्वामित्व या निदेशक मंडल के लिए अधिकतर निदेशकों को नियुक्त करने के अधिकार से होगा।

14.2 एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष की समाप्ति के बाद शेयरधारिता में किसी प्रकार के बदलाव को खरीददार को सूचना देकर किया जा सकता है।

14.3 यदि एचपीजी ऋणदाता (ओं) से चूक करे, तो ऋणदाता खरीददारों की सहमति से "प्रमोटर का प्रतिस्थापन" करने के हकदार होंगे।

15. विद्युत की आपूर्ति का आरंभ

15.1 हाइब्रिड विद्युत परियोजना और खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के बीच विद्युत क्रय करार स्पष्ट रूप से एससीएसडी और आपूर्ति की मात्रा को दर्शाएगा।

15.2. **आपूर्ति समय की शुरुआतः**

(क) विकासकर्ता/एचपीजी आम तौर पर विद्युत की आपूर्ति निम्नलिखित अवधि के भीतर आरंभ करेंगेः

i. जहां विकासकर्ता/एचपीजी को आवंटित मात्रा 1,000 मेगावाट से अधिक न हो,विद्युत क्रय करार के निष्पादन की तिथि से 24 (चौबीस) माह;

ii. जहां विकासकर्ता/एचपीजी को आवंटित मात्रा 1,000 मेगावाट से अधिक हो, विद्युत क्रय करार के निष्पादन की तिथि से 30 (तीस) माह;

(ख) तथापि, यदि किसी कारणवश, एससीएसडी अवधि को इन दिशानिर्देशों में की गई व्यवस्था से कम अथवा उच्चतर रखने की आवश्यकता है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है।

(ग) यह मान लिया गया है कि इन दिशानिर्देशों के खंड 12.5 के संदर्भ में, उपयुक्त आयोग द्वारा ऐसी प्रस्तुति के 60 दिनों या विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 दिनों, जो भी अधिक हो, के भीतर टैरिफ को अपनाया जाएगा। तथापि, इन दिशानिर्देशों में निहित किसी बात के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने में कोई देरी, जो प्रस्तुति के 60 दिन से ज्यादा या पीएसए के 120 दिन से ज्यादा, जो भी अधिक हो, के कारण एससीएसडी में तदनुसार विस्तार किया जाएगा।

15.3 **विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआतः**खरीददार द्वारा परियोजना से आपूर्ति की आंशिक शुरुआत इस शर्त के अधीन स्वीकार की जाएगी कि विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता परियोजना क्षमता का 50% या 50 मेगावाट, जो भी कम हो, उस हिस्से पर जिसने अभी तक विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है, पीपीए के संदर्भ में, जुर्माना लगाने के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना होगी। तथापि, अंतरराज्यीय परियोजना के मामले में, विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता कम से कम 50 मेगावाट की होगी। ये परियोजनाएं आगे चलकर, शेष क्षमता के रूप में अंतिम भाग के साथ, कम से कम 10 मेगावाट क्षमता के हिस्सों में विद्युत आपूर्ति शुरू कर सकती हैं।तथापि, विद्युत की आपूर्ति आंशिक रूप से शुरू होने के कारण एससीएसडी में परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत की आंशिक या पूर्ण आपूर्ति की तारीखों पर ध्यान दिए बिना, पीपीए, बोली में निर्दिष्ट अवधि के लिए, लागू रहेगा।

15.4 **विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआतः** बहुविध परियोजना घटकों के मामले में और यदि ऐसा एक या उससे अधिक घटक (पवन या सौर) ग्रिड में विद्युत के अंतक्षेपण के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यदि शेष घटक विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में असमर्थ होते हैं, तो उत्पादक को ऐसे घटक से विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी जाएगी जो पीपीए के परिधि से बाहर तैयार है, जिसमे ऐसी विद्युत के लिए अस्वीकृति का पहला अधिकार अंतिम खरीददार को दिया जाएगा। अंतिम खरीददार द्वारा ऐसी विद्युत की अस्वीकृति के बाद, अस्वीकृति का अधिकार मध्यस्थ खरीददार के पास होगा। यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार पीपीए से बाहर ऐसे अलग-अलग घटक (ओं) की विद्युत खरीदने का निर्णय लेते हैं, तो ऐसी विद्युत को लागू संविदा वर्ष के लिए पीपीए टैरिफ के 75% तक की सीमा तक खरीदी जाएगी या इस संबंध में निविदा दस्तावेजों में विशिष्ट प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे।

15.5 **विद्युत की आपूर्ति की शुरुआत में विलंबः** विद्युत की आपूर्ति की शुरुआत में विलंब,एससीएसडी के बाद, विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंब की स्थिति में एचपीजी पर शास्तियां लगाई जाएंगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

(क) विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में एससीएसडी से 6 (छह) माह तक की देरी के लिए, प्रतिदिन आधार पर और उस क्षमता, जिसमें विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई, के अनुपात में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), या वैकल्पिक साधनों का नकदीकरण।

(ख) एससीएसडी सेविद्युत की आपूर्ति शुरू करने में छह माह से अधिक के विलंब के लिएः

(i) संविदा की गई क्षमता उस परियोजना क्षमता तक घटाई जाएगी जिसने एससीएसडी +6 (छह) महीनों की अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति शुरू कर दी है।शेष संविदा की गई क्षमता, जिसने विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है, के लिए पीपीए समाप्त हो जाएगा।

(ii) एचपीजी को किसी भी खरीददार अथवा किसी मध्यस्थ खरीददार द्वारा जारी बोलियों में भाग लेने से निम्नलिखित अवधि के लिए वंचित किया जाएगा:

(क) प्रथम चूक के मामले में एक वर्ष के लिए

(ख) द्वितीय तथा तदंतर चूक के लिए 2 वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम के लिए

16. पारेषण कनेक्टिविटी

16.1 जीएनए विनियम के अधीन आईएसटीएस से पारेषण कनेक्टिविटी प्राप्त करने की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी और यह उत्पादक की लागत पर होगी।

16.2 मीटरिंग बिंदु, वे बिंदु होते हैं जिन पर खरीददार को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा को मापा जाएगा, वे सीटीयू/एसटीयू सब-स्टेशन के कम वोल्टेज वाले वे सिरे होंगे, जिन परसीटीयू/एसटीयू कीपारेषण प्रणाली में विद्युत डाली जाती है।आरई पार्कों के मामले में, मीटरिंग संबंधी बिंदु आईएसटीएस पूलिंग स्टेशन हैं, जिसके साथ सभी पूलिंग सब-स्टेशनों से आंतरिक पारेषण को जोड़ा जाता है। पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों (यदि कोई हों) और परियोजना तथा मीटरिंग बिंदु के बीच की क्षतियों सहित सभी खर्च का भुगतान खरीददार से किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के बगैर उत्पादकों द्वारा किया जाएगा। मीटरिंग बिंदु से आगे पारेषण और वितरण के संबंध में पारेषण व्हीलिंग प्रभारों (यदि कोई हों) और क्षतियों सहित सभी खर्च का वहन समुचित आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियम के अनुसार खरीददार द्वारा किया जाएगा।

17. राज्य नोडल एजेंसियों की भूमिका

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य नोडल एजेंसियां समयबद्ध तरीके से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी की सुविधा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति शुरू हो सके।इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सुविधा शामिल हो सकती है:

a. परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय

b. परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति शुरू करने के दौरान सहायता

c. रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए साइट सर्वेक्षण करना और उन्नयन प्रमाण पत्र जारी करना।

18. निष्पादन की निगरानी

सभी हाइब्रिड विद्युत परियोजनाएं पवन और सौर संसाधन आंकड़ोंतथा अन्य मौसम मापदंडों और विद्युत मापदंडों को लगातार मापने के लिए आवश्यक उपस्करसंस्थापित करेंगी।परियोजना के पूरे जीवनकाल के दौरान निष्पादन की निगरानी के लिए उन्हें ये आंकड़े ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीददार(रों), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई), राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) और/अथवा अन्य निर्दिष्ट एजेंसी को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सफल बोलीदाता को परियोजना की स्थिति की नियमित निगरानी के लिए, खरीददार(रों) द्वारा अपेक्षित जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। खरीददार परियोजना की नियमित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक मानक निगरानी टेम्पलेट/मापदंड विकसित कर सकते हैं।

19. दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन

यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के लिए इन दिशानिर्देशों से/अथवा एसबीडी से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रक्रिया की शुरुआत होने से पूर्व ही उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन होगा। उपयुक्त सरकार, ऐसी याचिका दायर करने के 60(साठ) दिनों के यथोचित समय के भीतर बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा या उनमें संशोधन की जरूरत बताएगा।

20. विवाद समाधान

ऐसी स्थिति में, जब सीईआरसी उपयुक्त आयोग है, तो टैरिफ में बदलाव का दावा करने या कोई टैरिफ निर्धारित करने या किसी टैरिफ संबंधी मामले या ऐसे मामले, जिनसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से टैरिफ में बदलाव हो सकते हैं, के संबंध में विवाद होने पर, सीईआरसी द्वारा फैसला किया जाएगा। अन्य सभी विवादों का समाधान सरकार द्वारा स्थापित माध्स्थम विवाद निवारण समिति द्वारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर भारतीय मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। यदि एसईआरसी/जेईआरसी उपयुक्त आयोग हो, तो सभी विवादों पर एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा निर्णय किया जाएगा अथवा एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

21. दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण और संशोधन

यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को लागू करने में या दिशानिर्देशों की व्याख्या में या दिशानिर्देशों के संशोधन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, तो विद्युत मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से ऐसा करने के लिए अधिकार प्राप्त है।

22. आईएसटीएस प्रभार और हानियां

विद्युत के पारेषण के संबंध में आईएसटीएस प्रभार और हानियां, जिसमें पवन विद्युत के लिए छूट सम्मिलित है, मौजूदा वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार होंगी।

हेमन्त कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 21st August 2023

Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Solar Hybrid Projects.

No. 27/03/2023-RCM.—1. BACKGROUND

1.1. It has been established that combining different sources of renewable energy reduces their individual variability and gives better output. It also results in more efficient utilization of transmission infrastructure and land resource. It is common knowledge that wind is better during morning and evening or night, complementing solar energy which peaks during daytime. Hybrid projects backed by storage facility can further enhance the quality of RE power.

1.2. MNRE issued Wind-Solar Hybrid Policy on 14.05.2018 (and issued amendment on 13.08.2018) with the objective to provide a framework for promotion of large grid connected wind-solar PV hybrid system for optimal and efficient utilization of transmission infrastructure and land, reducing the variability in renewable power generation and achieving better grid stability.

1.3. Section 63 of Electricity Act, 2003 promotes competition in the electricity sector and provides for adoption of the tariff by the Appropriate Commission if the same has been determined through transparent process of

bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government. The National Tariff Policy notified on 28 January 2016 also encourages the procurement of renewable power through competitive bidding to discover market-based tariff.

2. OBJECTIVES OF GUIDELINES

2.1. The specific objectives of these Guidelines are as follows:

a. To promote competitive procurement of electricity from grid connected wind solar hybrid power projects (hereafter termed as 'Hybrid Power Project'), by distribution licensees, to protect consumer interests;

b. To facilitate renewable capacity addition and fulfilment of Renewable Purchase Obligation (RPO) requirement of DISCOMs;

c. To facilitate transparency and fairness in procurement processes / and to provide for a standardised framework for an Intermediary Procurer as an Aggregator/Trader for the inter-state sale-purchase of long-term power at competitive prices in consumer interest; and

d. To provide a risk-sharing framework between various stakeholders and ensure reasonable returns to the investors involved in the wind solar hybrid power procurement, thereby encouraging further investments, enhanced bankability of the Projects and profitability for the investors.

3. APPLICABILITY OF GUIDELINES

3.1. These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long-term procurement of electricity through competitive bidding process, by Procurer(s), from Hybrid Power Projects having (a) bid capacity of 10 MW and above for projects connected to intra-state transmission system; and (b) bid capacity of 50 MW and above for projects connected to inter-state transmission system, subject to the condition that the rated power capacity of one resource (wind or solar) shall be at least 33% of the total contracted capacity.

3.2. The solar and wind projects of the hybrid project may be located at same or different locations.

3.3. Storage may be added to the hybrid power project:

a. to reduce the variability of output power from wind solar hybrid project;

b. providing higher energy output for a given capacity (bid/ sanctioned capacity) at delivery point, by installing additional capacity of wind and solar power in a wind solar hybrid project;

c. to ensure availability of firm power for a particular period.

3.4. The provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer, Authorised Representative and Intermediary Procurer. The process to be adopted in event of any deviation proposed from these Guidelines is specified in Clause 19of these Guidelines.

3.5. The power procured from the project may be used for fulfilment of RPO in the proportion of rated capacity of solar and wind power in the plant respectively.

3.6. Principles outlined in these Guidelines may be suitably detailed in the Standard Bidding Documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement].

3.7. Upon notification of these Guidelines in the Official Gazette, the erstwhile Guidelines notified vide No. 238/78/2017-Wind dated 14.10.2020and amendment thereto, shall not be applicable for bids issued subsequent to issuance of these Guidelines. However, the projects already awarded/ under implementation/ commissioned under the erstwhile Bidding Guidelines, will continue to be governed by those Guidelines and will not be covered under these Guidelines. In case there are any ongoing bids wherein the last date of bid submission is after the date of notification of these Guidelines, then the bid documents in respect of such bids shall be appropriately modified to bring them in alignment with these Guidelines.

4. EXPLANATION / DEFINITION:

a. **Procurer(s):** The term 'Procurer(s)', as the context may require, shall mean the distribution licensee(s), or their Authorized Representative, or an Intermediary procurer.

b. **Authorized Representative of the Procurer(s):** In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing agency and the agency carrying out the tendering / bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall be deemed to be the Authorized Representative of the ‘Procurer’ and shall, on behalf of the Procurer, be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the ‘Procurer’ during the bidding phase, in accordance with these Guidelines.

c. **Intermediary Procurer**

i. In some cases, an intermediary, as designated by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, or a State Government, may be tasked to aggregate the power purchased from different generators and sell it to the distribution licensee(s) / consuming entities / open access consumers. In such cases, the distribution licensee(s) / consuming entities / open access consumers shall be the "End Procurer" and the intermediary shall be "Intermediary Procurer" for the purposes of these Guidelines.

ii. The Intermediary Procurer shall enter into a Power Purchase Agreement (PPA) with the Hybrid Power Generator(s) and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back-to-back basis. Trading margin of Rs. 0.07 / kWh shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer.

iii. As long as the Intermediary Procurer follows these Guidelines for procurement of hybrid power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of hybrid power.

d. **'Hybrid Power Generator (HPG)/ Generator':** The term 'Hybrid Power Generator/ Generator', wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of electricity generated through a Wind Solar Hybrid power generating station.

e. **Scheduled Commencement of Supply Date (SCSD):** Scheduled Commencement of Supply Date (SCSD) in relation to the contracted capacity or the part of the contracted capacity shall mean the date(s) corresponding to the date of commencement of supply quoted in the RfS (Request for Selection).

5. PREPARATION FOR INVITING BID AND PROJECT PREPAREDNESS

The Procurer shall meet the following conditions:

5.1. **Bid Documentation:**

a) The Procurer shall prepare the bid documents in accordance with these Guidelines.

Any deviations from these Guidelines and/or Standard Bidding Documents (SBDs) in the draft RfS, draft PPA, draft PSA (if applicable) need to be approved by the Government in accordance with the process described in Clause 19 of these Guidelines.

However, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines.

5.2. **Arrangements related to Commencement of Supply:**

The RfS may specify additional milestones for the project with respect to land acquisition, connectivity etc. as well as regular reporting requirements by the HPG and shall specify penalties with respect to non-compliance with such milestones/requirements. Obtaining all clearances, permits, licenses including arrangement of land and connectivity to the Grid and access (if applicable) prior to scheduled date of commencement of supply of power shall be the responsibility of the HPG and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining such clearances, permits, licenses etc.

6. BID STRUCTURE

6.1. **Bid Size:** The Procurer will invite the bids in Power Capacity (MW) terms**.** A bidder is allowed to bid for a minimum bid capacity as per Clause 3.1 of the Guidelines. The Procurer may also choose to specify the maximum capacity that can be allotted to a single bidder including its Affiliates[1].

6.2. **Bidding Parameters:**

6.2.1. For procurement of wind solar hybrid power, the tariff quoted by the bidder shall be the bidding parameter. The tariff quoted shall be fixed tariff in Rs./kWh for PPA period.

6.2.2. The capacity allocation shall be on the basis of Bucket filling i.e. capacity quoted by least quoted tariff bidder (called the L1 bidder) at the rates quoted (L1 rates) shall be allocated first, then the capacity quoted by the next lowest bidder (called the L2 bidder) at the rates quoted (called the L2 rates) may be allocated and so on.

---

[1]**Affiliate** in relation to a Company shall mean a person who controls, is controlled by, or is under the commoncontrol with such Company. The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.

However, the allocation will only be made to the bidders whose bid falls within a pre-defined "Range" from the L1 tariff, as stipulated in the RfS. Thus, after arranging the bidders in the ascending order of tariff, the Project capacities will be awarded only to those bidders whose final price bids are within a range of "L1+x%", in terms of Rs/kWh; while the value of "x" generally be two (2) to five (5) and shall be fixed in the RfS."

6.2.3. The procurer may also opt for reverse auction for final selection of bidders, in such a case, this will be specifically mentioned in the notice inviting bids and bid document. The procurer may disclose in the RfS, the prevailing incentives available to the HPGs.

6.2.4. A maximum of 50 percent of total capacity as specified in RfScan be allocated to a single bidder.

7. POWER PURCHASE AGREEMENT

The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of the PPA shall include *inter alia* the following, which, unless otherwise specified herein, shall be provided for, on a back-to-back basis in the PSA:

7.1. **PPA Period:** The PPA period shall generally be for a period of 20 (twenty) years from the date of the SCSD or from the rescheduled date of commencement of supply to the extent of extension given by the Procurer on the grounds which are beyond control of the HPG. The PPA may, however, also be fixed for a longer period such as 25 (twenty-five) years.The duration of the PPA must be mentioned upfront in the RfS document. The developers shall be free to operate their plants after the expiry of the PPA period. The developer may upgrade and repower their plants during the PPA period at its own risk and cost; and participate in subsequent bids to the extent of their untied capacity. Developers who have already installed wind solar hybrid power plants or are in the process of constructing such plants and have untied capacity may also participate in the bid. In such case, they will be given the benefit of a longer period of PPA, commensurate to the duration between the actual date of commencement of supply of power and SCSD.

7.2. **Quantum of Power:** The procurement of power will be in power (MW) terms**.**

7.2.1. Procurement in Power Terms (MW):

a. In case of procurement in power (MW) terms, the range of Capacity Utilisation Factor (CUF) will be indicated in the bidding documents. Calculation of CUF will be on yearly basis. In case the project generates and supplies energy less than the energy corresponding to the minimum CUF, the HPG will be liable to pay to the Procurer, penalty for the shortfall in availability below such contracted CUF level. The amount of such penalty will be equal to one and a half times of the PPA tariff for the shortfall in energy terms, in accordance with the terms of the PPA.

b. In case of availability of energy more than the maximum annual CUF specified, HPG will be free to sell it to any other entity provided first right of refusal will vest with the Procurer(s). The Procurer(s) shall provide refusal within 15 days from the receipts of the request, beyond which it would be considered as deemed refusal. In case the Procurer purchases the excess generation, the same may be done at the PPA tariff, and provision to this effect shall be clearly indicated in the RfS document.

c. The HPG may also sell the power which was offered on day ahead basis to the procurer(s) (within maximum CUF) but not scheduled by the Procurer(s), to any third party or power exchange without requiring NOC from the Procurer(s).

7.2.2. The penalty for non-performance shall be as specified in the RfS. The scheduling and its punching thereof at different Regional Load Despatch Centres (RLDCs) / State Load Despatch Centres (SLDCs) (including the injecting, intervening and buyer SLDCs / RLDCs) shall be the responsibility of HPG only.

7.2.3. **Deviation Settlement Mechanism (DSM):** For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. The DSM charges at the generator ends shall be settled by the HPG.

7.3. **Payment Security Mechanism (PSM)**

Adequate payment security shall be provided as per Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 including amendments and clarification, if any, thereof, issued from time to time. In addition, the intermediary procurer may maintain a payment security fund. To be eligible for coverage from the fund the developer will undertake to pay PSM charges at the rate of 2 paise per unit.

7.4. **Change in Law**

The provisions for Change in Law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Ministry of Power vide notification dated 22nd October 2021 including amendments and clarification thereof issued from time to time.

7.5. **Force Majeure**

The PPA shall contain provisions with regard to force majeure definitions, exclusions, applicability, and available relief on account of force majeure, as per the industry standards. The HPG shall intimate the Procurer about the occurrence of force majeure within 15 (fifteen) days of the start of the force majeure and the Procurer shall respond on his claim within 15 days of the receipt of the intimation.

7.6. **Generation Compensation for Off-take Constraints:** If the Procurer does not off-take power scheduled by HPG, the penalty shall be in accordance with the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021, as amended from time to time.

7.6.1. **Offtake constraints due to Grid Unavailability:**

A DURING THE OPERATION OF THE PLANT, THERE CAN BE SOME PERIODS WHERE THE PLANT CAN GENERATE POWER BUT DUE TO TEMPORARY TRANSMISSION UNAVAILABILITY THE POWER IS NOT EVACUATED, FOR REASONS NOT ATTRIBUTABLE TO THE HPG. IN SUCH CASES THE GENERATION COMPENSATION SHALL BE ADDRESSED BY THE PROCURER IN FOLLOWING MANNER:

Duration of Grid unavailability	**Provision for Generation Compensation**
Grid unavailability in a contract year as beyond 50 hours in a Contract Year as defined in the PPA:	Generation Compensation = ***((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer)) X 1000X No. of hours of grid unavailability.*** *However, in the case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realized, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.*

7.6.2. **Payment in case of reduced offtake:**

B IN CASE THE PLANT IS AVAILABLE TO SUPPLY POWER BUT THE OFF TAKE OF POWER IS NOT DONE BY THE PROCURER, INCLUDING NON-DISPATCH OF POWER DUE TO NON-COMPLIANCE WITH “ELECTRICITY (LATE PAYMENT SURCHARGE AND RELATED MATTERS) RULES, 2022 NOTIFIED BY THE MINISTRY OF POWER VIDE GAZETTE NOTIFICATION DATED 3RD JUNE 2022” AND ANY CLARIFICATIONS OR AMENDMENT THERETO, CONSIDERING THE PRINCIPLE OF ‘MUST RUN’ STATUS FOR RE POWER, THE PROCURER SHALL PAY TO THE HPG, CORRESPONDING TO THE REDUCED OFF TAKE, IN TERMS OF FOLLOWING MANNER:

Duration of Reduced Offtake	**Provision for Generation Compensation**
Reduced off-take beyond 50 hours in a year, as defined in the PPA	Generation Compensation = ***((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer)) X 1000 X No. of hours of Reduced Offtake.*** *However, in the case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realized, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.*

7.6.3. For claiming compensation, the HPG must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer.

7.7. **Event of Default:**

a. For Delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the generator event of default shall be construed to have occurred and consequences shall be in accordance with Clause 15.5.

b. In the event the Generator fails to maintain energy supply corresponding to the minimum CUF as declared in the PPA, the Generator shall be in default and the PPA shall be liable to be terminated. Further, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF.

c. In the event that the Generator assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Generator shall pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated CUF. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.

d. In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution provisions provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA.

e. If the Procurer / Intermediary procurer is in default on account of reasons including *inter alia* failure in timely payment of the dues, in accordance with the RfS or repudiation of the PPA, the Generator may terminate the PPA and at its discretion. The defaulting Procurer shall pay to the Generator, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity with the stipulated CUF.

8. BIDDING PROCESS

8.1. Procurer/intermediary procurer shall call for the bids adopting a single stage two-part (Technical Bid & Financial Bid) bidding process to be conducted through electronic mode (e-bidding). The technical bid shall be opened first. The financial bids of only those bidders who qualify in the technical bid shall be opened. The procurer may also opt for e-reverse auction for final selection of bidders, in such a case, this will be specifically mentioned in the notice inviting bids and bid document. E-procurement platforms with a successful track record and with adequate safety, security and confidentiality features will be used.

8.2. Procurer(s) shall invite the bidders to participate in the RfS for installation of Hybrid Power Project(s) in terms of these Guidelines.

8.3. Developers who have already set up capacity or who have spare untied capacity may also participate in the bid.

8.4. The bidding documents including the RfS, draft PPA and draft PSA (if applicable) shall be prepared by Procurer(s) in consonance with these Guidelines and the SBDs, if any.

8.5. Procurer(s) shall publish the RfS notice in at least two national newspapers orits own website, to accord wide publicity.

8.6. Procurer(s) shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders and shall provide written interpretation of the bid documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on the written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the website of Procurer(s) for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 (seven) days therefrom, for submission of bids.

9. REQUEST FOR SELECTION (RFS) DOCUMENT

The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfS shall include the following:

9.1. **Bid Responsiveness:** The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including inter-alia ~

a. bidder or any of its Affiliates is not a wilful defaulter to any lender.

b. As on last date of bid submission, the Bidder & any of its Affiliate including any Consortium Member & any of its Affiliate, their directors should not have been barred by any government agency or authority in India, the government of the jurisdiction of the Bidder or Members where they are incorporated or the jurisdiction of their principal place of business, any international financial institution such as the World Bank Group, Asian Development Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank etc or the United Nations or any of its agencies.

9.2. **Qualification requirements to be met by the bidders:**

9.2.1. Technical Criteria:

The Government would like to encourage competition by way increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Criteria.

Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved.

9.2.2. **Financial Criteria:**

a. **Networth:**

i. Procurer(s) shall specify financial criteria in the form of networth as a part of the qualification requirement. The net-worth requirement should be at least 20% of the Estimated Capital Cost for project for the year in which bids are invited or any other criteria specified in the RfS.

ii. The net worth to be considered for the above purpose will be the cumulative net-worth of the bidding company or consortium, together with the net- worth of those Affiliates of the bidder(s) that undertake to contribute the required equity funding and performance bank guarantees in case the bidder(s) fail to do so in accordance with the RfS document.

iii. It is clarified that the net-worth to be considered for this clause will be the total net-worth as calculated in accordance with the Companies Act.

b. **Liquidity:** It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals to manage the fund requirements for the project. Accordingly, Procurer(s) may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bidding capacity, etc.

9.3. **Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD):**Procurer(s) will specify the quantum of the Earnest Money Deposit (EMD), which shall not be less than two percent of the estimated capital cost of the hybrid power project or any other criteria specified in the RfS, in the form of a bank guarantee / letter of undertaking to pay , to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or debarring etc., as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the HPG to execute the PPA within the stipulated time period.

9.4. **Compliance of Laws by foreign bidders:** In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment (FDI) in India.

10. BID SUBMISSION AND EVALUATION

10.1. Formation of consortium by bidders shall be permitted, in which case the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bidding process. Procurer(s) may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium.

10.2. Procurer(s) shall constitute committee for evaluation of the bids (Evaluation Committee), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters/ bid evaluation.

10.3. The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. Bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an EMD along with the bids.

10.4. The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS shall be considered for further evaluation on the price bids.

10.5. To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders should be two. If the number of qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.

10.6. The price bid shall be rejected, if it contains any deviation from the bid conditions. No clarifications shall normally be requested from bidders at this stage.

10.7. The detailed procedure for evaluation of the bid and selection of the bidder shall be provided for in the RfS.

11. INDICATIVE TIMETABLE FOR BID PROCESS

11.1. In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty-two) days shall be allowed between the issuance of RfS documents and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is as below.

Tentative Timetable for Bid Process

Sl. No.	Event	Time from Zero date
1.	Date of issue of Request for Selection (RfS) document, Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the Power Sale Agreement (PSA), if applicable	Zero date

2.	Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc., and revision of RfS document	**
3.	RfS bid submission	22 days
4.	Evaluation of technical bids	64 days
5.	Evaluation of financial bids and conduction of e-Reverse Auction	99 days
6.	Issuance of Letter of Award (LoA)	110 days
7.	Signing of PPA and the PSA (if applicable)	140 days

*** In case of any change in RfS document, the Intermediary Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with clause 8.6 of these Guidelines.*

***Note:** It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be construed as deviation from these Guidelines.*

12. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION

12.1. The PPA shall be signed with the successful Bidder/ Project Company or an SPV formed by the successful Bidder.

12.2. The procurer shall constitute a committee for evaluation of the RfS bids. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS document. The evaluation authority should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the requirement. The evaluation committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned to the prevailing market prices.

12.3. For the purpose of transparency, Procurer(s) shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful Bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on Procurer’s website for at least 30 (thirty) days.

12.4. Subject to provisions of the Act, the distribution licenseeor the Intermediary Procurer, as the case may be, shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs by the Appropriate Commission in terms of Section 63 of the Act within 15 (fifteen) days of the discovery of the tariffs in the transparent competitive bidding process conducted in accordance with these Guidelines.

12.5. Subsequent to the distribution licensee or Intermediary Procurer, as the case may be, approaching the Appropriate Commission for adoption of tariffs under Section 63 of the Act, in case, the Appropriate Commission does not decide upon the same within sixty days of such submission or within 120 (one hundred and twenty) days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more, the Procurer(s) shall grant appropriate extension of time in SCSD to the generators, corresponding to the delay [beyond 60 (sixty) days of submission or 120 (one hundred and twenty) days of PSA whichever is more] in adoption / approval by the Appropriate Commission till the date of adoption/ approval by the Appropriate Commission.

13. BANK GUARANTEES/ PAYMENT ON ORDER INSTRUMENTS / LETTERS OF UNDERTAKING

The HPG shall provide the following bank guarantees/ letters of undertaking to pay to the Procurer in terms of the RfS:

13.1. **Earnest Money Deposit (EMD)**as per Clause 9.3 to be submitted along with response to RfS in the form of:

a. Bank Guarantee(s);

OR

b. "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case of default of HPG in terms of tender condition, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC).

"Payment on Order instrument" means Letter of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) / Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC.

13.2. **Performance Bank Guarantee (PBG)**to be fixed by the Procurer, but not to be less than 5% (five per cent) of the Estimated Capital Cost for Hybrid Power Project for the financial year in which the bids are invited, or any other criteria specified in the RfS, to be submitted at the time of signing of the PPA, in the form of:

a. Bank Guarantee(s);

OR

b. "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case of default of HPG in terms of tender condition, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC).

13.3. In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under clause 7.3 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the SCSD the project. In case of commencement of supply of power from part capacity of the project, PBG corresponding to such part capacity should be released within 45 days.

13.4. Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a generator as ‘Performance Bank Guarantee (PBG)’, if the generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking to pay in case situation of default of generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC). Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three nonbanking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the implementing agencies.

14. SHAREHOLDING BY THE PROMOTER

14.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. However, in case the successful bidder shall be itself executing the PPA, then it shall ensure that its promoters shall not cede control[2] till 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.

14.2. Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the SCSDcan be undertaken under intimation to Procurer.

14.3. In the event the HPG is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake 'Substitution of Promoter' in concurrence with the Procurers.

15. COMMENCEMENT OF SUPPLY OF POWER

15.1. The Power Purchase Agreement between the Hybrid Power Project and Procurer / Intermediate procurer shall clearly indicate the SCSD and quantum of supply.

---

[2]'**Control**' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50 per cent of the voting shares of such Company, or right to appoint majority Directors to the Board of Directors.

15.2. **Commencement of Supply Schedule:**

a. The developer/ HPG shall generally commence supply of power, within a period of:

i. 24 (twenty-four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, where the quantum allotted to the Developer/ HPG is not more than 1,000 MW;

ii. 30 (thirty) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, where the quantum allotted to the Developer/ HPG is more than 1,000 MW.

b. However, if for some reason, the SCSD period needs to be kept shorter or longer than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

c. It is presumed that in terms of Clause 12.5 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission or within 120 days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 days of submission or 120 days of PSA whichever is more, shall entail a corresponding extension in SCSD.

15.3. **Part Commencement of Supply of Power:** Part Commencement of supply of from the Project shall be accepted by Procurer subject to the condition that the minimum capacity for acceptance of commencement of supply of power shall be 50% of Project Capacity or 50 MW, whichever is lower, without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which has not yet commenced supply of power. However, in case of inter-state project, minimum capacity for acceptance of commencement of supply of power shall be at least 50 MW. The projects can further commence supply of power in parts of at least 10 MW capacity; with last part as the balance capacity. However, the SCSD will not get altered due to part commencement of supply of power. Irrespective of dates of part or full commencement of supply of power, the PPA will remain in force for the period specified in the bid.

15.4. **Early Commencement of Supply of Power:** In case of multiple project components and if one or more such component (wind or solar) is ready for injection of power into the grid, but the remaining component is unable to commence supply of power, the Generator will be allowed to commence supply of power from such component which is ready outside the ambit of PPA, with first right of refusal for such power being vested with the End Procurer. Subsequent to refusal of such power by the End Procurer, the right of refusal shall vest with the Intermediary Procurer. In case the Procurer/ Intermediary Procurer decides to buy such discrete component(s) power outside the PPA, such power shall be purchased at up to 75% of the PPA Tariff for the applicable Contract Year or specific provisions in this regard will be stipulated in the tender documents.

15.5. **Delay in Commencement of Supply of Power:** Delay in commencement of supply of power, beyond the SCSD shall involve penalties on the HPG, as detailed below:

a. For Delay in commencement of supply of power up to 6 (six) months from SCSD, encashment of Performance Bank Guarantee (PBG), or alternate instruments, on per day basis and proportionate to the capacity that has not commenced supply of power.

b. For Delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD:

i. The contracted capacity shall stand reduced to the project capacity that has commenced supply of power within the period of SCSD plus 6 (six) months. The PPA for the balance contracted capacity that has not commenced supply of power shall stand terminated.

ii. The HPG shall be debarred from participating in bids issued by any procurer, or any intermediary procurer for the following period:

a. For one year, in case of first default

b. For not less than 2 years, and not more than 3 years for second and any subsequent defaults

16. TRANSMISSION CONNECTIVITY

16.1. The responsibility of getting Transmission Connectivity to ISTS network under GNA regulation will lie with the Generator and shall be at the cost of Generator.

16.2. The Metering Points, which are the points at which energy supplied to the Procurer shall be measured, shall be the low voltage side of the CTU / STU substation at which power is injected in the transmission system of CTU / STU. All expenses including wheeling charges and losses between the Project and the Metering Point shall be paid by the Generators without any reimbursement by the Procurer. All expenses including transmission / wheeling charges (if any) and losses in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by the Procurer(s) as per the regulation notified by the Appropriate Commission from time to time.

17. ROLE OF STATE NODAL AGENCIES

The State Nodal Agencies appointed by respective State Governments will provide necessary support to facilitate the required approvals and sanctions in a time bound manner so as to achieve commencement of supply of power from the projects within the scheduled timeline. This may include facilitation in the following areas:

- Coordination among various State and Central agencies for speedy implementation of projects.
- Support during commencement of supply of power from the projects.
- Carry out the site survey and issuance of elevation certificate for attainment of No Objection Certificate (NoC) from the Ministry of Defence.

18. PERFORMANCE MONITORING

All Hybrid Power Projects shall install necessary equipment to continuously measure wind and solar resource data and other weather parameters and electrical parameters. They are required to submit this data through online portal to Procurer(s), National Institute of Wind Energy (NIWE), National Institute of Solar Energy (NISE) and/ or other designated agency for monitoring the performance for the entire life of the project.

In addition to the above, the Successful Bidder shall also submit information, as required by Procurer(s), for regular monitoring of status of the project. Procurer(s) may develop a standard monitoring template /parameter for capturing regular progress of the project.

19. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES

In case it becomes imperative for the Procurer/intermediate procurer to deviate from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Government before the initiation of bidding process itself. The Appropriate Government shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days.

20. DISPUTE RESOLUTION

In the event CERC is the Appropriate Commission, any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by arbitration Dispute Resolution Committee set up by the Government, failing which by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC / JERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC / JERC or shall be referred for arbitration by the SERC / JERC.

21. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, the Ministry of Power is empowered to do the same in consultation with the Ministry of New & Renewable Energy.

22. ISTS CHARGES AND LOSSES

ISTS charges and losses on transmission of power, including waiver for wind power, shall be as per extant rules and regulations.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251731
CG-DL-E-02022024-251731

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

ग्रिड कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2024-एनआरई.—ग्रिड कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों को दिनांक 28 जुलाई, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1 खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/01/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

2. केंद्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 13.3 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

खंड 13.3: विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत में विलंब :

खंड 13.3 (ख) (ii) हटा दिया गया माना जाए।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आर एंड आर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd February, 2024

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

No. 48-19/2/2024-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projectshave been notified vide Resolution No. 27/01/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part 1 Section 1) on 28thJuly 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 28th July, 2023:-

Clause 13.3 of the existing guidelines is modified as follows :-

Clause 13.3:Delay in Commencement of Supply of Power:

Clause 13.3 (b) (ii) shall stand deleted.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112023-250123
CG-DL-E-18112023-250123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] **नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945**
No. 292] **NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945**

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली,17 नवम्बर, 2023

ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2023-एनआरई.—ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजना से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देश 28 जुलाई, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग I, खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/01/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।

2. केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 13.5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है,

खंड 13.5: विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआत:

सौर विद्युत उत्पादक को एससीएसडी से पहले भी अनुबंधित क्षमता के पूर्ण और आंशिक भाग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। विकासकर्ता पूर्ण या आंशिक क्षमता के अग्रिम रूप से चालू होने के संबंध में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों को पंद्रह (15) दिन का अग्रिम नोटिस देगा। अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार नोटिस के तामील होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी विद्युत का लाभ उठाने के लिए स्वीकृति देंगे। यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए निर्धारित

अवधि के भीतर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो विकासकर्ता अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा स्वीकार न की गई सीमा तक विद्युत को विद्युत एक्सचेंजों में या द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से बेच सकता है।

परंतु यह कि यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं, तो अंतिम खरीददार (खरीददारों) को ऐसी विद्युत प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा देय टैरिफ पीपीए टैरिफ के बराबर होगा।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 17th November, 2023

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

No. 48-19/2/2023-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified vide Resolution No. 27/01/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 28thJuly 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 28th July, 2023:-

Clause 13.5 of the existing guidelines is substituted with the following,

Clause 13.5: Early Commencement of Supply of Power:

The Solar Power Generator shall be permitted for commencement of supply of power corresponding to full as well as part contracted capacity, even prior to the SCSD. The developer shall give fifteen (15) days advance notice to both End Procurer(s) and Intermediary Procurer regarding the advance commissioning of full or part capacity. The End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall give acceptance for availing such power within15 days from the date of service of notice. In case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer do not give their acceptance to purchase power within the stipulated period, the developer can sell the power to the extent not accepted by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer in the power exchanges or through bilateral arrangements.

Provided that in case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer give their acceptance to purchase power, the End Procurer(s) will be accorded priority in availing such power.

Provided further that in such cases tariff payable by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall be equal to the PPA tariff.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247724
CG-DL-E-01082023-247724

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2023/श्रावण 6, 1945
No. 183] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2023/SHRAVANA 6, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2023

ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश

सं. 27/01/2023-आर सी एम .—1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना विद्युत अधिनियम, 2003 ('अधिनियम') के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विद्युत खरीद लागत वितरण लाइसेंसधारकों के लिए सबसे बड़ा लागत घटक है। वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बिजली की खरीद किए जाने से विद्युत की खरीद की समग्र लागत कम होने की संभावना है और इससे विद्युत बाजारों का विकास हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा होने से बिजली की कीमतों में कमी आई है और इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ हुआ है।

1.1.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 62 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ विनियमन और बिजली के उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान है।इसके अलावा, अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है किः-

"धारा 62 में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया गया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा।"

1.1.8 ये दिशानिर्देश टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऊर्जा भंडारण के साथ और उसके बिना, ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनों से खरीददारों द्वारा सौर विद्युत की खरीद को समर्थ बनाने के लिए अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गतजारी किए जा रहे हैं।

1.2 उद्देश्य

1.2.1 इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(क) वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा, सौर पीवी विद्युत संयंत्रों से बिजली की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देना।

(ख) सौर पीवी क्षमता में वृद्धि करने और डिस्कॉमों केनवीकरणीय क्रयदायित्व (आरपीओ)/ऊर्जा भंडारण दायित्व (ईएसओ) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करना।

(ग) विभिन्न हितधारकों के बीच उपयुक्त जोखिम हिस्सेदारी के साथ खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाके आधार पर एक पारदर्शी, निष्पक्ष, मानकीकृत खरीद फ्रेमवर्क प्रदान करना ताकि उपभोक्ता के हित में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विद्युत की खरीद हो सके, परियोजनाओं की बैंक ग्राह्यता में सुधार हो सके और निवेशकों के लिए उचित प्रतिफल सुनिश्चित हो सके; तथा

(घ) क्षेत्र को जोखिम रहित बनाने के लिए एक और उपाय के रूप में, विद्युत की अंतर-राज्यीय/अंतः-राज्यीय, दीर्घावधिक, बिक्री – खरीद के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना।

2. दिशानिर्देशों का कार्यक्षेत्र

2.1 दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

(क) ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से, ऊर्जा भंडारण के साथ और उसके बिना,सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं **('परियोजनाओं')** से,'खरीददारों' द्वारा सौर विद्युत की दीर्घावधि खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं।

(ख) आधिकारिक राजपत्र में इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना पर, पूर्ववर्ती "ग्रिड संबद्धसौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश" दिनांक 3 अगस्त, 2017 के संकल्प संख्या 23/27/2017-आर एंड आर के तहत जारी किए गएऔर दिनांक 14 जून, 2018 के संकल्प संख्या 23/27/2017-आर एंड आर, दिनांक 3 जनवरी, 2019 के संकल्प संख्या 23/27/2017-आर एंड आर, दिनांक 9 जुलाई, 2019 के संकल्प संख्या 23/27/2017- आर एंड आर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के संकल्प संख्या 283/57/2018-ग्रिड सौर और दिनांक 25 सितंबर, 2020 के संकल्प संख्या 283/57/2018-ग्रिड सौर के माध्यम से,उनमें संशोधन किया गया, जो इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद जारी की गई निविदाओं के लिए लागू नहीं होंगे।तथापि, पूर्ववर्ती बोली दिशानिर्देशों के अंतर्गत पहले से ही अवार्ड की गई/कार्यान्वयनाधीन/ आरंभ की गई परियोजनाएं, उन दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी और इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएंगी।यदि ऐसी कोई चालू बोलियां हैं जिनमें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के बाद है, तो ऐसी बोलियों के संबंध में निविदा दस्तावेजों को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

2.2 स्पष्टीकरण

(क) 'सौर': इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'सौर' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) प्रौद्योगिकी अथवा ऐसी प्रौद्योगिकी पर आधारित विद्युत संयंत्र के संदर्भ में होगा।

(ख) 'सौर विद्युत': इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'सौर विद्युत' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) के साथ और उसके बिना, जैसा भी मामला हो, सौर विद्युत उत्पादन प्रणालियों से विद्युत के संदर्भ में होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सौर विद्युत के अलावा किसी अन्य स्रोत के उपयोग से चार्ज की गई ईएसएस को सौर विद्युत माना जाएगा।

(ग) 'सौर विद्युत उत्पादक (एसपीजी)':

(i) इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'सौर विद्युत उत्पादक (एसपीजी) अथवा उत्पादक' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ और उसके बिनासौर विद्युत के उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में होगा।

(ii) बोलीदाता/विकासकर्ता चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) की शर्तों के अनुसार, भंडारण के साथ और उसके बिना जुड़ीसौर विद्युत की आपूर्ति के लिए सौर आधारित उत्पादन प्रणाली (प्रणालियां) उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। भंडारण घटक, यदि कोई हो, के लिए, या तो स्वयंबोलीदाता/विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को भंडारण क्षमता स्थापित करनी होगी अथवा परियोजना मानदंडों को पूरा करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकासकर्ताओं के साथ जुड़नाहोगाऔर इसके लिए, किसी विशेष निविदा में, एकल बोली प्रस्तुत करनी होगी।

(iii) उत्पादकऔर ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकासकर्ता के बीच संविदात्मक समझौता, यदि कोई हो, के बावजूद इन दिशानिर्देशों तथा उसके पीपीए के अंतर्गत विकासकर्ता से संबंधित सभी दायित्व पीपीए पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी के होंगे और उसे सौर विद्युत उत्पादक (एसपीजी) के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(घ) 'आरई पार्क': इन दिशानिर्देशों में, जहां कहीं भी 'आरई पार्क' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सौर-पवन हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं सहित,नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, विकसित क्षेत्रों अथवा पार्कों के संदर्भ में होगा।

(ङ) 'खरीददार': जैसाकि प्रसंग में अपेक्षितहै, 'खरीददार' शब्द से तात्पर्य वितरण लाइसेंसधारक (कों) अथवा अधिकृत प्रतिनिधि (यों) अथवा मध्यस्थ खरीददार से होगा।

(च) खरीददार का 'अधिकृत प्रतिनिधि': ऐसे मामलों में, जहां विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षरकर्ता एजेंसी और निविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी अलग-अलग हैं, तोनिविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी **'खरीददार'** की अधिकृत प्रतिनिधि मानी जाएगी और खरीददार की ओर से इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बोली प्रक्रिया चरण के दौरान 'खरीददार' पर लगाई गई सभी बाध्यताओं को पूरा करने की जिम्मेदार होगी।

(छ) 'मध्यस्थ खरीददार' और 'अंतिम खरीददार':

(i) कुछ मामलों में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित मध्यस्थ को विभिन्न सौर विद्युत उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत को समाकलित करने और उसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/उपभोगकर्ता कंपनियों/खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओंको बेचने का कार्य सौंपा जा सकता है। ऐसे मामलों में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी/उपभोगकर्ता कंपनियां/खुली पहुंच वाले उपभोक्ता "अंतिम खरीददार" होंगे और मध्यस्थ इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ 'मध्यस्थ खरीददार' होगा।

(ii) मध्यस्थ खरीददार सौर विद्युत उत्पादक के साथ एक विद्युत क्रय करार (पीपीए)करेगा और साथ ही, अंतिम खरीददार के साथ विद्युत विक्रय करार (पीएसए) भी करेगा। पीएसएमें साथ-साथ आधार पर पीपीए के सभी संगत प्रावधान भी शामिल होंगे। अंतिम खरीददार द्वारा मध्यस्थ खरीददार को 0.07 रु./किलोवाट घंटा का, ट्रेडिंग मार्जिन, भुगतान किया जाएगा।

(iii) जब तक मध्यस्थ खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाएगा, तब तक अंतिम खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया मान लिया जाएगा।

(ज) आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी): संविदात्मक क्षमता के संबंध में आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी) का तात्पर्य, आरएफएस (चयन हेतु अनुरोध) में दर्शाएगए आपूर्ति की शुरूआत की तिथि,के अनुरूप तिथि होगा।

2.3. इन दिशानिर्देशों में जब तक स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो, इन दिशानिर्देशों के प्रावधान खरीददार/मध्यस्थ खरीददार/अंतिम खरीददार और खरीददार के अधिकृत प्रतिनिधि पर बाध्यकारी होंगे और विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत विचार किए जाने हेतु ऐसी बाध्यताओं के लिए उनका सख्ती से अनुसरण किए जाने की जरूरत है। तथापि, यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो इन दिशानिर्देशों के खण्ड 16 में अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

2.4. इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धांतों का उपयुक्त तरीके से विस्तार किया जा सकता है और इसे मानक बोली प्रक्रिया दस्तावेजों [जिसमेंमॉडलचयनहेतुअनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, मॉडल विद्युत क्रय करार तथा मॉडल विद्युत विक्रय करार शामिल है] में व्यापक बनाया जा सकता है।

3. बोली आमंत्रित करने तथा परियोजना की तैयारी की प्रक्रिया

3.1 खरीददार द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

खरीददार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगाः-

3.1.1 बोली दस्तावेजः

(क) इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार करना।

(ख) इन दिशानिर्देशों के खण्ड 16 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इन दिशानिर्देशों और/अथवा एसबीडी सेप्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदि लागू हों) में यदि कोई विचलन हो, तो उसके लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना।

तथापि, स्पष्टता के प्रयोजन से, यदि खरीददार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और अन्य परियोजना करारों को तैयार करते समय विस्तृत प्रावधान करता है, जो दिशानिर्देशों के अनुकूल हों, तो ऐसे विस्तृत प्रावधान इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माने जाएंगे, चाहे ये विस्तृत प्रावधान दिशानिर्देशों में नहीं दिए गए हों।

3.2 आपूर्ति की शुरूआत से संबंधित व्यवस्थाएं

आरएफएस, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, कनेक्टिविटी आदि के साथ-साथ उत्पादक द्वारा नियमित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त लक्ष्यों को निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे लक्ष्य/अपेक्षाओं कीगैर-अनुपालना के संबंध में शास्ति निर्दिष्ट करेगा। विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि से पूर्व भूमि की व्यवस्था और ग्रिड से कनेक्टिविटी और पहुंच (यदि लागू हो) सहित सभी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्ति प्राप्त करना उत्पादक की जिम्मेदारी होगी और ऐसी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में विलंब के मामले में खरीददार जिम्मेदार नहीं होगा।

4. टैरिफ

4.1 बोलीदाताओं द्वारा सौर विद्युत की आपूर्ति के लिए एकल टैरिफ **('टैरिफ')** का उल्लेख किया जाएगा।

4.2 टैरिफ का उल्लेख डिलीवरी प्वाइंट पर किया जाएगा, जो कि सीटीयू/एसटीयू इंटरकनेक्शन प्वाइंट पर होगा। डिलीवरी प्वाइंट तक सभी प्रभार और हानियां उत्पादक द्वारा वहन की जाएंगी।

5. बोली संरचना

5.1 **विद्युत के संदर्भ में बोलियां:** खरीददार विद्युत क्षमता (मेगावाट) के संदर्भमें बोलियाँ आमंत्रित करेगा जिसमें खरीददार द्वारा संविदा की जाने वाली कुल मात्रा का उल्लेख होगा।खरीददार आरएफएस में वार्षिक ऊर्जा के संदर्भ में न्यूनतम ऑफ-टेक निर्दिष्ट कर सकता है।

5.2 बोलीदाता, खरीददार द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा के एक भाग के लिए मूल्य उद्धृत कर सकता है। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबद्ध परियोजनाओं के लिए बोलीदाता द्वारा दी जा सकने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा कम से कम 50 मेगावाटहोनी चाहिए।एसटीयू से जुड़ी परियोजनाओं के मामले में, न्यूनतम बोली मात्रा 10 मेगावाट निर्दिष्ट की जा सकती है। बावजूद इसके, भूमि और पारेषण सुविधा की उपलब्धता पर उचित विचार करने के बाद, पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्यों औरआरई पार्कों के बाहर की परियोजनाओं तथा एसटीयू संबद्ध परियोजनाओं के मामले में बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जा सकने वाली विद्युत की मात्रा छोटी रखी जा सकती है लेकिन इसका आरएफएस में पहले से स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

5.3 किसी एक बोलीदाता को आरएफएस में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसारकुल क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत आवंटित किया जा सकता है।

5.4 **बोली मापदंड के रूप में टैरिफः** बोली मूल्यांकन मापदंड पीपीए की संपूर्ण अवधि के लिए निर्धारित सौर विद्युत की प्रति यूनिट आपूर्ति के लिए टैरिफ होगा। खरीददार बोली आमंत्रित करेगा, जिसमें बोलीदाता रुपये/किलोवाट

घण्टे में टैरिफ का उल्लेख करेगा। बोलीदाता का चयन न्यूनतम उल्लिखित "टैरिफ" के आधार पर किया जाएगा। ई-रिवर्स नीलामी के बाद, न्यूनतम टैरिफ (जिसे एल 1 टैरिफ कहा गया है) का उल्लेख करने वाला बोलीदाता (जिसे एल 1 बोलीदाता कहा गया है), को उनके द्वारा प्रस्तावित विद्युत की मात्रा का आवंटन किया जाएगा। इस क्षमता का आवंटन सबसे पहले बकेट फिलिंग, अर्थात एल 1 दरों पर एल 1 बोलीदाता द्वारा उल्लिखित क्षमता के आधार पर किया जाएगा, उसके बाद, अगले न्यूनतम बोलीदाता (जिसे एल 2 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उल्लिखित दरों (जिसे एल2 दर कहा गया है) पर उल्लिखित क्षमता आवंटित की जा सकती है और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।

तथापि, केवल उन बोलीदाताओं को आवंटन किया जाएगा, जिनकी बोली आरएफएस में यथानिर्धारित एल1 टैरिफ से पूर्व-परिभाषित "श्रेणी"के अंतर्गत हो। इस प्रकार, बोलीदाताओं को टैरिफ के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, परियोजना क्षमताओं को केवल उन बोलीदाताओं को अवार्ड किया जाएगा, जिनकी अंतिम मूल्य की बोली, भारतीय रुपये में प्रति किलोवाट घंटे के अनुसार, "L1+x%" की श्रेणी में हो; बल्कि "x" का मान सामान्यत: दो (2) से पांच (5) के बीच हो और इसे आरएफएस में तय किया जाएगा।

5.5 बोली प्रस्तुत तथा मूल्यांकन करना:

(क) बोलीदाताओं द्वारा संघ बनाने की अनुमति होगी, जिसमें यह संघ एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रक्रिया के दौरान समस्त पत्राचार के लिए संपर्क सूत्र होगा। खरीददार संघ के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड, तथा लॉक इन आवश्यकताओं का उल्लेख करेगा।

(ख) खरीददार बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए, कम से कम तीन सदस्यों की एक समिति (मूल्यांकन समिति) गठित करेगा, जिसमें कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञ होगा।

(ग) बोलीदाताओं को तकनीकी और कीमत बोली अलग-अलग जमा करानी होगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में आवश्यक बोली-गारंटी जमा करानी होगी।

(घ) तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियां आरएफएस दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदंडों को मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर पूरा करती हैं। आरएफएस दस्तावेज में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंड को पूरा करने वाली बोलियों पर ही, कीमत बोली पर अगला मूल्यांकन करने के लिए, विचार किया जाएगा।

(ङ) प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी। बोली के तीन प्रयासों के बावजूद, यदि पात्र पाए गए बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और खरीददार फिर भी बोली प्रक्रिया जारी रखना चाहता है, तो उपयुक्त आयोग की सहमति से ऐसा किया जा सकता है।

(च) कीमत बोली को निरस्त किया जाएगा, यदि इसमें निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कीमत बोली स्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः किसी स्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

(छ) आरएफएस दस्तावेज में बोली के मूल्यांकन और बोलीदाता के चयन के लिए विस्तृत विवरण दिया जाएगा।

6. विद्युत क्रय करार

आरएफएस के साथ-साथ, सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाला प्रस्तावित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए (यदि लागू हो) जारी किया जाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य के साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे। ये प्रावधान पूरक बनाए जा सकते हैं, जब तक यहां अन्यथाउल्लिखित न किया जाए, इन्हें पीएसए में साथ-साथ आधार पर शामिल किया जाएगा।

6.1 पीपीए अवधि:पीपीए की अवधि सामान्यतः आपूर्ति की शुरूआत की तिथि (एससीएसडी) से 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए होगी अथवा खरीदादर द्वारा दिए गए विस्तार की सीमा तक आपूर्ति की शुरूआत की पुनर्निर्धारित तिथि से होगी जो कि उत्पादक के नियंत्रण से बाहर है। तथापि, पीपीए की अवधि को 25 वर्षकी दीर्घ अवधिके लिए भी तय किया जा सकता है। आरएफएस दस्तावेज में पीपीए की अवधि का उल्लेख पहले से किया जाना चाहिए। विकासकर्ताओं को पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट होगी। विकासकर्ता पीपीए अवधि के दौरान अपने जोखिम और लागत पर अपने संयंत्रों का उन्नयन तथापुनः सशक्त बना सकता है; और बाद की बोलियों में उनकी अबद्ध क्षमता की सीमा तक भाग ले सकता है।

6.2 विद्युत खरीद

(क) खरीदी जाने वाली विद्युत, विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में होगी।क्षमता उपयोगिता घटक (सीयूएफ) की रेंज को बोली दस्तावेज में इंगित किया जाएगा। सीयूएफ की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी।

(ख) यदि परियोजना न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा से कम ऊर्जा की आपूर्ति करती है, तो एसपीजी खरीददार को ऊर्जा की उपलब्धता में कमी के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।इसप्रकारकेदंडकीराशिपीपीए की शर्तों के अनुसार, ऊर्जा के संदर्भ में कमी के लिए पीपीए टैरिफ के डेढ़ गुना के बराबर होगी।

(ग) यदि किसी मामले में विद्युत की उपलब्धता निर्दिष्ट अधिकतम सीयूएफ से अधिक है तो नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक इसको किसी अन्य कंपनी को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि इस कोमना करने का प्रथम अधिकार खरीददार (खरीददारों) के पास होगा। यदि किसी मामले में, खरीददार विद्युत उत्पादन की अधिक मात्रा को खरीद लेता है, तो वह उसको पीपीए टैरिफ के अनुसार खरीदेगा और आरएफएस दस्तावेज में इस आशय का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया जाएगा।

(घ) आरई के बेहतर प्रचालन कीअनुमति प्रदान करने के लिए, उत्पादक को किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को खरीददार से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बगैर संविदा की गई क्षमता से अधिक आरईविद्युत संयंत्र से विद्युत की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है।उत्पादक उस विद्युत, जो खरीददार (संविदा की गई क्षमता के भीतर) को डे अहैड आधार पर प्रस्तावित की गई थी, परंतु खरीददार द्वारा अगले दिन के लिए शिड्यूल न की गई, की बिक्री,खरीददार से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बिना किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को कर सकेगा।

(ङ) जिन विकासकर्ताओं ने पहले ही सौर पीवी संयंत्र आरंभ कर दिए हैं अथवा ऐसे संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया में हैं और जिनके पास अबद्ध क्षमता है, वे भी बोली में भाग ले सकते हैं।ऐसे मामले में, उन्हें विद्युत की आपूर्ति शुरू होने की वास्तविक तारीख और एससीएसडी के बीच की अवधि के अनुरूप पीपीए की दीर्घावधि का लाभ दिया जा सकता है।

(च) विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसी) (अंतःक्षेपण, हस्तक्षेप और खरीददार एसएलडीसी/आरएलडीसी सहित) पर शेड्युलिंग और उसकी पंचिंग की जिम्मेवारी केवल उत्पादक की होगी।

(छ) **विचलन समाधान तंत्र (डीएसएम):** समय अनुसूची से विचलन के लिए, मौजूदा विनियमों के अनुसार, डीएसएम (विचलन समाधान तंत्र) लागू होगा। उत्पादक पर डीएसएम प्रभारों का भुगतानसौर विद्युत उत्पादक द्वारा किया जाएगा।

6.3 भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम)

पर्याप्त भुगतान सुरक्षा का प्रावधान, विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामला) नियमावली, 2022 के अनुसार इसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों सहित, किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ खरीददार भुगतान सुरक्षा निधि का रखरखाव करेगा। विकासकर्ता को, निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु, प्रति यूनिट 2 पैसे की दर से पीएसएम प्रभारों का भुगतान करने का,वचन देना होगा।

6.4 अप्रत्याशित घटना

6.4.1 पीपीए में,'अप्रत्याशित घटना'की परिभाषा, अपवाद, प्रयोज्यता और उद्योग मानकों के अनुसार अप्रत्याशित घटना के कारण, उपलब्ध राहत के संबंध में प्रावधान शामिल रहेंगे। उत्पादक खरीददार को अप्रत्याशित घटना शुरु होने के 15 दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना घटित होने के बारे में सूचित करेगा और खरीददार सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके दावे पर जवाब देगा।

6.5 **ऑफटेक बाध्यताओं के लिए उत्पादन मुआवजाः** जहां खरीदार पारेषण अवसंरचना की अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य घटना के कारण विद्युत को शेड्यूल नहीं करता है, तो शास्तिसमय-समय पर यथासंशोधित, विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत के उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 के अनुसरण में, होगा।

6.5.1 **ग्रिड अनुपलब्धता के कारण ऑफटेक बाध्यताओं के लिए उत्पादन मुआवजाः** संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधियां हो सकती हैं जब संयंत्र विद्युत का उत्पादन तो कर सकता है, परंतु अस्थायी पारेषण

अनुपलब्धता के कारण विद्युत की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके लिए उत्पादक जिम्मेवार नहीं होता। ऐसे मामलों में, खरीददार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन मुआवजे का निपटान किया जाएगाः

ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि	उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान
एक वर्ष के दौरान 175 घण्टों से अधिक की ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा = ***((टैरिफ X प्रस्तावितसौर विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिड्यूल नहीं)) x 1000 x ग्रिड अनुपलब्धता के घण्टे*** तथापि, पावर एक्सचेंज में तीसरे पक्ष की बिक्री अथवा बिक्री के मामले में, कीमत लेने वाले के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों में कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।

6.5.2 घटे हुए ऑफटेक के मामले में भुगतानःउत्पादक और खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में जारी विनिर्देशों के अंतर्गत पूर्वानुमान और शिड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। यदि संयंत्र विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध है परंतु खरीददार द्वारा विद्युत मंत्रालय की दिनांक 3 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022" और इससे संबंधित किसी स्पष्टीकरण या संशोधन, की अनुपालना न होने के कारण विद्युत की आपूर्ति न होने सहित विद्युत ऑफटेक नहीं किया जाता है, तो आरई विद्युत के लिए 'मस्ट रन' स्थिति संबंधी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक खरीददार से भुगतान के लिए निम्नलिखित तरीके से घटे हुए ऑफटेक के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:

घटा हुआ ऑफटेक	उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान
एक वर्ष के दौरान 175 घण्टों से अधिक की ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	**उत्पादन मुआवजा =** ***(टैरिफ X सौर पीवी विद्युत (मेगावाट), खरीददार द्वारा प्रस्तावित परंतु शिड्यूल नहीं की गई) x 1000 x घटे हुए ऑफटेक के घंटों की संख्या*** तथापि, तीसरे पक्ष की बिक्री अथवा पावर एक्सचेंज में बिक्री के मामले में, कीमत लेने वाले के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों में कटौती के बाद, मासिक आधार पर, देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।

6.5.3 मुआवजे का दावा करने के लिए, उत्पादक को एक प्राइस टेकर के रुप में, पावर एक्सचेंज में अपनी विद्युत बेचनी होगी। इस प्रकार, मुआवजा, घोषित क्षमता तक, वास्तविक उत्पादन के अन्तर तक सीमित होगा, जो अधिकतम संविदा की गई क्षमता और खरीददार द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा।

6.6 चूक की स्थिति (इवेंट ऑफ डिफॉल्ट)

(क) एससीएसडी से छह माह से अधिक विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत करने में विलंब के लिए, उत्पादक को चूक की घटना हुई माना जाएगा और परिणाम खंड 13.3 के अनुसार होंगे।

(ख) यदि उत्पादक आरएफएस में निर्दिष्ट अवधि के लिए निरंतर न्यूनतम उपलब्धता बनाए रखने में विफल रहता है, तो यह उत्पादक की चूक होगी और पीपीए को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, उत्पादक निर्धारित न्यूनतम सीयूएफ के साथ अपनी संविदा की गई क्षमता के लिए टैरिफ के, 24 (चौबीस) माह अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य हर्जाना, खरीदार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) यदि उत्पादक पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों का निर्वहन करता है अथवा परित्याग करता है अथवा पीपीए का परित्याग करता है, अथवा पीपीए में यथा निर्धारित किसी प्रकार के अन्य कृत्य अथवा चूक करता है तथा पीपीए में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपचार अवधि के भीतर उपरोक्त किसी भी प्रकार का हल निकालने में असफल होता है, तो उत्पादक, खरीददार को, उसकी निर्धारित न्यूनतम सीयूएफ के साथ संविदा की गई क्षमता के लिए टैरिफ के, 24 (चौबीस) माह, अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो,

के समतुल्य हर्जाने, का भुगतान करेगा। खरीददार को अधिकार होगा कि वह किसी भी अन्य कानूनी प्रक्रिया या उपचार के उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गारंटी, यदि कोई हो, जब्त करके उक्त हर्जाने की वसूली करे।

(घ) उपरोक्त अनुसार हर्जाने की वसूली के साथ-साथ, उत्पादक की चूक की स्थिति में, ऋणदाता, पीपीए में विनिर्दिष्ट प्रतिस्थापन उपबंधों तथा खरीददारों की सहमति के अनुसार, प्रतिस्थापन के अपने अधिकार का प्रयोग करने का पात्र होगा।तथापि, यदिऋणदाता विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, चूककर्ता उत्पादक के प्रतिस्थापन में असफल होते हैं, तो खरीददार पीपीए को रद्द कर सकता है।

(ङ) यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार, अन्य बातों के साथ-साथ, आरएफएस अथवा पीपीए के समापन के अनुसरण में, देय राशियों के समय पर भुगतान में विफलता सहित अन्य कारणों से चूककर्ता है, तो उत्पादक अपने विवेकानुसार पीपीए को समाप्त कर सकता है। चूककर्ता खरीददार उत्पादक को, निर्धारित न्यूनतम सीयूएफ के साथ उसकी संविदा की गई क्षमता के लिए हर्जाना उसकी संविदा की गई क्षमता के लिए 24 (चौबीस) माह अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य, प्रभारों के हर्जाने का भुगतान करेगा।

6.7 विधि/विनियम में परिवर्तन

विधि में परिवर्तन संबंधी प्रावधान विद्युत मंत्रालय की दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021 के अनुसार होंगे जिसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरण भी शामिल होंगे।

7. बोली प्रक्रिया

7.1 खरीददार/मध्यस्थ खरीददार एकल चरण,दो भाग (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) को अपनाते हुए बोलियां आमंत्रित करेगा, बोली प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई-बोली) के माध्यम से संचालित की जाएगी। तकनीकी बोली पहले खोली जाएगी। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्ह पाए जाएंगे। सफल ट्रैक रिकॉर्ड तथा पर्याप्त सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषताओं वाले ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

7.2 खरीददार उत्पादकों को, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, थर्मल विद्युत से परिपूरित सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना तथा ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ और उसके बिनासौर विद्युत की आपूर्ति हेतु आरएफएस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

7.3 विकासकर्ता, जिन्होंने पहले ही क्षमता संस्थापित कर ली है अथवा जिनके पास अतिरिक्त अबद्ध क्षमता है, वे भी इस बोली में भाग ले सकते हैं।

7.4 खरीददार द्वारा, आरएफएस तथा मसौदा पीपीए सहित बोली दस्तावेज को, इन दिशानिर्देशों तथा एसबीडी, यदि कोई हो, तो उनके अनुरूप तैयार किया जाएगा।

7.5 खरीददार इसके व्यापक प्रचार के लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तथा अपनी वेबसाइट में आरएफएस नोटिस प्रकाशित करेगा।

7.6 खरीददार प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस का अवसर प्रदान करेगा तथा किसी भी बोलीदाता के लिए निविदा दस्तावेजों की लिखित व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिसे सभी अन्य बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सम्बद्ध पार्टियां पूरी तरह लिखित पत्राचार पर ही भरोसा करेंगी। बोली दस्तावेजों से संबंधित किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन को पर्याप्त जानकारी हेतु खरीददार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों के संबंध में किसी भी तरह के संशोधन या आशोधन जारी किए जाने पर बोलीदाताओं को, बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए, तब से कम से कम 7 (दिनों) का समय दिया जाएगा।

8. चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज

आरएफएस दस्तावेज में खरीददार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे और उनमें उपयुक्त रूप से विस्तार किया जा सकता है:

8.1 बोली उत्तरदायित्वता

बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह उत्तरदायी हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो।

(क) बोलीदाता या उसका कोई भी सहयोगी किसी भी ऋणदाता का जान-बूझकर चूककर्ता न रहा हो।

(ख) किसी भी कंसोर्टियम सदस्य और उसके किसी भी सहयोगी सहित किसी भी बोलीदाता तथा उसके किसी भी सहयोगी, उनके निदेशकों को, भारत में किसी भी सरकारी एजेंसी अथवा प्राधिकरणों द्वारा, बोलीदाता अथवा सदस्यों के अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा, जहां लागू हों अथवा उनके व्यवसाय के मूल स्थान के अधिकार क्षेत्र में, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि विश्व बैंक समूह, एशियन डेवलेपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलेपमेंट बैंक, इंटर-अमेरीकन डेवलेपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंकआदि या संयुक्त राष्ट्र या इसका कोई भी एजेंसियों को वर्जित अथवा ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

8.2 बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक योग्यता

8.2.1 तकनीकी मानदंड:

सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खरीददार बोलीदाताओं के पिछले अनुभव आदि जैसे तकनीकी मानदंड का उल्लेख कर सकता है। ऐसे परियोजना विकासकर्ताओं, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय किए जाने चाहिएं ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।

8.2.2 वित्तीय मानदंड

(क) निवल मूल्य

i). खरीददार आवश्यक योग्यता के भाग के रूप में निवल मूल्य में वित्तीय मानदंड का उल्लेख करेगा। निवल मूल्य की आवश्यकता अनुमानित "परियोजना" लागत का कम से कम 20% (बीस प्रतिशत) अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड होनी चाहिए।

ii). उपरोक्त प्रयोजन के लिए विचार किए जाने वाला निवल मूल्य बोलीदाता कंपनी या संघ (कंसोर्टियम) का संचयी निवल मूल्य होगा, जिसमें बोलीदाता (ओं) की ऐसी सहायक कंपनियों का निवल मूल्य शामिल होगा जो आरएफएस दस्तावेज के अनुसार, बोलीदाता (ओं) के ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में अपेक्षित इक्विटी वित्तपोषण और कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियां देने का वचन देंगी।

iii). यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के लिए विचार किए जाने वाले निवल मूल्य की गणना कंपनी अधिनियम के अनुसार गणना किया गया कुल निवल मूल्य होगा।

(ख) परिसमापन

आवश्यक है कि बोलीदाता के पास परियोजना के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह/आंतरिक प्राप्तियां है। तदनुसार, खरीददार वार्षिक टर्नओवर, आंतरिक संसाधन जुटाने, बोली लगाने की क्षमता इत्यादि जैसे उपयुक्त मापदंडों का भी उल्लेख कर सकता है।

8.3 बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा

खरीददार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी/भुगतान वचन पत्र के रूप में बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जो आरई परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत के दो (2) प्रतिशत अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट किसी अन्य मापदंड से कम नहीं होगी। उत्पादक की निर्धारित समय अवधि के भीतर पीपीए का निष्पादन करने में विफलता के कारण, इन दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित, ईएमडी की जब्ती या डिबारिंग (निषेध) आदि की जाएगी।

8.4 विदेशी बोलीदाताओं द्वारा एफडीआई कानूनों का अनुपालन

यदि किसी विदेशी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो वह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन करेगी।

9. बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय सारणी

9.1 बोली प्रक्रिया में आरएफएस दस्तावेजों को जारी करने और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच 22 (बाइस) दिनों की न्यूनतम अवधि की अनुमति दी जाएगी। बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारिणी नीचे दी गई है:-

बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारणी		
क्र.सं.	**कार्य वृतांत**	**शून्य तिथि से व्यतीत समय**
1	दस्तावेज चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, परियोजना विशिष्ट मसौदा विद्युत क्रय करारों व अन्य मसौदा परियोजना करार और विद्युत विक्रय करार (पीएसए), यदि लागू हो, जारी करने की तारीख	शून्य तारीख
2	बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, स्थल, यदि खरीददार द्वारा उल्लेख किया गया हो, सहित सभी परियोजना विशिष्ट विवरण साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटा** कक्ष खोलना, और आरएफएस में संशोधन करना।	**
3	आरएफएस बोली प्रस्तुत करना	22 दिन
4	तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन	64 दिन
5	वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन और ई-रिवर्स नीलामी करना	99 दिन
6	अवार्ड पत्र [लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए)] जारी करना	110 दिन
7	पीपीए और पीएसए पर हस्ताक्षर (यदि लागू हो)	140 दिन

***आरएफएस दस्तावेज में किसी बदलाव के मामले में, खरीददार इन दिशानिर्देशों के खंड 7.5 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय देगा।*

नोटः *यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि खरीददार उस कार्य से पहले पूरी की जाने हेतु अपेक्षित गतिविधियों की प्राप्ति में विलंब के कारण या किसी अन्य कारण से बोली प्रक्रिया में किसी भी कार्य के लिए अधिक समय लगा देता है, इस तरह के समय विस्तार को किसी भी तरह से इन दिशानिर्देशों से विचलन के रूप में नहीं माना जाएगा।*

9.2 सामान्य परिस्थितियों में, बोली प्रक्रिया 110 (एक सौ दस) दिनों की अवधि में पूरी होने की संभावना है।

10. संविदा अवार्ड करना और समाप्त करना

10.1 पीपीए पर सफल बोलीदाता/परियोजना कंपनी या सफल बोलीदाता द्वारा स्थापित एसपीवी के हस्ताक्षर होंगे।

10.2 आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए खरीददार एक समिति का गठन करेगा। बोली प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति, गंभीरतापूर्वक गुणदोष की दृष्टि से बोलियों का मूल्यांकन करेगी और उपयुक्त रूप से यह प्रमाणित करेगी कि बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन आरएफएस के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं। मूल्यांकन प्राधिकारी को स्वयं यह संतुष्टि होनी चाहिए कि चयनित प्रस्ताव युक्तिसंगत तथा आवश्यकता के अनुरूप है। यदि अंकित दरें मौजूदा बाजार की कीमतों के अनुसार नहीं हैं, तो मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य की बोलियां रद्द करने का अधिकार होगा।

10.3 पारदर्शिता के प्रयोजन से, खरीददार, पीपीए के निष्पादन के बाद, सार्वजनिक रूप से सफल बोलीदाता (ओं) के नामों और घटकों के ब्यौरे, यदि कोई हों, के साथ उनके द्वारा अंकित टैरिफ का प्रकटन करेगा। यह सार्वजनिक प्रकटन अपेक्षित ब्यौरे कम-से-कम 30 दिनों के लिए खरीददार की वेबसाइट पर डालकर किया जाएगा।

10.4 अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीददार, जैसा भी मामला हो,इन दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में, ई-रिवर्स नीलामी या अन्य के माध्यम से टैरिफ प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर, अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, प्राप्त टैरिफ लागू करने के लिए समुचित आयोग से संपर्क करेगा।

10.5 यदि वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीददार जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, टैरिफ लागू करने के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क करता है, तो इस प्रकार के अनुरोध के साठ दिनों के भीतर या

विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर जो भी अधिक हो, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इसे अपनाने/अनुमोदित करने में देरी [(60 (साठ) से अधिक दिनों के विलंब अथवा विद्युत विक्रय करार (पीएसए) से 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक के विलम्ब, जो भी अधिक हो]के अनुसार, उत्पादकों को चालू करने के एससीएसडी में समुचित आयोग द्वारा अपनाए। अनुमोदन किए जाने की तिथि तक उचित विस्तार प्रदान करेगा।

11. बैंक गारंटी/आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र

खरीददार को, उत्पादक को आरएफएस की शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बैंक गारंटी/वचन पत्र देना होगा।

11.1 खंड 8.3 के अनुसार बयाना जमा राशि (ईएमडी),आरएफएस की प्रतिक्रिया सहित निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

क) बैंक गारंटी (गारंटियां);

या

ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)/आरईसी लि. (आरईसी) से, आरएफएस के अनुसार, आरई विद्युत उत्पादक के चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र।

"आदेश पर भुगतान पत्र" *का तात्पर्य भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं] से निविदा शर्तों/विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक से हुई चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए, वचन पत्र से है। इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाव किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के "आदेश पर भुगतान पत्र" में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी के समान नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का वचन दिया जाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को विधिवत् प्रतिभूति प्रदान करके उत्पादक ऐसे पत्र (पत्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और आरईसी को छोड़कर किसी भी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बैंक से उपरोक्त या कोई अन्य "वचन पत्र"दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।*

11.2 निष्पादन गारंटी (पीबीजी) खरीददार द्वारा निर्धारित की जाएगी, लेकिन यह ऐसे वित्तीय वर्ष जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, अनुमानित परियोजना लागत के5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) से कम नहीं होनी चाहिए अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड के अनुसार होनी चाहिए जिसे पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाना है:

(क). बैंक गारंटी (गारंटियां);

या

(ख). भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) में, विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में आरई विद्युत उत्पादकों की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र";

11.3 अन्य सुधारों के साथ-साथ, यह पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदत्त कोई विकल्प) पीपीए के संदर्भ में उत्पादक की किन्हीं क्षतियों/देय राशियों की वसूली के लिए भुनाई जा सकती है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पीपीए के अंतर्गत उत्पादक की चूक होने पर पीबीजी को भुनाकर मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्राप्त की गई क्षतियों/देय राशियों को इन दिशानिर्देशों के खंड 7.3 के अंतर्गत मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्रबंध किए जाने वाले भुगतान सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा। पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध विकल्प) परियोजना के एससीएसडी के 45 दिनों के अंदर उत्पादक को वापस कर दिए जाएंगे। विद्युत की आपूर्ति के आंशिक रूप से चालू करने के मामले में, ऐसी आंशिक क्षमता के अनुसार पीबीजी 45 दिनों के अंदर वापस की जाएगी।

11.4 खरीददार “निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)” के रूप में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों को अवमुक्त कर सकता है, यदि उत्पादक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए इसके स्थान पर आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र देने में सक्षम हो। उत्पादक कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पहले से रखी उनकी बैंक गारंटियों को बदलवाने के लिए उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को समुचित प्रतिभूति प्रदान करके ऐसे पत्र की मांग कर सकता है।

12. प्रमोटर द्वारा शेयरधारिता

12.1 सफल बोलीदाता, यदि वह एकल कंपनी है तो, यह सुनिश्चित करेगा कि एसपीवी/पीपीए निष्पादित करने वाली परियोजना कंपनी में उसकी हिस्सेदारी, खरीददार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष से पूर्व किसी भी समय, 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीदाता एक संघ है, तो खरीददार की पूर्व सहमति के अलावा एसपीवी/पीपीए का निष्पादन करने वाली कंपनी में समूह के सदस्यों की संयुक्त हिस्सेदारी एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष पूर्व किसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। इसके अलावा, सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रमोटर खरीददार की पूर्व अनुमति के अलावा एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष तक बोली लगाने वाली कंपनी/समूह का नियंत्रण[2] नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मामले में यह भी आवश्यक होगा कि सफल बोलीदाता खरीददार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपने प्रमोटरों तथा उनकी शेयरधारिता के बारे में जानकारी प्रदान करे।

12.2 एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष की समाप्ति के बाद शेयरधारिता में किसी प्रकार के बदलाव को खरीददार को सूचना देकर किया जा सकता है।

12.3 यदि उत्पादक ऋणदाता (ओं) के समक्ष चूक करे, तो ऋणदाता खरीददारों की सहमति से “प्रमोटर का प्रतिस्थापन” करने के हकदार होंगे।

[[2]अभिव्यक्ति ‘नियंत्रण’ का तात्पर्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक वोटिंग शेयरों का स्वामित्व या अधिकतर निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।]

13. विद्युत की आपूर्ति का आरंभ

13.1 आरई परियोजना और खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के बीच विद्युत क्रय करार स्पष्ट रूप से एससीएसडी और आपूर्ति की मात्रा को दर्शाएगा।

13.2. आपूर्ति समय की शुरुआतः

(क). विकासकर्ता/सौर विद्युत उत्पादक आम तौर पर विद्युत की आपूर्ति निम्नलिखित अवधि के भीतर आरंभ करेगाः

i. जहां विकासकर्ता/सौर विद्युत उत्पादक को आबंटित मात्रा 1000 मेगावाट से अधिक न हो, विद्युत क्रय करार के निष्पादन की तिथि से 24 (चौबीस) माह;

ii. जहां विकासकर्ता/सौर विद्युत उत्पादक को आबंटित मात्रा 1000 मेगावाट से अधिक न हो, विद्युत क्रय करार निष्पादन की तिथि से 30 (तीस) माह;

(ख). तथापि, यदि किसी भी कारणवश, एससीएसडी अवधि को इन दिशानिर्देशों में की गई व्यवस्था से कम अथवा उच्चतर रखने की आवश्यकता है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है।

(ग). यह मान लिया गया है कि इन दिशानिर्देशों के खंड 10.5 के संदर्भ में, उपयुक्त आयोग द्वारा ऐसी प्रस्तुति के 60 दिनों या विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 दिनों, जो भी अधिक हो, के भीतर टैरिफ को अपनाया जाएगा। तथापि, इन दिशानिर्देशों में निहित किसी बात के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने में कोई देरी, जो प्रस्तुति के 60 दिन से ज्यादा या पीएसए के 120 दिन से ज्यादा, जो भी अधिक हो, के कारण एससीएसडी में तदनुसार विस्तार किया जाएगा।

13.3. विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंबः

एससीएसडी के बाद, विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंब की स्थिति में उत्पादक पर शास्तियां लगाई जाएंगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

(क) विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में एससीएसडी से 6 (छह) माह तक की देरी के लिए, प्रतिदिन आधार पर और उस संविदा की गई क्षमता, जिसमें विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई, के अनुपात में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), या वैकल्पिक साधनों का नकदीकरण

(ख) विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में एससीएसडी से छह माह से अधिक के विलंब के लिए, निम्नलिखित लागू होगाः

(i) संविदा की गई क्षमता उस परियोजना क्षमता तक घटाई जाएगी जिसने एससीएसडी +6 (छह) माह की अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति शुरू कर दी है।शेष संविदा की गई क्षमता, जिसने विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है, के लिए पीपीए समाप्त हो जाएगा।

(ii) आरई विद्युत उत्पादक को किसी भी खरीददार अथवा किसी मध्यस्थ खरीददार द्वारा जारी बोलियों में भाग लेने से निम्नलिखित अवधि के लिए वंचित किया जाएगा:

(क) प्रथम चूक के मामले में एक वर्ष के लिए

(ख) द्वितीय तथा तदंतर चूक के लिए 2 वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम के लिए

13.4 विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआत

अभी तक विद्युत आपूर्ति आरंभ नहीं किए गए मांग पर पीपीए के अनुसार, शास्ति लगाने के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, खरीददार द्वारा परियोजना की विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआत, इस शर्त के अध्यधीन स्वीकार की जाएगी कि पहले और बाद के हिस्से की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होगी (अंतिम भाग के शेष संविदा क्षमता होते हुए)। बोली दस्तावेजों में एसटीयू संबद्ध परियोजनाओं के मामले में न्यूनतम आंशिक क्षमताओं को विनिर्दिष्ट किया जाए।तथापि, विद्युत की आपूर्ति आंशिक रूप से शुरू होने के कारण एससीएसडी में परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत की आंशिक या पूर्ण आपूर्ति की तारीखों पर ध्यान दिए बिना, पीपीए, बोली में निर्दिष्ट अवधि के लिए, लागू रहेगा।

13.5 विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआत

सौर विद्युत उत्पादक को एससीएसडी से पहले भी, पूर्ण और आंशिक रूप से अनुबंधित क्षमता के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।उत्पादक को परियोजना से विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अंतिम खरीददार को उस विद्युत के लिए मनाही करने का पहला अधिकार होगा।अंतिम खरीददार द्वारा उस विद्युत की मनाही के बाद, मध्यस्थ खरीददार के पास मनाही का अधिकार होगा।यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार इस मामले में विद्युतखरीदने का निर्णय लेते हैं, तो इस प्रकार की विद्युत लागू संविदा वर्ष के लिए पीपीए टैरिफ पर खरीदी जाएगी और इस संबंध में निविदा दस्तावेजों में विशिष्ट प्रावधान विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

14. पारेषण कनेक्टिविटी

14.1 पारेषण कनेक्टिविटी प्राप्त करने की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी और यह उत्पादक की लागत पर होगी।

14.2 मीटरिंग बिंदु, वे बिंदु होते हैं जिन पर खरीददार को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा को मापा जाएगा, वे सीटीयू/एसटीयू सब-स्टेशन के कम वोल्टेज वाले पक्ष होंगे। आरई पार्कों के मामले में, मीटरिंग संबंधी बिंदु आईएसटीएस/इन-एसटीएस पूलिंग स्टेशन हैं, जिसके साथ सभी पूलिंग सब-स्टेशनों से आंतरिक पारेषण को जोड़ा जाता है। व्हीलिंग प्रभारों और परियोजना तथा मीटरिंग बिंदु के बीच की क्षतियों सहित सभी खर्च का भुगतान खरीददार से किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के बगैर उत्पादकों द्वारा किया जाएगा। मीटरिंग बिंदु से आगे पारेषण और वितरण के संबंध में व्हीलिंग प्रभारों और क्षतियों सहित सभी खर्च का वहन आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियम के अनुसार खरीददार द्वारा किया जाएगा।

15. तकनीकी विशिष्टताएं

प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों को कम करने और परियोजनाओं से आपूर्ति के समय पर आरंभ करने के लिए खरीददार वाणिज्यिक रूप से सुस्थापित और प्रचालनात्मक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगा। सौर पीवी/पवन/ऊर्जा

भंडारण प्रणालियों के लिए, विस्तृत तकनीकी मापदंड, एमएनआरई द्वारा, समय-समय पर, निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

16. दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रक्रियाओं में मानकीकरण एवं एकरूपता लाना है ताकि खरीदारी में सत्यता और पारदर्शिता हो। इस तरह, इन दिशानिर्देशों का बोली प्रक्रिया में सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है और विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ अथवा उसके बिना परियोजनाओं से सौर विद्युत की खरीद के लिए, किसी भी बोली को, इन दिशानिर्देशों के विपरीत, जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि खरीददार के लिए इन दिशानिर्देशों से/या एसबीडी से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रक्रिया की शुरुआत होने से पूर्व ही उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन होगा। उपयुक्त सरकार, ऐसी याचिका दायर करने के 60(साठ) दिनों के यथोचित समय के भीतर बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा या उनमें संशोधन की जरूरत बताएगा।

17. विवाद समाधान

ऐसी स्थिति में, जब सीईआरसी उपयुक्त आयोग है, तो टैरिफ में बदलाव का दावा करने या कोई टैरिफ निर्धारित करने या किसी टैरिफ संबंधी मामले या ऐसे मामले, जिनसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से टैरिफ में बदलाव हो सकते हैं, के संबंध में विवाद होने पर, सीईआरसी द्वारा फैसला किया जाएगा। अन्य सभी विवादों का समाधान सरकार द्वारा स्थापित विवाद निवारण समिति द्वारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर भारतीय मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। यदि एसईआरसी/जेईआरसी उपयुक्त आयोग हो, तो सभी विवादों पर एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा निर्णय किया जाएगा अथवा एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

18. दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण और संशोधन

यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को लागू करने में या दिशानिर्देशों की व्याख्या में या दिशानिर्देशों के संशोधन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से, विद्युत मंत्रालय ऐसा करने के लिए अधिकारप्राप्त है।

19. नवीकरणीय/ऊर्जा भंडारण दायित्व

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत खरीदी गईसौर विद्युत [सौर विद्युत के साथ चार्ज की गई ऊर्जा भंडारण प्रणाली ईएसएस) सहित] आरपीओ अनुपालना के पात्र होंगे। परियोजना में उपयोग की गई ईएसएस क्षमता का उपयोगभारत सरकार के आदेशों अथवा अधिसूचनाओं के अनुसार भंडारण विद्युत दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

20. आईएसटीएस प्रभार और हानियां

विद्युत के पारेषण के संबंध में आईएसटीएस शुल्क औ हानियां, जिसमें आरई विद्युत के लिए छूट सम्मिलित है, मौजूदा वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार होंगी।

हेमन्त कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 28th July, 2023

Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects.

No. 27/01/2023-RCM.—1. INTRODUCTION

1.1. Background

1.1.1. Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 (‘Act’). Power purchase costs constitute the largest cost element for distribution licensees. Procurement of electricity through competitive bidding by the distribution licensees is expected to

reduce the overall cost of procurement of power and facilitate development of power markets. Internationally, competition in wholesale electricity markets has led to reduction in prices of electricity and in significant benefits for consumers.

1.1.2. Section 61 & 62 of the Electricity Act, 2003, provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. Further, section 63 of the Act states that –

> *"Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government."*

1.1.3. These Guidelines are being issued under section 63 of the Act to enable procurement of Solar power by Procurers from grid-connected Solar Photovoltaic (PV) power projects, with or without Energy Storage through tariff based competitive bidding.

1.2. Objectives

1.2.1. The specific objectives of these Guidelines are as follows:

(a). To promote competitive procurement of electricity from solar PV power plants, by distribution licensees;

(b). To facilitate Solar PV capacity addition and fulfilment of Renewable Purchase Obligation (RPO)/ Energy Storage Obligations (ESO) requirement of DISCOMs;

(c). To provide a transparent, fair, standardized procurement frame work based on open competitive bidding with appropriate risk-sharing between various stakeholders to enable procurement of power at competitive prices in consumer interest, improve bankability of projects and ensure reasonable returns to the investors; and

(d). To provide for a framework for the inter-state/ intra-state, long-term, sale-purchase of power as a further measure to de-risk the sector.

2. SCOPE OF THE GUIDELINES

2.1. Applicability of Guidelines

(a) These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of Solar power by the 'Procurers', from Solar PV Power Projects (**'Projects**'), with or without Energy Storage, through competitive bidding.

(b) Upon notification of these Guidelines in the Official Gazette, the erstwhile "Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects" issued vide resolution No. 23/27/2017-R&R dated 3rd August, 2017, and amended vide resolution No. 23/27/2017-R&R dated 14th June, 2018, resolution No. 23/27/2017-R&R dated 3rd January, 2019, resolution No. 23/27/2017- R&R dated 9th July, 2019, resolution No. 283/57/2018-GRID SOLAR dated 22nd October, 2019 and resolution No. 283/57/2018-GRID SOLAR dated 25th September, 2020, shall not be applicable for tenders issued subsequent to issuance of these Guidelines. However, the projects already awarded/ under implementation/ commissioned under the erstwhile Bidding Guidelines, will continue to be governed by those Guidelines and will not be covered under these Guidelines. In case there are any ongoing bids wherein the last date of bid submission is after the date of notification of these Guidelines, then the tender documents in respect of such bids shall be appropriately modified to bring them in alignment with these Guidelines.

2.2. Explanations

(a). 'Solar': The term 'Solar'**,** wherever used in these Guidelines, shall refer to Solar Photovoltaic (PV) technology or the power plant based on such technology.

(b). 'Solar Power': The term 'Solar Power'wherever used in these Guidelines, shall refer to power from Solar Power Generating Systems with or without Energy Storage Systems (ESS), as the case may be. It is clarified

that ESS charged using a source other than solar power would not qualify as solar power.

(c). Solar Power Generator' (SPG)

(i). The term Solar Power Generator '(SPG) or Generator', wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of Solar Power with or without energy storage system.

(ii). The bidder/developer shall be responsible for providing solar based generating system(s) for supply of solar power combined with or without storage, as per the terms of the Request for Selection (RfS). For the storage component, if any, the bidder/developer shall either set up storage capacity itself; or tie up with energy storage system developer(s) to meet the project parameters, and submit a single bid for the same, in a particular tender.

(iii). Irrespective of the contractual arrangement between the Generator and Energy Storage system Developer, if any, all the developer related liabilities, under these Guidelines and the PPA thereunder, shall be of the entity signing the PPA, and recognised as Solar Power Generator' (SPG).

(d). 'RE Park': The term 'RE Park', wherever used in these Guidelines, shall refer to areas or parks developed, in accordance with the Guidelines issued by Central or State Governments, for setting-up of renewable energy power projects, including Solar-Wind Hybrid Power projects.

(e). '**Procurer**': The term 'Procurer', as the context may require, shall mean the distribution licensees, or the Authorized Representative(s), or an Intermediary Procurer.

(f). '**Authorised Representative' of the Procurer:** In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing agency and the agency carrying out the tendering / bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall deemed to be the Authorized Representative of the 'Procurer' and shall, on behalf of the Procurer, be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the 'Procurer' during the bidding phase, in accordance with these Guidelines.

(g). 'Intermediary Procurer' & 'End Procurer'

(i). In some cases, an intermediary, as designated by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, or a State Government, may be tasked to aggregate the power purchased from different Solar Power Generators and sell it to the distribution licensee(s)/consuming entities/open access consumers. In such cases, the distribution licensees/consuming entities/open access consumers shall be the "End Procurer" and the intermediary shall be "Intermediary Procurer" for the purpose of these Guidelines.

(ii). The Intermediary Procurer shall enter into a Power Purchase Agreement (PPA) with the Solar Power Generator and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back-to-back basis. Trading margin, of Rs. 0.07/kWh shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer.

(iii). As long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of power.

(h). Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD): Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD) in relation to the contracted capacity shall mean the date corresponding to the date of commencement of supply as indicated in the RfS (Request for Selection).

2.3. Unless explicitly specified in these Guidelines, the provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer/ Intermediary Procurer/ End Procurer and the Authorised Representative of the Procurer and the same needs to be strictly followed for such bidding to be eligible under section 63 of the Electricity Act. However, in case it becomes imperative to deviate from the provisions of these Guidelines, the process to be adopted is specified in Clause 16 of these Guidelines.

2.4. Principles outlined in these Guidelines may be suitably expanded and made exhaustive in the Standard Bidding Documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement].

3. PREPARATION FOR INVITING BID AND PROJECT PREPAREDNESS

3.1. Conditions to be met by the Procurer

The Procurer shall meet the following conditions:

3.1.1. Bid Documentation

(a). Prepare the bid documents in accordance with these Guidelines.

(b). Seek approval of the Government for deviations, if any, in the draft RfS, draft PPA, draft PSA (if

applicable) from these Guidelines and/ or SBDs, in accordance with the process described in Clause 16 of these Guidelines.

However, for purpose of clarity, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines even though such details are not provided in the Guidelines.

3.2. Arrangements related to Commencement of Supply

The RfS may specify additional milestones for the project with respect to land acquisition, connectivity etc. as well as regular reporting requirements by the Generator and shall specify penalties with respect to non-compliance with such milestones/requirements. Obtaining all clearances, permits, licenses including arrangement of land and connectivity to the Grid and access (if applicable) prior to scheduled date of commencement of supply of power shall be the responsibility of the Generator and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining such clearances, permits, licenses etc.

4. TARIFF

4.1. A single tariff for supply of Solar power shall be quoted by the bidders (the "**Tariff**").

4.2. The Tariff shall be quoted at the Delivery Point which shall be at the CTU/STU interconnection point. All charges and losses till the delivery point shall be borne by the Generator.

5. BID STRUCTURE

5.1. **Bids in Power Terms:** The Procurer shall invite the bids in Power Capacity (MW) terms, specifying the total quantum to be contracted by the procurer. Procurer may specify minimum off-take in terms of annual energy in the RfS.

5.2. A bidder can quote for a part of the total quantum to be procured by the procurer. The minimum quantum of power that can be offered by the bidder should be 50MW for the projects connected to inter-state transmission system. In case of STU-connected Projects, minimum bid quantum may be specified as 10 MW. Notwithstanding this, on due consideration of availability of land and transmission facility, smaller minimum quantum of power that can be offered by a bidder can be kept in case of North-Eastern States, Special Category States and Projects outside RE Parks and STU Connected Projects, but this should be clearly provided for beforehand in the RfS.

5.3. A maximum of 50 percent of total capacity as specified in the RfS can be allocated to a single bidder.

5.4. **Tariff as the Bidding Parameter:** The bidding evaluation parameter shall be the tariff per unit supply of solar power, fixed for the entire term of the PPA. The Procurer shall invite bids wherein the bidder shall quote the Tariff in Rs./kWh. The bidder shall be selected on the basis of least quoted Tariff. Subsequent to the e-reverse auction, the bidder (called the L1 bidder) quoting the least Tariff (called the L1 tariff) shall be allocated the quantum of power offered by him. The capacity allocation shall be on the basis of Bucket filling i.e. capacity quoted by L1 bidder at L1 rates shall be allocated first, then the capacity quoted by the next lowest bidder (called the L2 bidder) at the rates quoted by him (called the L2 rates) may be allocated and so on.

However, the allocation will only be made to the bidders whose bid falls within a pre-defined "Range" from the L1 tariff, as stipulated in the RfS. Thus, after arranging the bidders in the ascending order of tariff, the Project capacities will be awarded only to those bidders whose final price bids are within a range of "L1+x%", in terms of INR/kWh; while the value of "x" generally be two (2) to five (5) and shall be fixed in the RfS.

5.5. Bid submission and evaluation:

(a). Formation of consortium by the bidders shall be permitted, in which case the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bidding process. The Procurer may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium.

(b). The Procurer shall constitute a committee for evaluation of the bids (Evaluation Committee), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters / bid evaluation.

(c). The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. The bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an Earnest Money Deposit (EMD) along with the bids.

(d). The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS document shall be considered for further evaluation on the price bids.

(e). To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders should be two. If the number of

qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.

(f). The price bid shall be rejected, if it contains any deviation from the tender conditions. No clarifications shall normally be requested from bidders at price bid stage.

(g). The detailed procedure for evaluation of the bid and selection of the bidder shall be provided for in the RfS document.

6. POWER PURCHASE AGREEMENT

The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of this PPA shall include *inter alia* the following. These provisions may be supplemented and unless otherwise specified herein, shall be provided for, on a back-to-back basis in the PSA:

6.1. **PPA Period:** The PPA period shall generally be for a period of 20 (twenty) years from the Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD) or from the rescheduled date of commencement of supply to the extent of extension given by the Procurer on the grounds which are beyond control of the Generator. The PPA may, however, also be fixed for a longer period such as 25 (twenty-five) years. The duration of the PPA must be mentioned upfront in the RfS document. The developers shall be free to operate their plants after the expiry of the PPA period. The developer may upgrade and repower their plants during the PPA period at its own risk and cost; and participate in subsequent bids to the extent of their untied capacity.

6.2. Power Procurement

(a). The procurement of power -shall be in power (MW) terms. The range of Capacity Utilisation Factor (CUF) will be indicated in the bidding documents. Calculation of CUF will be on yearly basis.

(b). In case the project supplies energy less than the energy corresponding to the minimum CUF, the SPG will be liable to pay to the Procurer, penalty for the shortfall in availability of energy. The amount of such penalty will be equal to one and a half times the PPA tariff for the shortfall in energy terms, in accordance with the terms of the PPA

(c). In case the energy available is more than the quantum corresponding to maximum CUF specified, the Solar Power Generator will be free to sell it to any other entity provided first righ to frefusal will vest with the Procurer(s). In case the Procurer purchases the excess generation,the same may be do neat the PPA tariff, and provision to this effect shall be clearly indicated in the RfS document.

(d). In order to allow optimization of operation of RE, the Generator is allowed to supply power from the RE power plant in excess of contracted capacity, to any third party or power exchange without requiring any No-Objection Certificate (NOC) from the Procurer. The Generator may also sell the power which was offered on day ahead basis to the Procurer (within Contracted Capacity) but not scheduled by the Procurer, to any third party or in power exchange without requiring NOC from the Procurer.

(e). Developers who have already commissioned Solar PV plants or are in process of constructing such plants and have untied capacity may also participate in the bid. In such case, they may be given the benefit of a longer period of PPA, commensurate to the duration between the actual date of commencement of supply of power and SCSD.

(f). The scheduling and its punching thereof at different Regional Load Despatch Centres (RLDCs) / State Load Despatch Centres (SLDCs) (including the injecting, intervening and buyer SLDCs/ RLDCs) shall be the responsibility of Generator only.

(g). **Deviation Settlement Mechanism** (**DSM):** For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. The DSM charges at the generator end shall be settled by the Solar Power Generator.

6.3. Payment Security Mechanism (PSM)

Adequate payment security shall be provided as per Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 including amendments and clarification, if any, thereof, issued from time to time. In addition, the Intermediary Procurer may maintain a payment security fund. To be eligible for coverage from the fund, the developer will undertake to pay PSM charges at the rate of 2 paise per unit.

6.4. Force Majeure

6.4.1. The PPA shall contain provisions with regard to Force Majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of force majeure as per the Industry Standards. The Generator shall intimate the procurer about the occurrence of force majeure within 15 (fifteen) days of the start of the force majeure and the Procurer shall respond on his claim within 15 days of the receipt of the intimation.

6.5. **Generation Compensation for off-take Constraints:** Where the procurer does not schedule power on

account of unavailability of the Transmission Infrastructure or any other eventuality, the penalty will be in accordance with the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021, as amended from time to time.

6.5.1. Generation Compensation in off take constraints due to Grid Unavailability: During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the Generator. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner:

Duration of Grid unavailability	Provision for Generation Compensation
Grid unavailability beyond 175 hours in a year, as defined in the PPA	***Generation Compensation =*** ***((Tariff X Solar power (MW) offered but not scheduled by Procurer)) X 1000 X No. of hours of grid unavailability.*** However, in case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realised, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.

6.5.2. Payment in case of reduced offtake: The Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. In case the plant is available to supply power but the off take of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with “Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 notified by the Ministry of Power vide Gazette notification dated 3rd June 2022” and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of ‘must run’ status for RE Power, the procurer shall pay to the Generator, corresponding to the reduced off take, in terms of following manner:

Reduced Off-take	Provision for Generation Compensation
Reduced off-take beyond 175 hours in a year, as defined in the PPA	Generation Compensation = ***(Tariff x Solar PV power (MW) offered but not scheduled by Procurer) X 1000 X No. of hours of Reduced Offtake*** However, in case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realised, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.

6.5.3. For claiming compensation, the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer.

6.6. Event of default

(a). For delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the generator event of default shall be construed to have occurred and consequences shall be in accordance with Clause 13.3.

(b). In the event the Generator fails to maintain energy supply corresponding to the minimum CUF as declared in the PPA, the Generator shall be in default and the PPA shall be liable to be terminated. Further, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF.

(c). In the event that the Generator assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Generator shall pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.

(d). In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution provisions provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA.

(e). If the Procurer/Intermediary procurer is in default on account of reasons including inter alia failure in timely

payment of the dues, in accordance with the RfS or repudiation of the PPA, the Generator may terminate the PPA and at its discretion. The defaulting Procurer shall pay to the Generator, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF.

6.7. CHANGE IN LAW/ REGULATION

The provisions for Change in Law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Ministry of Power vide notification dated 22nd October 2021 including amendments and clarification thereof issued from time to time.

7. BIDDING PROCESS

7.1. The Procurer/intermediate procurer shall call for the bids adopting a single stage, two part (Technical Bid & Financial Bid), bidding process to be conducted through electronic mode (e-bidding). The technical bid shall be opened first. The financial bids of only those bidders who qualify in the technical bid shall be opened. E-procurement platforms with a successful track record and with adequate safety, security and confidentiality features will be used.

7.2. The Procurer shall invite the Generators to participate in the RfS for installation of Solar PV Power Plants and supply of Solar Power with or without Energy Storage System, in terms of these Guidelines.

7.3. Developers who have already set up capacity or who have spare untied capacity may also participate in the bid.

7.4. The bidding documents including the RfS and the draft PPA shall be prepared by the Procurer in consonance with these Guidelines and the SBDs, if any.

7.5. The Procurer shall publish the RfS notice in at least two national newspapers and its own website to accord wide publicity.

7.6. The Procurer shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders and shall provide written interpretation of the tender documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the website of the Procurer for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 (days) therefrom, for submission of bids.

8. REQUEST FOR SELECTION (RFS) DOCUMENT

The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfS document shall include the following and may be suitably expanded:

8.1. Bid Responsiveness

The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including *inter-alia*

(a). Bidder or any of its Affiliates is not a wilful defaulter to any lender.

(b). The Bidder & any of its Affiliate including any Consortium Member & any of its Affiliate, their directors should not have been barred or included in the blacklist by any Government Agency or Authority in India, the Government of the jurisdiction of the Bidder or Members where they are incorporated or the jurisdiction of their principal place of business, any international financial institution such as the World Bank Group, Asian Development Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank etc or the United Nations or any of its agencies.

8.2. Qualification requirements to be met by the bidders

8.2.1. Technical Criteria

The Government would like to encourage competition by way increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Criteria. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved.

8.2.2. Financial Criteria

(a). Net worth

(i). The Procurer shall specify financial criteria in the form of net worth as a part of the qualification requirement. The net-worth requirement should be at least 20% (twenty per cent) of the estimated Project cost or any other criteria specified in the RfS.

(ii). The net worth to be considered for the above purpose will be the cumulative net-worth of the bidding

company or consortium, together with the net-worth of those Affiliates of the bidder(s) that undertake to contribute the required equity funding and performance bank guarantees in case the bidder(s) fail to do so in accordance with the RfS document.

(iii). It is clarified that the net-worth to be considered for this clause will be the total net-worth as calculated in accordance with the Companies Act.

(b). Liquidity

It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals to manage the fund requirements for the Project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bidding capacity, etc.

8.3. Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD)

Procurer shall specify the Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD), which shall not be less than two (2) percent of the estimated capital cost of the Project or any other criteria specified in the RfS, in the form of a bank guarantee/ letter of undertaking to pay/, to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or debarring etc., as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the Generator to execute the PPA within the stipulated time period.

8.4. Compliance of FDI Laws by foreign bidders

In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India.

9. INDICATIVE TIMETABLE FOR BID PROCESS

9.1. In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty-two) days shall be allowed between the issuance of RfS document and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated below:

Indicative Timetable for Bid Process

Sl. No.	Event	Elapsed Time from Zero date
1.	Date of issue of Request for Selection (RfS) document, Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the Power Sale Agreement (PSA), if applicable.	Zero date
2.	Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS document	**
3.	RfS Bid submission	22 days
4.	Evaluation of technical bids	64 days
5.	Evaluation of financial bids and conduction of e-Reverse Auction	99 days
6.	Issuance of Letter of Award (LoA)	110 days
7.	Signing of PPA & PSA (if applicable)	140 days

*** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with Clause 7.5 of these Guidelines.*

Note: *It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, or any other reason, such extension of time shall not in any way be construed as deviation from these Guidelines.*

9.2. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 110 (one hundred ten) days.

10. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION

10.1. The PPA shall be signed with the successful bidder/ project company or an SPV formed by the successful bidder.

10.2. The procurer shall constitute a committee for evaluation of the RfS bids. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and

certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS document. The evaluation authority should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the requirement. The evaluation committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned to the prevailing market prices.

10.3. For the purpose of transparency, the Procurer shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days.

10.4. Subject to provisions of the Act, the distribution licensee or the Intermediary Procurer, as the case may be, shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs discovered, in terms of Section 63 of the Act, within 15 (fifteen) days of the discovery of the tariffs through e-reverse auction or otherwise, in the transparent competitive bidding process conducted in accordance with these Guidelines.

10.5. Subsequent to the distribution licensee or Intermediary Procurer, as the case may be, approaching the Appropriate Commission for adoption of tariffs under Section 63 of the Act, in case, the Appropriate Commission does not decide upon the same within 60 (sixty) days of such submission or within 120 (one hundred and twenty) days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more, the Procurer(s) shall grant appropriate extension of time in SCSD to the generators, corresponding to the delay [beyond 60 (sixty) days of submission or 120 (one hundred and twenty) days of PSA, whichever is more] in adoption/ approval by the Appropriate Commission, till the date of adoption/ approval by the Appropriate Commission.

11. BANK GUARANTEES/ PAYMENT ON ORDER INSTRUMENTS/ LETTERS OF UNDERTAKING

The Generator shall provide the following bank guarantees/ letters of undertaking to pay to the Procurer in terms of the RfS

11.1. **Earnest Money Deposit (EMD) as per Clause 8.3** to be submitted along with response to RfS, in the form of:

(a). Bank Guarantee(s);

OR

(b). "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case of default of the RE Power Generator in terms of RfS, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC).

"Payment on Order instrument" means Letter *of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC.*

11.2. **Performance Guarantee (PBG),** to be fixed by the Procurer, but not to be less than 5% (five percent), of the estimated Project cost, for the financial year in which the bids are invited, or any other criteria specified in the RfS, to be submitted at the time of signing of the PPA, in the form of:

(a). Bank Guarantee(s);

OR

(b). "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking to pay in case of default of SPG in terms of Power Purchase Agreement (PPA), from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC) and REC Limited (REC);

11.3. In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under Clause 6.3 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per

these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the SCSD of the project. In case of part commencement of supply of power, PBG corresponding to such part capacity, should be released within 45 days.

11.4. Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a generator as 'Performance Bank Guarantee (PBG)', if the generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking to pay in case situation of default of generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC).Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three nonbanking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the implementing agencies.

12. SHAREHOLDING BY THE PROMOTER

12.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 1 (one) year from the SCSD except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. Further, the successful bidder shall ensure that its promoters shall not cede control[2] of the bidding company/ consortium till 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.

12.2. Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the SCSD can be undertaken under intimation to Procurer.

12.3. In the event the Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake "Substitution of Promoter" in concurrence with the Procurers.

[[2]The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.]

13. COMMENCEMENT OF SUPPLY OF POWER

13.1. The Power Purchase Agreement between the RE Project and Procurer/Intermediate procurer shall clearly indicate the SCSD and quantum of supply.

13.2. Commencement of Supply Schedule

(a). The Developer / Solar Power Generator shall generally commence supply of power, within a period of:

(i). 24 (twenty-four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, where the quantum allotted to the Developer / Solar Power Generator is not more than 1000 MW;

(ii). 30 (thirty) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, where the quantum allotted to the Developer / Solar Power Generator is more than 1000 MW.

(b). However, if for some reason, the SCSD period needs to be kept shorter or longer than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

(c). It is presumed that in terms of Clause 10.5 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission or within 120 days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 days of submission or 120 days from of PSA, whichever is more, shall entail a corresponding extension in SCSD.

13.3. Delay in Commencement of Supply of Power

Delay in commencement of supply of power, beyond the SCSD shall involve penalties on the Generator, as detailed below:

(a). For delay in commencement of supply of power up to 6 (six) months from SCSD, encashment of Performance Bank Guarantee (PBG), or alternate instruments, on per-day basis and proportionate to the contracted capacity that has not commenced supply of power.

(b). For delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the following shall be applicable:-

(i). The contracted capacity shall stand reduced to the project capacity that has commenced supply of

power within the period of SCSD plus 6 (six) months. The PPA for the balance contracted capacity that has not commenced supply of power shall stand terminated.

(ii). The Generator shall be debarred from participating in bids issued by any Procurer or any Intermediary Procurer for the following period:

a. For one year in case of first default

b. For not less than 2 years and not more than 3 years for second and any subsequent defaults.

13.4. Part Commencement of Supply of Power

Part Commencement of Supply of Power of the Project shall be accepted by the Procurer subject to the condition that the Minimum Capacity for acceptance of first and subsequent part(s) shall be 50 MW (with the last part being the balance Contracted Capacity), without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which has not yet commenced supply of power. Minimum part-capacities in case of STU-connected Projects may be specified in the bidding documents. However, the SCSD will not get altered due to part-commencement of supply of power. Irrespective of dates of part or full commencement of supply of power, the PPA will remain in force for the period specified in the bid.

13.5. Early Commencement of Supply of Power

The Solar Power Generator shall be permitted for commencement of supply of power corresponding to full as well as part contracted capacity, even prior to the SCSD. The Generator will be allowed to commence supply of power from the Project, with first right of refusal for such power being vested with the End Procurer. Subsequent to refusal of such power by the End Procurer, the right of refusal shall vest with the Intermediary Procurer. If the Procurer/Intermediary Procurer decides to off-take power in this case, such power shall be purchased at the PPA tariff for the applicable contract year and specific provisions in this regard will be stipulated in the tender documents.

14. TRANSMISSION CONNECTIVITY

14.1. The responsibility of getting Transmission Connectivity will lie with the Generator and shall be at the cost of Generator.

14.2. The Metering Point, which is the point at which energy supplied to the Procurer shall be measured, shall be the low voltage side of the CTU/STU substation. In case of RE parks, the metering point is the ISTS/In-STS pooling station with which the internal transmission from all the pooling substations is connected. All expenses including wheeling charges and losses between the Project and the Metering Point shall be paid by the Generators without any reimbursement by the Procurer. All expenses including wheeling charges and losses in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by the Procurers as per the regulation notified by the Commission from time to time.

15. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Procurers shall promote commercially established and operational technologies to minimize the technology risk and to achieve the timely commencement of supply from the Projects. The detailed technical parameters for Solar PV/Energy Storage Systems, shall be as specified by MNRE from time to time.

16. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES

The objective of these Guidelines is to bring standardization & uniformity in processes so that there is fairness & transparency in procurement. As such, these Guidelines need to be strictly followed in the bidding process and no bid, under section 63 of the Electricity Act, for procurement of Solar power from the Projects with or without Energy Storage System shall be issued in contravention to these Guidelines. However, in case it becomes imperative for the Procurer to deviate from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Government before the initiation of bidding process itself. The Appropriate Government shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days of filing such petition.

17. DISPUTE RESOLUTION

In the event, CERC is the Appropriate Commission, any dispute that arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by the Dispute Resolution Committee set up by the Government, failing which by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC/JERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC/JERC or shall

be referred for arbitration by the SERC/JERC.

18. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of Power is empowered to do the same in consultation with Ministry of New & Renewable Energy.

19. RENEWABLE PURCHASE / ENERGY STORAGE OBLIGATION

The Solar power [including Energy Storage System (ESS) component charged with solar power] bought under these Guidelines shall be eligible for RPO compliance. The ESS capacity used in the project can be used for fulfilling the Energy Storage Obligations as per the Government of India's orders or notifications.

20. ISTS CHARGES AND LOSSES

ISTS charges and losses on transmission of power, including waiver for RE power, shall be as per extant rules and regulations.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251741
CG-DL-E-02022024-251741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से फर्म एवं डिस्पैचेबल विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2024-एनआरई.—ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से फर्म एवं डिस्पैचेबल विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों को दिनांक 09 जून, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1 खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/03/2023-आरएंडआर के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

2. केंद्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 09 जून, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 14.3 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

खंड 14.3: विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत में विलंब :

खंड 14.3 (ख) (ii) हटा दिया गया माना जाए।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आर एंड आर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd February, 2024

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Firm and Dispatchable Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects with Energy Storage Systems

No. 48-19/2/2024-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Firm and Dispatchable Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects with Energy Storage Systems have been notified vide Resolution No. 23/03/2023-R&Rpublished in the Gazette of India (Extraordinary) (Part 1 Section 1) on 9th June 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 9th June 2023:-

Clause 14.3 of the existing guidelines is modified as follows: -

Clause 14.3:Delay in Commencement of Supply of Power:

Clause 14.3 (b) (ii) shall stand deleted.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112023-250106
CG-DL-E-17112023-250106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945
No. 294] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से दृढ़ और प्रेषणीय विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2023-एनआरई.—ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से दृढ़ और प्रेषणीय विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देश 9 जून, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1, खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/03/2023-आरएंडआर के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।

2. केंद्र सरकार एतद्वारा 9 जून,2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 14.5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है,

खंड 14.5: पीपीए के बाहर एकल घटक से विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआत:

बहुविध परियोजना घटकों के मामले में और यदि ऐसे एक या अधिक घटक (पवन या सौर या अन्य आरई विद्युत उत्पादन प्रणाली) ग्रिड में विद्युत डालने के लिए तैयार है, लेकिन शेष घटक विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में असमर्थ है, तो उत्पादक को ऐसे घटक से विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की अनुमति होगी जो पीपीए के दायरे से बाहर तैयार है।

विकासकर्ता पूर्ण या आंशिक क्षमता के अग्रिम रूप से चालू होने के संबंध में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों को पंद्रह (15) दिन का अग्रिम नोटिस देगा। अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार नोटिस के तामील होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी विद्युत का लाभ उठाने के लिए स्वीकृति देंगे। यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो विकासकर्ता अंतिम खरीददार और मध्यस्थ खरीददार द्वारा स्वीकार न की गई सीमा तक विद्युत को विद्युत एक्सचेंजों में या द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से बेच सकता है।

परंतु यह कि यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं, तो अंतिम खरीददार (खरीददारों) को ऐसी विद्युत प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा देय टैरिफ पीपीए टैरिफ के 50% तक होगा या इस संबंध में निविदा दस्तावेजों में विशिष्ट प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 17th November, 2023

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Firm and Dispatchable Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects with Energy Storage Systems

No. 48-19/2/2023-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Firm and Dispatchable Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects with Energy Storage Systems have been notified vide Resolution No. 23/03/2023-R&Rpublished in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 9th June 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 9th June 2023:-

Clause 14.5 of the existing guidelines is substituted with the following,

Clause 14.5: Early Commencement of Supply of Power from single component outside PPA:

In case of multiple project components and if one or more such component (wind or solar or other RE power generating system) is ready for injection of power into the grid, but the remaining component is unable to commence supply of power, the Generator will be allowed to commence supply of power from such component which is ready outside the ambit of PPA.

The developer shall give fifteen (15) days advance notice to both End Procurer(s) and Intermediary Procurer regarding the advance commissioning of full or part capacity. The End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall give acceptance for availing such power within 15 days from the date of service of notice. In case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer do not give their acceptance to purchase power within the stipulated period, the developer can sell the power to the extent not accepted by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer in the power exchanges or through bilateral arrangements.

Provided that in case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer give their acceptance to purchase power, the End Procurer(s) will be accorded priority in availing such power.

Provided further that in such cases tariff payable by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall be up to 50% of the PPA tariff or specific provisions in this regard will be stipulated in the tender documents.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062023-246451
CG-DL-E-10062023-246451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2023/ज्येष्ठ 19, 1945
No. 142] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2023/JYAISHTHA 19, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जून, 2023

ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से स्थिर तथा प्रेषणयोग्य विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश।

सं. 23/03/2023-आरएंडआर.—

1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत के विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण में "बंडलिंग" की एक स्कीम का प्रावधान था, जिसमें कि, उस समय की अपेक्षाकृत महंगी सौर विद्युत को एनटीपीसी के कोयला-आधारित केन्द्रों द्वारा भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) के अनाबंटित कोटा से उत्पादित सस्ती तापीय विद्युत के साथ शामिल (बंडल्ड) किया गया था।

1.1.2 भारत सरकार के हस्तक्षेप से, सौर पार्कों के माध्यम से भूमि तथा निकासी की अग्रिम व्यवस्था, हरित ऊर्जा कॉरिडोरों, जोखिम वितरण और मुआवजों के लिए व्यापक व्यवस्था के साथ 25 वर्षों के लिए एक सुरक्षित और मानकीकृत विद्युत क्रय करार (पीपीए), भुगतान सुरक्षा इत्यादि के रूप में उपायों द्वारा सौर और पवन विद्युत से जुड़े जोखिमों को कम किया गया है।

1.1.3 नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में इस प्रकार से जोखिम को कम करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों के उन्नयन और बड़े पैमाने पर किफायतता से सौर और पवन विद्युत क्षेत्र में टैरिफ को कम किया गया है जिसके कारण देश में सौर और पवन क्षमता की स्थापना में तेजी आई है।

1.1.4 तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा की अनिरंतर और परिवर्तनशील प्रकृति होने और पारेषण प्रणाली के कम क्षमता उपयोग होने की समस्या का समाधान किए जाने की जरूरत है। यह समस्या बड़े पैमाने पर नवीकरणीय क्षमता जोड़े जाने से और बढ़ेगी। अनिश्चित प्रकृति की विद्युत का प्रबंधन करने के लिए, विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम्स) बैलेंसिंग पावर खरीद रही हैं ताकि ग्रिड स्थिरता प्रदान की जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की अनुपलब्धता के समय/अवधि के दौरान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

1.1.5 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास,'हरित विद्युत' की मांग में वृद्धि तथा देश के लिए 'वास्तविक' ऊर्जा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का विजन होने से वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को चौबीसों घंटे/मांग आधारित नवीकरणीय विद्युत की आपूर्ति आवश्यक होती है। ऐसी विद्युत में स्थिरता के साथ-साथ प्रेषणयोग्यता के तत्व होंगे। इसका उद्देश्य मांग के आधार पर ऑफटेक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णत: आरई स्रोतों से करना है।

1.1.6 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 और 62 के अंतर्गत, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ विनियमन और उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत प्रावधान है कि:-

"धारा 62 में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया गया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा।"

1.1.7 भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विद्युत अधिनियम, 2003 **('अधिनियम')** के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। विद्युत क्रय लागत वितरण लाइसेंसधारकों के लिए सबसे बड़ी लागत घटक होती है। वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद किए जाने से विद्युत की खरीद की समग्र लागत कम होने की संभावना है और इससे विद्युत बाजारों में विकास हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, खुदरा विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा होने से विद्युत की कीमतों में कमी आई है और इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ हुआ है।

1.1.8 ये दिशानिर्देश डिस्कॉमों द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऊर्जा भंडारण के साथ, ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत परियोजनों से डिस्कॉमों द्वारा स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की खरीद को समर्थ बनाने के लिए अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं। स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत का तात्पर्य आरएफएस/बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट मांग प्रोफाइल के अनुसार विद्युत की आपूर्ति करना है।

1.2 उद्देश्य

1.2.1 इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से डिस्कॉमों को स्थिर तथा प्रेषणयोग्य विद्युत उपलब्ध कराना।

(ख) नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि करने और डिस्कॉमों के नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)/भंडारण विद्युत दायित्व (एसपीओ) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करना।

(ग) विभिन्न हितधारकों के बीच उपयुक्त जोखिम हिस्सेदारी के साथ खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर एक पारदर्शी, निष्पक्ष, मानकीकृत खरीद फ्रेमवर्क प्रदान करना ताकि उपभोक्ता के हित में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विद्युत की खरीद हो सके, परियोजनाओं की बैंक ग्राह्यता में सुधार हो सके और निवेशकों के लिए उचित प्रतिफल सुनिश्चित हो सके; तथा

(घ) क्षेत्र को जोखिम रहित बनाने के लिए एक और उपाय के रूप में, विद्युत की अंतर-राज्यीय/अंतः-राज्यीय, दीर्घावधिक, बिक्री – खरीद के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना: ।

2. दिशानिर्देशों का कार्यक्षेत्र

2.1 दिशानिर्देशों की प्रासंगिकता

ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय (आरई) विद्युत परियोजनाओं **('आरई परियोजनाओं')** से, 'खरीददारों' द्वारा स्थिर और प्रेषणयोग्य विद्युत की दीर्घावधि खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं।

2.2 स्पष्टीकरण

(क) 'सौर': इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'सौर' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) प्रौद्योगिकी अथवा ऐसी प्रौद्योगिकी पर आधारित विद्युत संयंत्र के संदर्भ में होगा।

(ख) 'नवीकरणीय (आरई) विद्युत': इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'आरई विद्युत', अथवा 'नवीकरणीय विद्युत', अथवा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत शब्द का प्रयोग हुआ है, वह ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) के साथ, सौर विद्युत उत्पादन प्रणालियों, पवन विद्युत उत्पादन प्रणालियों, पवन-सौर हाइब्रिड अथवा किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आधारित उत्पादन प्रणाली अथवा तत्संबंधी सम्मिश्रण के संदर्भ में होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आरई विद्युत के अलावा किसी अन्य स्रोत के उपयोग से चार्ज की गई ईएसएस को आरई विद्युत माना जाएगा।

(ग) 'स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत': 'स्थिर तथा प्रेषणयोग्य विद्युत' शब्द का तात्पर्य पावर प्रोफाइल कॉनफिगरेशन से है जो आरएफएस में परिभाषित है, जिसकी पूर्ति आरई विद्युत स्रोतों से की जानी है और इसमें डिस्कॉम द्वारा यथा निर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति के कारण मांग अथवा भार के अनुसार दिन के किसी भी समय में रेटेड क्षमता पर विद्युत की स्थिर आपूर्ति के साथ सुनिश्चित व्यस्ततमकालीन विद्युत, चौबीसों घंटे आरई जैसे कॉनफिगरेशन, डिस्कॉमों आदि द्वारा आवश्यकता के निर्धारित घंटों के लिए विद्युत की स्थिर आपूर्ति वाली आरई परियोजनाएं शामिल होंगी।

(घ) 'आरई विद्युत उत्पादक (आरई-पीजी)':

(i) इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'आरई विद्युत उत्पादक (आरई-पीजी) अथवा उत्पादक' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ स्थिर तथा प्रेषणयोग्य नवीकरणीय विद्युत के उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में होगा, जिसमें मांग प्रोफाइल के अनुसार चौबीसों घंटे ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम आरटीसी आरई विद्युत परियोजनाएं, व्यस्ततमकालीन विद्युत के साथ आरई परियोजनाएं, निर्धारित समय आधारित खरीद, मौसमी खरीद आदि के साथ-साथ आरएफएस में यथा-निर्दिष्ट अन्य प्रोफाइल विशेषताएं शामिल होंगी।

(ii) बोलीदाता/विकासकर्ता भंडारण के साथ जुड़ी आरई विद्युत की आपूर्ति के लिए एमएनआरई द्वारा यथा परिभाषित सौर, पवन अथवा किसी अन्य नवीकरणीय संसाधन सहित नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आधारित उत्पादन प्रणाली (प्रणालियां) उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके लिए, या तो स्वयं बोलीदाता/विकासकर्ता को भंडारण क्षमता स्थापित करनी होगी अथवा 'स्थिरता तथा प्रेषणयोग्यता' के परियोजना मानदंडों को पूरा करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकासकर्ताओं के साथ जुड़ना होगा और इसके लिए, किसी विशेष निविदा में, एकल बोली प्रस्तुत करनी होगी।

(iii) आरई विद्युत उत्पादक और ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकासकर्ता के बीच संविदात्मक समझौता, यदि कोई हो, के बावजूद इन दिशानिर्देशों तथा उसके पीपीए के अंतर्गत विकासकर्ता से संबंधित सभी दायित्व पीपीए पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी के होंगे और उसे आरई विद्युत उत्पादक (आरई-पीजी) के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(ङ) 'आरई पार्क': इन दिशानिर्देशों में, जहां कहीं भी 'आरई पार्क' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सौर-पवन हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं सहित, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, विकसित क्षेत्रों अथवा पार्कों के संदर्भ में होगा।

(च) 'खरीददार': जैसाकि प्रसंग में अपेक्षित है, 'खरीददार' शब्द से तात्पर्य वितरण लाइसेंसधारक अथवा अधिकृत प्रतिनिधि(यों) अथवा मध्यस्थ खरीददार से होगा।

(छ) खरीददार का 'अधिकृत प्रतिनिधि : जहां विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षरकर्ता एजेंसी और निविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी अलग-अलग हैं, तो निविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी 'खरीददार' की अधिकृत प्रतिनिधि मानी जाएगी और खरीददार की ओर से इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बोली प्रक्रिया चरण के दौरान 'खरीददार' पर लगाई गई सभी बाध्यताओं को पूरा करने की जिम्मेदार होगी।

(ज) 'मध्यस्थ खरीददार' और 'अंतिम खरीददार':

(i) कुछ मामलों में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित मध्यवर्ती को विभिन्न आरई विद्युत विकासकर्ताओं से खरीदी गई विद्युत को समाकलित करने और उसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/उपभोगकर्ता कंपनियों/खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं को बेचने का कार्य सौंपा जा सकता है।

ऐसे मामलों में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी/उपभोगकर्ता कंपनियां/खुली पहुंच वाले उपभोक्ता अंतिम खरीददार होंगे और मध्यवर्ती इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ 'मध्यस्थ खरीददार' होगा।

(ii) मध्यस्थ खरीददार आरई विद्युत विकासकर्ता के साथ एक विद्युत क्रय करार (पीपीए) करेगा और साथ ही, अंतिम खरीददार के साथ विद्युत विक्रय करार (पीएसए) भी करेगा। पीएसए में साथ-साथ आधार पर पीपीए के सभी संगत प्रावधान भी शामिल होंगे। अंतिम खरीददार द्वारा मध्यस्थ खरीददार को 0.07 रु./किलोवाट घंटा का ट्रेडिंग मार्जिन भुगतान किया जाएगा।

(iii) जब तक मध्यस्थ खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाएगा, तब तक अंतिम खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया मान लिया जाएगा।

(झ) आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी): संविदात्मक क्षमता के संबंध में आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी) का तात्पर्य, आरएफएस (चयन के लिए अनुरोध) में दर्शाए गए आपूर्ति की शुरूआत की तिथि, के अनुरूप तिथि होगा।

2.3 इन दिशानिर्देशों में जब तक स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो, इन दिशानिर्देशों के प्रावधान खरीददार/मध्यस्थ खरीददार/अंतिम खरीददार और खरीददार के अधिकृत प्रतिनिधि पर बाध्यकारी होंगे और विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत विचार किए जाने हेतु ऐसी बाध्यताओं के लिए उनका सख्ती से अनुसरण किए जाने की जरूरत है। तथापि, यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो इन दिशानिर्देशों के खण्ड 17 में अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

2.4 इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धांतों का उपयुक्त तरीके से विस्तार किया जा सकता है और इसे मानक बोली प्रक्रिया दस्तावेजों [जिसमें मॉडल चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, मॉडल विद्युत क्रय करार तथा मॉडल विद्युत बिक्री करार शामिल है] में व्यापक बनाया जा सकता है।

3. बोली आमंत्रित करने तथा परियोजना की तैयारी की प्रक्रिया

3.1 खरीददार द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

खरीददार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगाः-

3.1.1 बोली दस्तावेजः

(क) इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार करना।

(ख) इन दिशानिर्देशों के खण्ड 17 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इन दिशानिर्देशों और/अथवा एसबीडी से प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदि लागू हों) में यदि कोई विचलन हो, तो उसके लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना।

तथापि, स्पष्टता के प्रयोजन से, यदि खरीददार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और अन्य परियोजना करारों को तैयार करते समय विस्तृत प्रावधान करता है, जो दिशानिर्देशों के अनुकूल हों, तो ऐसे विस्तृत प्रावधान इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माने जाएंगे, चाहे ये विस्तृत प्रावधान दिशानिर्देशों में नहीं दिए गए हों।

3.2 आपूर्ति की शुरूआत से संबंधित व्यवस्थाएं

आरएफएस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, कनेक्टिविटी आदि के साथ-साथ उत्पादक द्वारा नियमित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त लक्ष्यों को निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे लक्ष्य/अपेक्षाओं की गैर-अनुपालना के संबंध में शास्ति निर्दिष्ट करेगा। विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि से पूर्व भूमि की व्यवस्था और ग्रिड से कनेक्टिविटी और पहुंच (यदि लागू हो) सहित सभी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्ति प्राप्त करना उत्पादक की जिम्मेदारी होगी और ऐसी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में विलंब के मामले में खरीददार जिम्मेदार नहीं होगा।

4. ऊर्जा सम्मिश्रणः

4.1. उत्पादक आरएफएस में यथानिर्दिष्ट मांग प्रोफाइल के निमित्त निर्धारित उपलब्धता सहित स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की आपूर्ति करेगा। डिस्कॉम द्वारा व्यस्ततम समय की घोषणा की जाएगी और इसे आरएफएस में

विनिर्दिष्ट किया जाएगा। निर्धारित उपलब्धता की पूर्ति नहीं करने के लिए शास्ति (पेनल्टी), आपूर्ति नहीं किए गए यूनिटों की संख्या के टैरिफ के डेढ़ गुणा के बराबर होगा।

4.2 उत्पादक को विद्युत का इस प्रकार से प्रस्ताव करना होगा कि 100 प्रतिशत प्रस्तावित वार्षिक ऊर्जा आरई विद्युत के समनुरूप हो। तथापि, उत्पादक आरएफएस में निर्धारित आपूर्ति की शर्तें पूरी करने के लिए हरित बाजार स्रोतों/द्विपक्षीय करारों से वार्षिक आधार पर 5 प्रतिशत तक आरई विद्युत (ऊर्जा की दृष्टि से) प्राप्त कर सकता है।

4.3 विकासकर्ता आरई उत्पादक प्रणाली को ऊर्जा भंडारण के साथ सम्मिश्रित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरएफएस में निर्दिष्ट मांग प्रोफ़ाइल और आरएफएस में निर्धारित कोई अन्य कार्यनिष्पादन मानदंड के अनुसार आवश्यक उपलब्धता प्राप्त कर लिया गया है, बशर्ते आरई स्रोतों का उपयोग भंडारण प्रणाली में ऊर्जा का भंडारण करने के लिए किया गया हो।

5. टैरिफ

5.1 बोलीदाताओं द्वारा स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की आपूर्ति के लिए एकल टैरिफ **('टैरिफ')** का उल्लेख किया जाएगा।

5.2 टैरिफ का उल्लेख डिलीवरी प्वाइंट पर किया जाएगा, जो कि सीटीयू इंटरकनेक्शन प्वाइंट पर होगा। डिलीवरी प्वाइंट तक सभी प्रभार और हानियां उत्पादक द्वारा वहन की जाएंगी।

6. बोली संरचना

6.1 **विद्युत के संदर्भ में बोलियां:** खरीददार विद्युत क्षमता (मेगावाट) के संदर्भ में बोलियाँ आमंत्रित करेगा जिसमें खरीददार द्वारा संविदा की जाने वाली कुल मात्रा का उल्लेख होगा। खरीददार आरएफएस में वार्षिक ऊर्जा के संदर्भ में न्यूनतम ऑफ-टेक निर्दिष्ट कर सकता है।

6.2 बोलीदाता, खरीददार द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा के एक भाग के लिए उद्धृत कर सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जा सकने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा कम से कम 50 मेगावाट होनी चाहिए ताकि किफायतता बनी रहे। बावजूद इसके, भूमि और पारेषण सुविधा की उपलब्धता पर उचित विचार करने के बाद, पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्यों और आरई पार्कों के बाहर की परियोजनाओं तथा एसटीयू संबद्ध परियोजनाओं के मामले में बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जा सकने वाली विद्युत की मात्रा छोटी रखी जा सकती है लेकिन इसका आरएफएस में पहले से स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

6.3 निविदा में, किसी एक बोलीदाता को बोली क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत आवंटित किया जा सकता है।

6.4 **बोली मापदंड के रूप में टैरिफः** बोली मूल्यांकन मापदंड पीपीए की संपूर्ण अवधि के लिए निर्धारित स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की प्रति यूनिट आपूर्ति के लिए टैरिफ होगा। खरीददार बोली आमंत्रित करेगा, जिसमें बोलीदाता रुपये/किलोवाट घण्टे में टैरिफ का उल्लेख करेगा। बोलीदाता का चयन न्यूनतम उल्लिखित "टैरिफ" के आधार पर किया जाएगा। ई-रिवर्स नीलामी के बाद, न्यूनतम टैरिफ (जिसे एल 1 टैरिफ कहा गया है) का उल्लेख करने वाला बोलीदाता (जिसे एल 1 बोलीदाता कहा गया है), को उनके द्वारा प्रस्तावित विद्युत की मात्रा का आवंटन किया जाएगा। इस क्षमता का आवंटन सबसे पहले बकेट फिलिंग, अर्थात एल 1 दरों पर एल 1 बोलीदाता द्वारा उल्लिखित क्षमता के आधार पर किया जाएगा, उसके बाद, अगले न्यूनतम बोलीदाता (जिसे एल 2 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उल्लिखित दरों (जिसे एल2 दर कहा गया है) पर उल्लिखित क्षमता आवंटित की जा सकती है और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।

तथापि, केवल उन बोलीदाताओं को आवंटन किया जाएगा, जिनकी बोली आरएफएस में यथानिर्धारित एल1 टैरिफ से पूर्व-परिभाषित "श्रेणी"के अंतर्गत हो। इस प्रकार, बोलीदाताओं को टैरिफ के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद परियोजना क्षमताओं को केवल उन बोलीदाताओं को अवार्ड किया जाएगा, जिनकी अंतिम मूल्य की बोली, भारतीय रुपये में प्रति किलोवाट घंटे के अनुसार, "L1+x%" की श्रेणी में हो बल्कि "x" का मान सामान्यत: 2 (दो) से 5(पांच) के बीच हो और इसे आरएफएस में तय किया जाएगा।

6.5 **बोली प्रस्तुत तथा मूल्यांकन करना:**

(क) बोलीदाताओं द्वारा संघ बनाने की अनुमति होगी, जिसमें यह संघ एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रक्रिया के दौरान समस्त पत्राचार के लिए संपर्क सूत्र होगा। खरीददार संघ के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड तथा लॉक इन आवश्यकताओं का उल्लेख करेगा।

(ख) खरीददार बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए, कम से कम तीन सदस्यों की एक समिति (मूल्यांकन समिति) गठित करेगा, जिसमें कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञ होगा।

(ग) बोलीदाताओं को तकनीकी और कीमत बोली अलग-अलग जमा करानी होगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में आवश्यक बोली-गारंटी जमा करानी होगी।

(घ) तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियां आरएफएस दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदंडों को मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर पूरा करती हैं। आरएफएस दस्तावेज में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंड को पूरा करने वाली बोलियों पर ही, कीमत बोली पर अगला मूल्यांकन करने के लिए, विचार किया जाएगा।

(ङ) प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी। बोली के तीन प्रयासों के बावजूद, यदि पात्र पाए गए बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और खरीददार फिर भी बोली प्रक्रिया जारी रखना चाहता है, तो उपयुक्त आयोग की सहमति से ऐसा किया जा सकता है।

(च) कीमत बोली को निरस्त किया जाएगा, यदि इसमें निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कीमत बोली स्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः किसी स्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

(छ) आरएफएस दस्तावेज में बोली के मूल्यांकन और बोलीदाता के चयन के लिए विस्तृत विवरण दिया जाएगा।

7. विद्युत क्रय करार

आरएफएस के साथ-साथ, सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाला प्रस्तावित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए (यदि लागू हो) जारी किया जाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य के साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे। ये प्रावधान पूरक बनाए जा सकते हैं, जब तक यहां अन्यथा उल्लिखित न किया जाए, इन्हें पीएसए में साथ-साथ आधार पर शामिल किया जाएगा।

7.1 पीपीए अवधिः पीपीए की अवधि सामान्यतः आपूर्ति की शुरूआत की तिथि (एससीएसडी) से 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए होगी अथवा खरीदादर द्वारा दिए गए विस्तार की सीमा तक आपूर्ति की शुरूआत की पुनर्निर्धारित तिथि से होगी जो कि उत्पादक के नियंत्रण से बाहर है। तथापि, पीपीए की अवधि को 25 वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए भी तय किया जा सकता है। आरएफएस दस्तावेज में पीपीए की अवधि का उल्लेख पहले से किया जाना चाहिए। विकासकर्ताओं को पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट होगी। विकासकर्ता पीपीए अवधि के दौरान अपने जोखिम और लागत पर अपने संयंत्रों का उन्नयन तथा पुनः सशक्त बना सकता है; और बाद की बोलियों में उनकी अबद्ध क्षमता की सीमा तक भाग ले सकता है।

7.2 विद्युत खरीद

(क) खरीद, विद्युत (मेगावाट) की शर्तों पर होगी। उत्पादक को, मासिक रूप से अथवा व्यस्ततम/रात के समय में, आरएफएस में निर्दिष्ट शर्तों जैसे आरटीसी/लोड प्रोफाइल/ निर्दिष्ट घंटों की संख्या की तरह खंड 4.1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, आपूर्ति सुनिश्चित करनी होती है। खरीददार द्वारा आरएफएस दस्तावेजों में व्यस्ततम घंटों की संख्या को स्पष्ट रूप से पहले से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) यह ध्यान देने योग्य है कि बहुविध स्रोतों और/अथवा स्थानों से खरीददार द्वारा आरई विद्युत की उत्पादन समयावधि का योग, लागू हानियों को ध्यान में रखते हुए, आरएफएस अथवा पीपीए में विनिर्दिष्ट संविदा की गई क्षमता से अधिक नहीं हो सकता। तथापि, उत्पादक मौजूदा विनियमों के अनुसार, कनेक्टिविटी और पहुँच (यदि लागू हों) के लिए आवेदन कर सकता है।

(ग) आरई के बेहतर प्रचालन की अनुमति प्रदान करने के लिए, उत्पादक को किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को खरीददार से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बगैर संविदा की गई क्षमता से अधिक आरई विद्युत संयंत्र से विद्युत की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। उत्पादक उस विद्युत, जो खरीददार (संविदा की गई क्षमता के भीतर) को डे अहैड आधार पर प्रस्तावित की गई थी, परंतु खरीददार द्वारा अगले दिन के लिए शिड्यूल न की गई, की बिक्री, खरीददार से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बिना किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को कर सकेगा।

(घ) जिन विकासकर्ताओं ने पहले ही आरई संयंत्र/भंडारण संयंत्र आरंभ कर दिए हैं अथवा ऐसे संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया में हैं और जिनके पास अबद्ध क्षमता है, वे भी बोली में भाग ले सकते हैं। ऐसे मामले में, उन्हें विद्युत की

आपूर्ति शुरू होने की वास्तविक तारीख और एससीएसडी के बीच की अवधि के अनुरूप पीपीए की दीर्घावधि का लाभ दिया जा सकता है।

(ङ) आरएफएस में परिभाषित किए गए अनुसार, यदि आरई विद्युत उत्पादक के कारण, परियोजना की उपलब्धता में कमी के मामले में, उत्पादक, उपलब्धता में ऐसी कमी के लिए, खरीददार को शास्ति का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। निर्धारित उपलब्धता पूरी न किए जाने के परिणामस्वरूप, आपूर्ति नहीं की गई यूनिटों की संख्या के लिए शास्ति (पेनल्टी), टैरिफ के डेढ़ गुना के बराबर होगी।

(च) गैर-निष्पादन के लिए शास्ति आरएफएस में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी। विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसी) (अंतःक्षेपण, हस्तक्षेप और खरीददार एसएलडीसी/ आरएलडीसी सहित) पर शेड्युलिंग और उसकी पंचिंग की जिम्मेवारी केवल उत्पादक की होगी।

(छ) **विचलन समाधान तंत्र (डीएसएम):** समय अनुसूची से विचलन के लिए, मौजूदा विनियमों के अनुसार, डीएसएम (विचलन समाधान तंत्र) लागू होगा। उत्पादक पर डीएसएम प्रभारों का समाधान आरई विद्युत उत्पादक द्वारा किया जाएगा।

7.3 भुगतान सुरक्षा

पर्याप्त भुगतान सुरक्षा का प्रावधान, विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामला) नियमावली, 2022 के अनुसार इसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों सहित, किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ खरीददार भुगतान सुरक्षा निधि की देखभाल करेगा। विकासकर्ता को, निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु, प्रति यूनिट 2 पैसे की दर से पीएसएम प्रभारों का भुगतान करने का, वचन देना होगा।

7.4 अप्रत्याशित घटना

7.4.1 पीपीए में, 'अप्रत्याशित घटना' की परिभाषा, अपवाद, प्रयोज्यता और उद्योग मानकों के अनुसार अप्रत्याशित घटना के कारण, उपलब्ध राहत के संबंध में प्रावधान शामिल रहेंगे। उत्पादक खरीददार को अप्रत्याशित घटना शुरु होने के 15 दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना घटित होने के बारे में सूचित करेगा और खरीददार सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके दावे पर निर्णय लेगा।

7.5 ऑफटेक बाध्यताओं के लिए उत्पादन मुआवजाः खरीददार, समय-समय पर यथासंशोधित, विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत के उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 के अनुसरण में, पारेषण अवसंरचना/ग्रिड की अनुपलब्धता के कारण अथवा बैकडाउन की स्थिति में, विद्युत को शिड्युल नहीं करने के लिए बाध्य हो सकता है।

7.5.1 ग्रिड अनुपलब्धता के कारण ऑफटेक बाध्यताओं के लिए उत्पादन मुआवजाः संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधियां हो सकती हैं जब संयंत्र विद्युत का उत्पादन तो कर सकता है, परंतु अस्थायी पारेषण अनुपलब्धता के कारण विद्युत की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके लिए उत्पादक जिम्मेवार नहीं होता। ऐसे मामलों में, खरीददार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन मुआवजे का निपटान किया जाएगाः

ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि	उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान
एक वर्ष के दौरान 175 घण्टों से अधिक की ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा = ***((टैरिफ X प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिड्यूल नहीं)) x 1000 x ग्रिड अनुपलब्धता के घण्टे*** तथापि, पावर एक्सचेंज में तीसरे पक्ष की बिक्री अथवा बिक्री के मामले में, कीमत लेने वाले के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों में कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।

7.5.2 घटे हुए ऑफटेक के मामले में भुगतानः उत्पादक और खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में जारी विनिर्देशों के अंतर्गत पूर्वानुमान और शिड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। यदि संयंत्र विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध है परंतु खरीददार द्वारा विद्युत मंत्रालय की दिनांक 3 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा

अधिसूचित "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022" और इससे संबंधित किसी स्पष्टीकरण या संशोधन, की अनुपालना न होने के कारण विद्युत की आपूर्ति न होने सहित विद्युत ऑफटेक नहीं किया जाता है, तो आरई विद्युत के लिए 'मस्ट रन' स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक खरीददार से भुगतान के लिए निम्नलिखित तरीके से घटे हुए ऑफटेक के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:

घटा हुआ ऑफटेक	उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान
एक वर्ष के दौरान 175 घण्टों से अधिक की ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	**उत्पादन मुआवजा =** ***(टैरिफ X आरई विद्युत (मेगावाट), खरीददार द्वारा प्रस्तावित परंतु शिड्यूल नहीं की गई) x 1000 x घटे हुए ऑफटेक के घंटों की संख्या*** तथापि, पावर एक्सचेंज में तीसरे पक्ष की बिक्री अथवा बिक्री के मामले में, कीमत लेने वाले के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों में कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।

7.5.3 मुआवजे का दावा करने के लिए, उत्पादक को एक प्राइस टेकर के रुप में, पावर एक्सचेंज में अपनी विद्युत बेचनी होगी। इस प्रकार, मुआवजा, घोषित क्षमता तक, वास्तविक उत्पादन के अन्तर तक सीमित होगा, जो अधिकतम संविदा की गई क्षमता और खरीददार द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा।

7.6 चूक की स्थिति (इवेंट ऑफ डिफॉल्ट)

(क) एससीएसडी से छह माह से अधिक विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत करने में विलंब के लिए, उत्पादक को चूक की घटना हुई माना जाएगा और परिणाम खंड 14.3 के अनुसार होंगे।

(ख) यदि उत्पादक आरएफएस में निर्दिष्ट अवधि के लिए निरंतर न्यूनतम उपलब्धता बनाए रखने में विफल रहता है, तो यह उत्पादक की चूक होगी और पीपीए को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त, उत्पादक निर्धारित उपलब्धता के साथ अपनी संविदात्मक क्षमता के लिए टैरिफ के 24 (चौबीस) माह के समतुल्य अथवा शेष पीपीए अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य हर्जाना, खरीदार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) यदि उत्पादक पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों का निर्वहन करता है अथवा परित्याग करता है अथवा पीपीए का परित्याग करता है, अथवा पीपीए में यथा निर्धारित किसी प्रकार के अन्य कृत्य अथवा चूक करता है तथा पीपीए में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपचार अवधि के भीतर उपरोक्त किसी भी प्रकार का हल निकालने में असफल होता है, तो उत्पादक, खरीददार को, उसकी निर्धारित उपलब्धता के साथ संविदा की गई क्षमता के लिए टैरिफ की क्षति, 24 (चौबीस) माह के समतुल्य, अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, का भुगतान करेगा। खरीददार को अधिकार होगा कि वह किसी भी अन्य कानूनी प्रक्रिया या उपचार के उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गारंटी, यदि कोई हो, जब्त करके उक्त राशियों की वसूली करे।

(घ) उपरोक्त अनुसार क्षतियों की वसूली के साथ-साथ, उत्पादक की चूक की स्थिति में, ऋणदाता, पीपीए में विनिर्दिष्ट प्रतिस्थापन उपबंधों तथा खरीददारों की सहमति के अनुसार प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने का पात्र होगा। तथापि, यदि ऋणदाता विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, चूककर्ता उत्पादक के प्रतिस्थापन में असफल होते हैं, तो खरीददार पीपीए को रद्द कर सकता है।

(ङ) यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार, अन्य बातों के साथ-साथ, आरएफएस अथवा पीपीए के समापन के अनुसरण में, देय राशियों के समय पर भुगतान में विफलता सहित अन्य कारणों से चूककर्ता है, तो उत्पादक अपने विवेकानुसार पीपीए को समाप्त कर सकता है। चूककर्ता खरीददार उत्पादक को, 24 (चौबीस) माह अथवा शेष पीपीए अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य हर्जाना उसकी संविदा की गई क्षमता के लिए निर्धारित उपलब्धता के साथ शुल्क का भुगतान करेगा।

7.7 विधि/विनियम में परिवर्तन

विधि में परिवर्तन संबंधी प्रावधान विद्युत मंत्रालय की दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021 के अनुसार होंगे जिसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरण भी शामिल होंगे।

8. बोली प्रक्रिया

8.1 खरीददार/मध्यस्थ खरीददार एकल चरण, दो भाग (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) को अपनाते हुए बोलियां आमंत्रित करेगा, बोली प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई-बोली) के माध्यम से संचालित की जाएगी। तकनीकी बोली पहले खोली जाएगी। वित्तीय बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं की खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्ह पाए जाएंगे। सफल ट्रैक रिकॉर्ड तथा पर्याप्त सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषताओं वाले ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

8.2 खरीददार उत्पादकों को, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, थर्मल विद्युत से परिपूरित आरई विद्युत संयंत्रों की संस्थापना तथा ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित आरई विद्युत की आपूर्ति हेतु आरएफएस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

8.3 विकासकर्ता, जिन्होंने पहले ही क्षमता संस्थापित कर ली है अथवा जिनके पास अतिरिक्त अबद्ध क्षमता है, वे भी इस बोली में भाग ले सकते हैं।

8.4 खरीददार द्वारा, आरएफएस तथा मसौदा पीपीए सहित बोली दस्तावेज को, इन दिशानिर्देशों तथा एसबीडी के अनुरूप, तैयार किया जाएगा।

8.5 खरीददार इसके व्यापक प्रचार के लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तथा अपनी वेबसाइट में आरएफएस नोटिस प्रकाशित करेगा।

8.6 खरीददार प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस का अवसर प्रदान करेगा तथा किसी भी बोलादाता के लिए निविदा दस्तावेजों की लिखित व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिसे सभी अन्य बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सम्बद्ध पार्टियां पूरी तरह लिखित पत्राचार पर ही भरोसा करेंगी। बोली दस्तावेजों से संबंधित किसी प्रकार का स्पष्टीकरण या संशोधन को पर्याप्त जानकारी हेतु खरीददार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों के संबंध में किसी भी तरह के संशोधन का या सुधार किए जाने पर बोलीदाताओं को बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए तब से कम से कम 7 (दिनों) का समय दिया जाएगा।

9. चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज

आरएफएस दस्तावेज में खरीददार द्वारा किए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे और उनमें उपयुक्त रूप से विस्तार किया जा सकता है:

9.1 बोली उत्तरदायित्वता

बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह उत्तरदायी हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो।

(क) बोलीदाता या उसका कोई भी सहयोगी किसी भी ऋणदाता का जान-बूझकर चूककर्ता न रहा हो।

(ख) किसी भी कंसोर्टियम सदस्य और उसके किसी भी सहयोगी सहित किसी भी बोलीदाता तथा उसके किसी भी सहयोगी, उनके निदेशकों को, भारत में किसी भी सरकारी एजेंसी अथवा प्राधिकरणों द्वारा, बोलीदाता अथवा सदस्यों के अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा, जहां लागू हों अथवा उनके व्यवसाय के मूल स्थान के अधिकार क्षेत्र में, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि विश्व बैंक समूह, एशियन डेवलेपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलेपमेंट बैंक, इंटर-अमेरीकन डेवलेपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक आदि या संयुक्त राष्ट्र या इसका कोई भी एजेंसियों को वर्जित अथवा ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

9.2 बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक योग्यता

9.2.1 तकनीकी मानदंड:

सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खरीददार बोलीदाताओं के पिछले अनुभव आदि जैसे तकनीकी मानदंड का उल्लेख कर सकता है। ऐसे परियोजना विकासकर्ताओं, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय किए जाने चाहिएं ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।

9.2.2 वित्तीय मानदंड

(क) निवल मूल्य

i). खरीददार आवश्यक योग्यता के भाग के रूप में निवल मूल्य में वित्तीय मानदंड का उल्लेख करेगा। यह विचार करते हुए कि विकासकर्ता स्थिर और प्रेषणयोग्य विद्युत की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है, अतः निवल मूल्य की आवश्यकता अनुमानित "आरई परियोजना" लागत का कम से कम 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड होना चाहिए।

ii). उपरोक्त प्रयोजन के लिए विचार किए जाने वाला निवल मूल्य बोलीदाता कंपनी या संघ (कंसोर्टियम) का संचयी निवल मूल्य होगा, जिसमें बोलीदाता (ओं) की ऐसी सहायक कंपनियों का निवल मूल्य शामिल होगा ताकि आरएफएस दस्तावेज के अनुसार, बोलीदाता (ओं) के ऐसा करने में विफल होने पर अपेक्षित इक्विटी वित्तपोषण और कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियां दी जा सकें।

iii). यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के लिए विचार किए जाने वाले निवल मूल्य की गणना कंपनी अधिनियम के अनुसार की जाएगी।

(ख) लिक्विडिटी

यह आवश्यक है कि बोलीदाता के पास परियोजना के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त नकदी (नकद प्रवाह)/आंतरिक प्राप्तियां है। तदनुसार, खरीददार वार्षिक टर्नओवर, आंतरिक संसाधन जुटाने, बोली लगाने की क्षमता इत्यादि जैसे उपयुक्त मापदंडों का भी उल्लेख कर सकता है।

9.3 बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा

खरीददार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी/भुगतान वचन पत्र/कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा, जो आरई परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत के 2 प्रतिशत के कम नहीं होगा अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड होगा। निर्धारित समय अवधि के भीतर पीपीए का निष्पादन करने में उत्पादक की विफलता के कारण, इन दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित, ईएमडी की जब्ती या डिबारिंग (निषेध) आदि की जाएगी।

9.4 विदेशी बोलीदाताओं द्वारा एफडीआई कानूनों का अनुपालन

यदि किसी विदेशी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो वह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन करेगी।

10. बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय सारणी

10.1 बोली प्रक्रिया में आरएफएस दस्तावेजों को जारी करने और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच 22 (बाइस) दिनों की न्यूनतम अवधि दी जाएगी। बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारिणी नीचे दी गई है:-

बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारणी		
क्र.सं.	**कार्य वृतांत**	**शून्य तिथि से व्यतीत समय**
1	दस्तावेज चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) जारी करने, परियोजना विशिष्ट मसौदा विद्युत खरीद करार व अन्य मसौदा करार परियोजना और विद्युत बिक्री करार (पीएसए), यदि लागू हो, की तारीख	शून्य तारीख
2	बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, स्थल सहित परियोजना के सभी विशिष्ट विवरण	**

	साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटा** कक्ष खोलना, यदि खरीददार द्वारा उल्लेख किया गया हो, और आरएफएस में संशोधन करना।	
3	आरएफएस बोली प्रस्तुत करना	22 दिन
4	तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन	64 दिन
5	वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन और ई-रिवर्स नीलामी करना	99 दिन
6	आशय पत्र [लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए)] जारी करना	110 दिन
7	पीपीए और पीएसए पर हस्ताक्षर (यदि लागू हो)	140 दिन

***आरएफएस दस्तावेज में किसी बदलाव के मामले में, खरीददार इन दिशानिर्देशों के खंड 8.5 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय देगा।*

नोटः यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि खरीददार बोली प्रक्रिया में किसी भी कार्य के लिए अधिक समय लगाता है, तो उस कार्य से पहले पूरे होने वाली आवश्यक गतिविधियां रोकने में विलंब के कारण या किसी अन्य कारण से इस तरह के विस्तार को किसी भी तरह से इन दिशानिर्देशों से अलग नहीं माना जाएगा।

10.2 सामान्य परिस्थितियों में, बोली प्रक्रिया 110 (एक सौ दस) दिनों की अवधि में पूरी हो जानी चाहिए।

11. संविदा अवार्ड करना और समाप्त करना

11.1 पीपीए पर सफल बोलीदाता/परियोजना कंपनी या सफल बोलीदाता द्वारा स्थापित एसपीवी के हस्ताक्षर होंगे।

11.2 आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए खरीददार एक समिति का गठन करेगा। बोली प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति, गंभीरतापूर्वक गुणदोष की दृष्टि से बोलियों का मूल्यांकन करेगी और उपयुक्त रूप से यह प्रमाणित करेगी कि बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन आरएफएस के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं। मूल्यांकन प्राधिकारी को स्वयं यह संतुष्टि होनी चाहिए कि चयनित प्रस्ताव युक्तिसंगत तथा आवश्यकता के अनुरूप है। यदि अंकित दरें मौजूदा बाजार की कीमतों के अनुसार नहीं हैं, तो मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य की बोलियां रद्द करने का अधिकार होगा।

11.3 पारदर्शिता के प्रयोजन से, खरीददार, पीपीए के निष्पादन के बाद, सार्वजनिक रूप से सफल बोलीदाता (ओं) के नामों और घटकों के ब्यौरे, यदि कोई हों, के साथ उनके द्वारा अंकित टैरिफ का खुलासा करेगा। यह सार्वजनिक खुलासा कम-से-कम 30 दिनों के लिए खरीददार की वेबसाइट पर डालकर किया जाएगा।

11.4 अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीददार, इन दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में ई-रिवर्स नीलामी या अन्य के माध्यम से टैरिफ की प्रस्तुति के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, प्रस्तुत टैरिफ लागू करने के लिए समुचित आयोग से संपर्क करेगा।

11.5 यदि वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीददार जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, टैरिफ लागू करने के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क करता है, तो इस प्रकार के अनुरोध के साठ दिनों के भीतर या विद्युत विक्री करार (पीएसए) की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर जो भी अधिक हो, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इसे लागू करने/अनुमोदित करने में इस प्रकार के अनुरोध के (60 (साठ) से अधिक दिनों के विलंब अथवा विद्युत विक्री करार (पीएसए) 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक के विलम्ब, जो भी अधिक हो, के अनुसार उत्पादक को चालू करने के एससीएसडी में उचित विस्तार करेगा।

12. बैंक गारंटी/कॉर्पोरेट गारंटी/ भुगतान आदेश पत्र /वचन पत्र

खरीददार को, उत्पादक को आरएफएस की शर्तों में भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बैंक गारंटी/कॉर्पोरेट गारंटी/वचन पत्र देना होगा।

12.1 **खंड 9.3 के अनुसार बयाना जमा राशि (ईएमडी),** आरएफएस की प्रतिक्रिया सहित निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

क) बैंक गारंटी (गारंटियां);

या

ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)/आरईसी लि. (आरईसी) से, आरएफएस के संदर्भ में, आरई विद्युत उत्पादक के चूक करने की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र।

"भुगतान आदेश पत्र" *का तात्पर्य भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान] से निविदा शर्तों/विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक से हुई चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए, वचन पत्र से है। इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाव किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के भुगतान आदेश पत्र में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा रखी गई बैंक गारंटी की समान नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का वादा किया जाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को विधिवत् प्रतिभूति प्रदान करके उत्पादक ऐसे पत्र (पत्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और आरईसी को छोड़कर किसी भी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बैंक से उपरोक्त या कोई अन्य "वचन पत्र" दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।*

12.2 **निष्पादन गारंटी (पीबीजी)** खरीददार द्वारा निर्धारित की जाएगी, लेकिन यह ऐसे वित्तीय वर्ष जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, अनुमानित आरई परियोजना लागत का 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) से कम नहीं होना चाहिए अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड के अनुसार होनी चाहिए जिसे पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाना है:

(क). बैंक गारंटी (गारंटियां);

या

(ख). भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) में, विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में आरई विद्युत उत्पादकों की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र";

12.3 अन्य सुधारों के साथ-साथ, यह पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदत्त कोई विकल्प) पीपीए के संदर्भ में उत्पादक की किन्हीं क्षतियों/देय राशियों की वसूली के लिए भुनाई जा सकती है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पीपीए के अंतर्गत उत्पादक की चूक होने पर पीबीजी को भुनाकर मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्राप्त की गई क्षतियों/देय राशियों को इन दिशानिर्देशों के खंड 7.3 के अंतर्गत मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्रबंध किए जाने वाले भुगतान सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा। पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध विकल्प) परियोजना के एससीएसडी के 45 दिनों के अंदर उत्पादक को वापस कर दिए जाएंगे। विद्युत की आपूर्ति के आंशिक रूप से चालू करने के मामले में, ऐसी आंशिक क्षमता के अनुसार पीबीजी 45 दिनों के अंदर वापस की जाएगी।

12.4 खरीददार "निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)" के रूप में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों को अवमुक्त कर सकता है, यदि उत्पादक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए इसके स्थान पर भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र देने में सक्षम हो। उत्पादक कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पहले से रखी उनकी बैंक गारंटियों को बदलवाने के लिए उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को समुचित प्रतिभूति प्रदान करके ऐसे पत्र की मांग कर सकता है।

13. प्रमोटर द्वारा शेयरधारिता

13.1 सफल बोलीदाता, यदि वह एकल कंपनी है तो, यह सुनिश्चित करेगा कि एसपीवी/पीपीए निष्पादित करने वाली परियोजना कंपनी में उसकी हिस्सेदारी, खरीददार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष से पूर्व किसी भी समय, 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीदाता एक संघ है, तो खरीददार की पूर्व सहमति के अलावा एसपीवी/पीपीए का निष्पादन करने वाली कंपनी में समूह के सदस्यों की

संयुक्त हिस्सेदारी एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष पूर्व किसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। इसके अलावा, सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रमोटर खरीददार की पूर्व अनुमति के अलावा एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष तक बोली लगाने वाली कंपनी/समूह का नियंत्रण[2] नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मामले में यह भी आवश्यक होगा कि सफल बोलीदाता खरीददार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपने प्रमोटरों तथा उनकी शेयरधारिता के बारे में जानकारी प्रदान करे।

13.2 एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष की समाप्ति के बाद शेयरधारिता में किसी प्रकार के बदलाव को खरीददार को सूचना देकर किया जा सकता है।

13.3 यदि उत्पादक ऋणदाता (ओं) के समक्ष चूक करे, तो ऋणदाता खरीददारों की सहमति से "प्रमोटर का प्रतिस्थापन" करने के हकदार होंगे।

[[2]अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' का तात्पर्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक वोटिंग शेयरों का स्वामित्व या अधिकतर निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।]

14. विद्युत की आपूर्ति का आरंभ

14.1 आरई परियोजना और खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के बीच विद्युत क्रय करार स्पष्ट रूप से एससीएसडी और आपूर्ति की मात्रा को दर्शाएगा।

14.2. आपूर्ति समय की शुरुआतः

(क). परियोजनाएं सामान्यतः विद्युत की आपूर्ति निम्नानुसार अवधि में शुरु की जाएंगी:-

i. 1000 मेगावाट से कम आकार की परियोजना के लिए, विद्युत क्रय करार के निष्पादन की तिथि से 24 (चौबीस) माह;

ii. 1000 मेगावाट से बड़ी आकार की परियोजना के लिए, विद्युत क्रय करार निष्पादन की तिथि से 30 (तीस) माह;

(ख). तथापि, यदि किसी भी कारणवश, एससीएसडी अवधि को इन दिशानिर्देशों में की गई व्यवस्था से कम अथवा उच्चतर रखने की आवश्यकता है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है।

(ग). यह मान लिया गया है कि इन दिशानिर्देशों के खंड 11.5 के संदर्भ में, उपयुक्त आयोग द्वारा ऐसी प्रस्तुति के 60 दिनों या विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 दिनों, जो भी अधिक हो, के भीतर टैरिफ को अपनाया जाएगा। तथापि, इन दिशानिर्देशों में निहित किसी बात के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने में कोई देरी, जो प्रस्तुति के 60 दिन से ज्यादा या पीएसए के 120 दिन से ज्यादा, जो भी अधिक हो, के कारण एससीएसडी में तदनुसार विस्तार किया जाएगा।

14.3. विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंबः

एससीएसडी के बाद, विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंब की स्थिति में उत्पादक पर शास्तियां लगाई जाएंगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

(क) एससीएसडी से 6 (छह) माह तक विद्युत की आपूर्ति शुरू करने, प्रतिदिन आधार पर और संविदा की गई क्षमता के अनुपात में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), या वैकल्पिक साधनों के नकदीकरण में विलंब होने पर

(ख) एससीएसडी से छह माह के बाद से विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में विलंब के लिए, निम्नलिखित लागू होगाः

(i) संविदा की गई क्षमता उस परियोजना क्षमता तक घटाई जाएगी जिसने एससीएसडी +6 (छह) माह की अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति शुरू कर दी है। शेष संविदा की गई क्षमता के लिए पीपीए, जिसने विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है, समाप्त हो जाएगा।

(ii) आरई विद्युत उत्पादक को किसी भी खरीददार अथवा किसी मध्यस्थ खरीददार द्वारा जारी बोलियों में भाग लेने से निम्नलिखित अवधि के लिए वंचित किया जाएगा:

(क) प्रथम चूक के मामले में एक वर्ष के लिए

(ख) द्वितीय तथा तदंतर चूक के लिए 2 वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम के लिए

14.4 विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआत

परियोजना की विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआत, खरीददार द्वारा, इस शर्त के अध्यधीन स्वीकार की जाएगी कि पहले और बाद के हिस्से की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होगी (अंतिम भाग शेष संविदा की गई क्षमता के साथ), बिना उस हिस्से पर पीपीए के संदर्भ में जुर्माना लगाने का पूर्वाग्रह जिसने अभी तक विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है। तथापि, विद्युत की आपूर्ति आंशिक रूप से शुरू होने के कारण एससीएसडी में परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत की आंशिक या पूर्ण आपूर्ति की तारीखों के बावजूद, पीपीए, बोली में निर्दिष्ट अवधि के लिए, लागू रहेगा।

14.5 पीपीए के बाहर एकल घटक से विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआत

कई परियोजना घटकों के मामले में और यदि एक या अधिक ऐसे घटक (पवन, सौर या अन्य आरई विद्युत उत्पादन करने वाली प्रणाली) ग्रिड में विद्युत अंतःक्षेपण के तैयार हैं, लेकिन शेष घटक विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में असमर्थ हैं, तो उत्पादक को ऐसे घटक से विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी गई है जो पीपीए के कार्यक्षेत्र से बाहर तैयार है, जिसमें अंतिम खरीददार को उस विद्युत के लिए मनाही करने का पहला अधिकार होगा। अंतिम खरीददार द्वारा उस विद्युत की मनाही के बाद, मध्यस्थ खरीददार के पास मनाही का अधिकार होगा। यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार पीपीए से बाहर इस प्रकार के अलग घटक (घटकों) को खरीदने का निर्णय लेते हैं, तो इस प्रकार की विद्युत लागू संविदा वर्ष के लिए पीपीए के 50% तक के टैरिफ पर खरीदी जाएगी अथवा इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

15. पारेषण कनेक्टिविटी

15.1 जीएनए विनियम के अंतर्गत आईएसटीएस नेटवर्क में पारेषण कनेक्टिविटी प्राप्त करने की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी और यह उत्पादक की लागत पर होगा।

15.2 मीटरिंग संबंधी बिंदु, वे बिंदु होते हैं जिन पर खरीददार को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा को मापा जाएगा, वे सीटीयू/एसटीयू सब-स्टेशन के कम वोल्टेज निरूपित करेंगे। आरई पार्कों के मामले में, मीटरिंग संबंधी बिंदु आईएसटीएस पूलिंग स्टेशन हैं, जिसके साथ सभी पूलिंग सब-स्टेशनों से आंतरिक पारेषण को जोड़ा जाता है। व्हीलिंग प्रभारों और परियोजना तथा मीटरिंग संबंधी बिंदु के बीच की क्षतियों सहित सभी खर्च का भुगतान उत्पादकों द्वारा खरीददार से किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के बगैर किया जाएगा। मीटरिंग संबंधी बिंदु से आगे पारेषण और वितरण के संबंध में व्हीलिंग प्रभारों और क्षतियों सहित सभी खर्च का वहन आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियम के अनुसार खरीददार द्वारा किया जाएगा।

16. तकनीकी विशिष्टताएं

परियोजनाओं से आपूर्ति के समय पर आरंभ करने और प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए खरीददार वाणिज्यिक रूप से सुस्थापित और प्रचालनात्मक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगा। चयन की जाने वाली सौर पीवी/पवन/हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लिए, विस्तृत तकनीकी मापदंड, एमएनआरई द्वारा, समय-समय पर, निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

17. दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रक्रियाओं में मानकीकरण एवं एकरूपता लाना है ताकि खरीदारी में सत्यता और पारदर्शिता हो। इस तरह, इन दिशानिर्देशों का बोली प्रक्रिया में सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है और विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ ग्रिड-संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत परियोजनाओं से स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की खरीद के लिए, किसी भी बोली को, इन दिशानिर्देशों के विपरीत, जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि खरीददार के लिए इन दिशानिर्देशों से/या एसबीडी से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रक्रिया की शुरुआत होने से पूर्व ही उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन होगा। उपयुक्त आयोग, ऐसी याचिका दायर करने के 60(साठ) दिनों के यथोचित समय के भीतर बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा या उनमें संशोधन की जरूरत बताएगा।

18. विवाद समाधान

इस स्थिति में, यदि सीईआरसी उपयुक्त आयोग है, तो टैरिफ में बदलाव का दावा करने या कोई टैरिफ निर्धारित करने या किसी टैरिफ संबंधी मामले या ऐसे मामले, जिनसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से टैरिफ में बदलाव हो सकते हैं, के संबंध में विवाद होने पर सीईआरसी द्वारा फैसला किया जाएगा। अन्य सभी विवादों का समाधान

सरकार द्वारा स्थापित विवाद निवारण समिति द्वारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर भारतीय मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अंतर्गत किया जाएगा। यदि एसईआरसी/जेईआरसी उपयुक्त आयोग हो, तो सभी विवादों पर एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा निर्णय किया जाएगा अथवा एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

19. दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण और संशोधन

यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को लागू करने में या दिशानिर्देशों की व्याख्या में या दिशानिर्देशों के संशोधन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के अनुमोदन से विद्युत मंत्रालय ऐसा करने के लिए सशक्त है। इस संबंध में निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20. नवीकरणीय/भंडारण क्रय बाध्यता (आरपीओ)

इस स्कीम के अंतर्गत खरीदे गए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण [आरई स्रोतों के साथ चार्ज की गई ऊर्जा भंडारण प्रणाली ईएसएस) सहित] आरपीओ अनुपालना के पात्र होंगे। यदि आरई विद्युत में पवन, हाइड्रो और अन्य आरपीओ घटक हैं, तो हाईब्रिड संयंत्रों के मामले में अपनाए गए सिद्धांत के अनुसार पवन, हाइड्रो और अन्य आरपीओ के बीच विभाजन होगा। परियोजना में उपयोग की गई ईएसएस क्षमता का उपयोग भारत सरकार के आदेशों अथवा अधिसूचनाओं के अनुसार भंडारण विद्युत दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

21. आईएसटीएस शुल्क और हानियां

विद्युत के पारेषण के संबंध में आईएसटीएस शुल्क और हानियां, जिसमें आरई विद्युत के लिए छूट सम्मिलित है, मौजूदा वर्तमान नियमों और विनियमनों के अनुसार होंगी।

हेमन्त कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 9th June, 2023

Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Firm and Dispatchable Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects with Energy Storage Systems

No. 23/03/2023-R&R

1. INTRODUCTION

1.1. Background

1.1.1. In order to facilitate development of grid connected solar power, the first phase of National Solar Mission provided for a scheme of “bundling” wherein, the then relatively expensive solar power was bundled with cheaper thermal power from the unallocated quota of the Government of India (Ministry of Power), generated by NTPC coal-based stations.

1.1.2. With the intervention of Government of India, the risks associated with solar and wind power sector have been brought down through measures as advance arrangement of land and evacuation through solar parks, green energy corridors, a secure and standardized Power Purchase Agreement (PPA) for 25 years with elaborate mechanism for risk apportionment and compensations, payment security, etc.

1.1.3. Such de-risking of renewable energy (RE) sector, coupled with advancement of technologies and economies of scale has resulted in bringing down the tariffs in solar and wind power sector thereby aiding in rapid deployment of solar and wind capacity in the country.

1.1.4. However, the intermittent and variable nature of renewable energy and low-capacity utilization of the transmission system needs to be addressed. The problem will get pronounced with the addition of large-scale renewable capacity. In order to manage the infirm nature of power, electricity distribution companies (DISCOMs) are procuring balancing power to provide grid stability and meeting their requirements during hours /periods of non-availability of renewable energy (RE).

1.1.5. The developments in renewable energy sector, an increased demand for ‘green power’ and a vision for realising ‘true’ energy independence for the country, present a case for supply of round-the-

clock/demand based renewable power to the distribution companies(DISCOMs). Such power shall have elements of 'firmness' as well as 'dispatchability'. The objective is to cater to the off-taker's requirements based on demand completely from RE sources.

1.1.6. Section 61 & 62 of the Electricity Act, 2003, provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. Further, section 63 of the Act states that –

A.1 "Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government."

1.1.7. Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 ('Act').Power purchase costs constitute the largest cost element for distribution licensees. Competitive procurement of electricity by the distribution licensees is expected to reduce the overall cost of procurement of power and facilitate development of power markets. Internationally, competition in wholesale electricity markets has led to reduction in prices of electricity and in significant benefits for consumers.

1.1.8. These Guidelines are being issued under section 63 of the Act to enable procurement of Firm and Dispatchable RE power by DISCOMs from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects, with Energy Storage through tariff based competitive bidding. Firm and Dispatchable RE power means supply of electricity as per the demand profile specified in the RfS/ bidding documents.

1.2. Objectives

1.2.1. The specific objectives of these Guidelines are as follows:

(a). To provide firm and dispatchable power to the DISCOMs from renewable energy sources;

(b). To facilitate renewable capacity addition and fulfilment of Renewable Purchase Obligation (RPO)/ Storage Power obligations (SPO)requirement of DISCOMs;

(c). To provide a transparent, fair, standardized procurement framework based on open competitive bidding with appropriate risk-sharing between various stakeholders to enable procurement of power at competitive prices in consumer interest, improve bankability of projects and ensure reasonable returns to the investors; and

(d). To provide for a framework for the inter-state/ intra-state, long-term, sale-purchase of power as a further measure to derisk the sector.

2. SCOPE OF THE GUIDELINES

2.1. Applicability of Guidelines

These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of firm and dispatchable power by the 'Procurers', from Renewable (RE) Power Projects ('**RE Projects**'), through competitive bidding.

2.2. Explanations

(a). 'Solar': The term 'Solar'**,** wherever used in these Guidelines, shall refer to Solar Photovoltaic (PV) technology or the power plant based on such technology.

(b). 'Renewable (RE) Power': The term 'RE Power', or 'Renewable Power', or 'Renewable Energy Power'**,** wherever used in these Guidelines, shall refer to power from Solar Power Generating Systems, Wind Power Generating Systems, Wind Solar hybrid; or any other renewable energy resource based Generating System or a combination thereof, with Energy Storage System (ESS). It is clarified that ESS charged using a source other than RE power would not qualify as RE power.

(c). 'Firm and Dispatchable RE Power': The term 'firm and dispatchable power' denotes, the power profile configuration that is defined in the RfS that is sought to be met by RE power sources and will include configurations like assured peak power, Round the Clock RE with firm delivery of power at rated capacity at any hour of the day as per demand or load following power delivery as specified by DISCOM, RE projects with firm delivery of power for fixed hours of requirement by DISCOMs etc.

(d). RE Power Generator' (RE-PG)

(i). The term RE Power Generator'(RE-PG) or Generator', wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of firm and Dispatchable RE Power with energy storage system, which include RTC RE power Projects capable of supplying energy round the clock as per

demand profile, RE projects with Peak power, fixed hour-based procurement, seasonal procurement etc., along with other profile characteristics as specified in the RfS.

(ii). The bidder/developer shall be responsible for providing renewable energy resource based generating system(s) including solar, wind or any other renewable resource as defined by MNRE for supply of RE Power combined with storage. For this, the bidder/developer shall have either set up storage capacity itself; or tie up with energy storage system developers to meet the project parameters for 'firmness and dispatchability', and submit a single bid for the same, in a particular tender.

(iii). Irrespective of the contractual arrangement between the RE Power Generator and Energy Storage system Developer, if any, all the developer related liabilities, under these Guidelines and the PPA there under, shall be of the entity signing the PPA, and recognised as RE Power Generator' (RE-PG).

(e). **'RE Park':** The term 'RE Park', wherever used in these Guidelines, shall refer to areas or parks developed, in accordance with the Guidelines issued by Central or State Governments, for setting-up of renewable energy power projects, including Solar-Wind Hybrid Power projects.

(f). '**Procurer**': The term 'Procurer', as the context may require, shall mean the distribution licensees, or the Authorized Representative(s), or an Intermediary Procurer.

(g). '**Authorised Representative' of the Procurer:** In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing agency and the agency carrying out the tendering / bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall deemed to be the Authorized Representative of the 'Procurer' and shall, on behalf of the Procurer, be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the 'Procurer' during the bidding phase, in accordance with these Guidelines.

(h). **'Intermediary Procurer' & 'End Procurer'**

(i). In some cases, an intermediary, as designated by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, or a State Government, may be tasked to aggregate the power purchased from different RE Power developers and sell it to the distribution licensee(s)/consuming entities/open access consumers., In such cases, the distribution licensees/consuming entities/open access consumers shall be the "End Procurer" and the intermediary shall be "Intermediary Procurer" for the purpose of these Guidelines.

(ii). The Intermediary Procurer shall enter into a Power Purchase Agreement (PPA) with the RE Power developer and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back-to-back basis. Trading margin, of Rs. 0.07/kWh shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer.

(iii). As long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of power.

(i). **Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD)**: Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD) in relation to the contracted capacity shall mean the date corresponding to the date of commencement of supply as indicated in the RfS (Request for Selection).

2.3. Unless explicitly specified in these Guidelines, the provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer/ Intermediary Procurer/ End Procurer and the Authorised Representative of the Procurer and the same needs to be strictly followed for such bidding to be eligible under section 63 of the Electricity Act. However, in case it becomes imperative to deviate from the provisions of these Guidelines, the process to be adopted is specified in Clause 17 of these Guidelines.

2.4. Principles outlined in these Guidelines may be suitably expanded and made exhaustive in the Standard Bidding Documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement].

3. PREPARATION FOR INVITING BID AND PROJECT PREPAREDNESS

3.1. Conditions to be met by the Procurer

The Procurer shall meet the following conditions:

3.1.1. Bid Documentation

(a). Prepare the bid documents in accordance with these Guidelines.

(b). Seek approval of the Government for deviations, if any, in the draft RfS draft PPA, draft PSA (if

applicable) from these Guidelines and/ or SBDs, in accordance with the process described in Clause 17 of these Guidelines.

However, for purpose of clarity, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines even though such details are not provided in the Guidelines.

3.2. Arrangements related to Commencement of Supply

The RfS may specify additional milestones for the project with respect to land acquisition, connectivity etc. as well as regular reporting requirements by the Generator and shall specify penalties with respect to non-compliance with such milestones/requirements. Obtaining all clearances, permits, licenses including arrangement of land and connectivity to the Grid and access (if applicable) prior to scheduled date of commencement of supply of power shall be the responsibility of the Generator and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining such clearances, permits, licenses etc.

4. ENERGY MIX

4.1. The Generator shall supply firm and dispatchable RE power, with the prescribed availability against the demand profile as specified in the RfS. Peak hours will be as declared by the DISCOM and specified as such in the RfS. Penalty for not meeting the stipulated availability shall be equal to one and a half times the tariff for the number of units not supplied.

4.2. The Generator has to offer power such that 100% of the annual energy offered corresponds to RE Power. The Generator can, however, source up to 5% RE power (on energy terms) on annual basis from the green market sources/bi lateral agreements towards meeting the supply conditions stipulated in the RfS.

4.3. The developer shall combine the RE generating system with energy storage for ensuring that it achieves the required availability against the demand profile as specified in the RfS and any other performance criteria stipulated in the RfS, provided power from RE sources were used to store energy in the storage system.

5. TARIFF

5.1. A single tariff for supply of firm and dispatchable RE power shall be quoted by the bidders (the "**Tariff**").

5.2. The Tariff shall be quoted at the Delivery Point which shall be at the CTU interconnection point. All charges and losses till the delivery point shall be borne by the Generator.

6. BID STRUCTURE

6.1. **Bids in Power Terms:** The Procurer shall invite the bids in Power Capacity (MW) terms, specifying the total quantum to be contracted by the procurer. Procurer may specify minimum off-take in terms of annual energy in the RfS.

6.2. A bidder can quote for a part of the total quantum to be procured by the procurer. The minimum quantum of power that can be offered by the bidder should be 50MW in order to have economies of scale. Notwithstanding this, on due consideration of availability of land and transmission facility, smaller minimum quantum of power that can be offered by a bidder can be kept in case of North-Eastern States, Special Category States and Projects outside RE Parks and STU Connected Projects, but this should be clearly provided for beforehand in the RfS.

6.3. A maximum of 50 percent of bid capacity can be allocated to a single bidder in a tender.

6.4. **Tariff as the Bidding Parameter:** The bidding evaluation parameter shall be the tariff per unit supply of firm and dispatchable RE power, fixed for the entire term of the PPA. The Procurer shall invite bids wherein the bidder shall quote the Tariff in Rs./kWh. The bidder shall be selected on the basis of least quoted Tariff. Subsequent to the e-reverse auction, the bidder (called the L1 bidder) quoting the least Tariff (called the L1 tariff) shall be allocated the quantum of power offered by him. The capacity allocation shall be on the basis of Bucket filling i.e. capacity quoted by L1 bidder at L1 rates shall be allocated first, then the capacity quoted by the next lowest bidder (called the L2 bidder) at the rates quoted by him (called the L2 rates) may be allocated and so on.

However, the allocation will only be made to the bidders whose bid falls within a pre-defined "Range" from the L1 tariff, as stipulated in the RfS. Thus, after arranging the bidders in the ascending order of tariff, the Project capacities will be awarded only to those bidders whose final price bids are within a range of "L1+x%", in terms of INR/kWh; while the value of "x" generally be two(2) to five (5) and shall be fixed in the RfS.

6.5. Bid submission and evaluation:

(a). Formation of consortium by the bidders shall be permitted, in which case the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bidding process. The Procurer may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium.

(b). The Procurer shall constitute a committee for evaluation of the bids (Evaluation Committee), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters / bid evaluation.

(c). The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. The bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an Earnest Money Deposit (EMD) along with the bids.

(d). The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS document shall be considered for further evaluation on the price bids.

(e). To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders should be two. If the number of qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.

(f). The price bid shall be rejected, if it contains any deviation from the tender conditions. No clarifications shall normally be requested from bidders at price bid stage.

(g). The detailed procedure for evaluation of the bid and selection of the bidder shall be provided for in the RfS document.

7. POWER PURCHASE AGREEMENT

The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of this PPA shall include *inter alia* the following. These provisions may be supplemented and unless otherwise specified herein, shall be provided for, on a back-to-back basis in the PSA:

7.1. PPA Period: The PPA period shall generally be for a period of 20 (twenty) years from the Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD) or from the rescheduled date of commencement of supply to the extent of extension given by the Procurer on the grounds which are beyond control of the Generator. The PPA may, however, also be fixed for a longer period such as 25 (twenty-five) years. The duration of the PPA must be mentioned upfront in the RfS document. The developers shall be free to operate their plants after the expiry of the PPA period. The developer may upgrade and repower their plants during the PPA period at its own risk and cost; and participate in subsequent bids to the extent of their untied capacity.

7.2. Power Procurement

(a). The procurement shall be in power (MW) terms. The Generator has to ensure supply against the specified conditions like RTC/ Load profile/ number of hours as specified in the RfS, monthly or during peak/night hours as per the conditions specified at Clause 4.1. Number of peak hours will be clearly specified beforehand in the RfS Documents by the Procurer.

(b). It is to be noted that the summation of generation schedule of RE Power by the Procurer from multiple sources and/or locations cannot be more than the Contracted Capacity specified in the RfS or PPA, taking into account the applicable losses. The Generator may, however, apply for connectivity and access (if applicable), in accordance with extant Regulations., .

(c). In order to allow optimization of operation of RE, the Generator is allowed to supply power from the RE power plant in excess of contracted capacity, to any third party or power exchange without requiring any No-Objection Certificate (NOC) from the Procurer. The Generator may also sell the power which was offered on day ahead basis to the Procurer (within Contracted Capacity) but not scheduled by the Procurer, to any third party or in power exchange without requiring NOC from the Procurer.

(d). Developers who have already commissioned RE plants/storage plants or in process of constructing such plants and have untied capacity may also participate in the bid. In such case, they may be given the benefit of a longer period of PPA, commensurate to the duration between the actual date of commencement of supply of power and SCSD.

(e). In case of shortfall in the project availability as defined in the RfS, for reasons attributable to RE Power Generator, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, penalty for such shortfall in availability. Penalty for not meeting the stipulated availability shall be equal to one and a half times the tariff for the

number of units not supplied.

(f). The penalty for non-performance shall be as specified in the RfS. The scheduling and its punching thereof at different Regional Load Despatch Centres (RLDCs) / State Load Despatch Centres (SLDCs) (including the injecting, intervening and buyer SLDCs/ RLDCs) shall be the responsibility of Generator only.

(g). **Deviation Settlement Mechanism (DSM):** For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. The DSM charges at the generator end shall be settled by the RE Power Generator.

7.3. Payment Security

Adequate payment security shall be provided as per Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 including amendments and clarification, if any, thereof, issued from time to time. In addition, the Intermediary Procurer may maintain a payment security fund. To be eligible for coverage from the fund, the developer will undertake to pay PSM charges at the rate of 2 paise per unit.

7.4. Force Majeure

7.4.1. The PPA shall contain provisions with regard to Force Majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of force majeure as per the Industry Standards. The Generator shall intimate the procurer about the occurrence of force majeure within 15(fifteen)days of the start of the force majeure and the procurer shall respond on his claim within 15days of the receipt of the intimation.

7.5. Generation Compensation for off take Constraints: The Procurer may be constrained not to schedule power on account of unavailability of the Transmission Infrastructure / Grid or in the eventuality of a Back down in accordance with the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021, as amended from time to time.

7.5.1. Generation Compensation in off take constraints due to Grid Unavailability: During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the Generator. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner:

Duration of Grid unavailability	**Provision for Generation Compensation**
Grid unavailability beyond 175 hours in a year, as defined in the PPA	Generation Compensation = ***((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer)) X 1000X No. of hours of grid unavailability*** However, in case of third party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realised , after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.

7.5.2. Payment in case of reduced offtake: The Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. In case the plant is available to supply power but the offtake of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with "Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 notified by the Ministry of Power vide Gazette notification dated 3rd June 2022" and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of 'must run' status for RE Power, the Generator shall be eligible for payment from the Procurer, corresponding to the reduced off take, in terms of following manner:

Reduced offtake	**Provision for Generation Compensation**
Grid unavailability beyond 175 hours in a year, as defined in the PPA	Generation Compensation = ***((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer)) X 1000 X No. of hours of Reduced Offtake*** However, in case of third party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realised , after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis..

7.5.3. For claiming compensation, the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer.

7.6. Event of default

(a). For Delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the generator event of default shall be construed to have occurred and consequences shall be in accordance with Clause 14.3.

(b). In the event the Generator fails to maintain a minimum availability continuously for a period specified in the RfS, the Generator shall be in default and the PPA shall be liable to be terminated. Further, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated availability.

(c). In the event that the Generator assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Generator shall pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated availability. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.

(d). In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution provisions provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA.

(e). If the Procurer/Intermediary procurer is in default on account of reasons including inter alia failure in timely payment of the dues, in accordance with the RfS or repudiation of the PPA, the Generator may terminate the PPA and at its discretion. The defaulting Procurer shall pay to the Generator, damages, equivalent to 24 (twenty four) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity with the stipulated availability.

7.7. CHANGE IN LAW/ REGULATION

The provisions for Change in Law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Ministry of Power vide notification dated 22nd October 2021 including amendments and clarification thereof issued from time to time.

8. BIDDING PROCESS

8.1. The Procurer/intermediate procurer shall call for the bids adopting a single stage, two part (Technical Bid & Financial Bid), bidding process to be conducted through electronic mode (e-bidding). The technical bid shall be opened first. The financial bids of only those bidders who qualify in the technical bid shall be opened. E-procurement platforms with a successful track record and with adequate safety, security and confidentiality features will be used.

8.2. The Procurer shall invite the Generators to participate in the RfS for installation of RE Power Plants and supply of RE Power with Energy Storage System, in terms of these Guidelines.

8.3. Developers who have already set up capacity or who have spare untied capacity may also participate in the bid.

8.4. The bidding documents including the RfS and the draft PPA shall be prepared by the Procurer in consonance with these Guidelines and the SBDs, if any.

8.5. The Procurer shall publish the RfS notice in at least two national newspapers and its own website to accord wide publicity.

8.6. The Procurer shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders and shall provide written interpretation of the tender documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the website of the Procurer for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 (days) therefrom, for submission of bids.

9. REQUEST FOR SELECTION (RFS) DOCUMENT

The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfS document shall include the following and may be suitably expanded:

9.1. Bid Responsiveness

The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including *inter-alia*

(a). Bidder or any of its Affiliates is not a wilful defaulter to any lender.

(b). The Bidder & any of its Affiliate including any Consortium Member & any of its Affiliate, their directors should not have been barred or included in the blacklist by any government agency or authority in India, the government of the jurisdiction of the Bidder or Members where they are incorporated or the jurisdiction of their principal place of business, any international financial institution such as the World Bank Group, Asian Development Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank etc or the United Nations or any of its agencies.

9.2. Qualification requirements to be met by the bidders

9.2.1. Technical Criteria

The Government would like to encourage competition by way increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Criteria. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved.

9.2.2. Financial Criteria

(a). Net worth

(i). The Procurer shall specify financial criteria in the form of net worth as a part of the qualification requirement. Considering that the developer is responsible for supply of Firm and Dispatchable Power, the net-worth requirement should be at least 20% (twenty per cent) of the estimated 'RE Project' cost or any other criteria specified in the RfS.

(ii). The net worth to be considered for the above purpose will be the cumulative net-worth of the bidding company or consortium together with the net-worth of those Affiliates of the bidder(s) that undertake to contribute the required equity funding and performance bank guarantees in case the bidder(s) fail to do so in accordance with the RfS document.

(iii). It is clarified that the net-worth to be considered for this clause will be the total net-worth as calculated in accordance with the Companies Act.

(b). Liquidity

It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals to manage the fund requirements for the Project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bidding capacity, etc.

9.3. Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD)

Procurer shall specify the Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD),which shall not be less than two percent of the estimated capital cost of the 'RE Project' or any other criteria specified in the RfS, in the form of a bank guarantee/ letter of undertaking to pay/ corporate guarantee, to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or debarring etc., as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the Generator to execute the PPA within the stipulated time period.

9.4. Compliance of FDI Laws by foreign bidders

In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India.

10. INDICATIVE TIMETABLE FOR BID PROCESS

10.1. In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty-two) days shall be allowed between the issuance of RfS document and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated below:

Indicative Timetable for Bid Process

Sl. No.	**Event**	**Elapsed Time from Zero date**
1.	Date of issue of Request for Selection (RfS) document, Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the Power Sale Agreement (PSA), if applicable.	Zero date

2.	Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS document	**
3.	RfS Bid submission	22days
4.	Evaluation of technical bids	64 days
5.	Evaluation of financial bids and conduction of e-Reverse Auction	99 days
6.	Issuance of Letter of Award (LoA)	110 days
7.	Signing of PPA & PSA (if applicable)	140 days

** *In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with Clause 8.5 of these Guidelines.*

Note: *It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, or any other reason, such extension of time shall not in any way be construed as deviation from these Guidelines.*

10.2. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 110 (one hundred ten) days.

11. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION

11.1. The PPA shall be signed with the successful bidder/ project company or an SPV formed by the successful bidder.

11.2. The procurer shall constitute a committee for evaluation of the RfS bids. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS document. The evaluation authority should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the requirement. The evaluation committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned to the prevailing market prices.

11.3. For the purpose of transparency, the Procurer shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days.

11.4. Subject to provisions of the Act, the distribution licensee or the Intermediary Procurer, as the case may be, shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs discovered, in terms of Section 63 of the Act, within 15 (fifteen) days of the discovery of the tariffs through e-reverse auction or otherwise, in the transparent competitive bidding process conducted in accordance with these Guidelines.

11.5. Subsequent to the distribution licensee or Intermediary Procurer, as the case may be, approaching the Appropriate Commission for adoption of tariffs under Section 63 of the Act, in case, the Appropriate Commission does not decide upon the same within sixty days of such submission or within 120 (one hundred and twenty) days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more, the Procurer(s) shall grant appropriate extension of time in SCSD to the generators, corresponding to the delay [beyond 60 (sixty) days of submission or 120 (one hundred and twenty) days of PSA whichever is more] in adoption/ approval by the Appropriate Commission, till the date of adoption/ approval by the Appropriate Commission.

12. BANK GUARANTEES/ CORPORATE GUARANTEES/ PAYMENT ON ORDER INSTRUMENTS/ LETTERS OF UNDERTAKING

The Generator shall provide the following bank guarantees/ corporate guarantees/ letters of undertaking to pay to the Procurer in terms of the RfS

12.1. **Earnest Money Deposit (EMD) as per Clause 9.3** to be submitted along with response to RfS, in the form of:

(a). Bank Guarantee(s);

OR

(b). "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case of default of the RE Power Generator in terms of RfS , from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC).

"Payment on Order instrument" means Letter *of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC.*

12.2. **Performance Guarantee (PBG),** to be fixed by the Procurer, but not to be less than 5% (five percent), of the estimated RE Project cost, for the financial year in which the bids are invited, or any other criteria specified in the RfS, to be submitted at the time of signing of the PPA, in the form of:

(a). Bank Guarantee(s);

OR

(b). "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking to pay in case of default of RE Power Generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA), from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC) and REC Limited (REC);

12.3. In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under Clause 7.3 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the SCSD of the project. In case of part commencement of supply of power, PBG corresponding to such part capacity, should be released within 45 days.

12.4. Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a generator as 'Performance Bank Guarantee (PBG)', if the generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking to pay in case situation of default of generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC).Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three nonbanking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the implementing agencies.

13. SHAREHOLDING BY THE PROMOTER

13.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 1 (one) year from the SCSD except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) years from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. Further, the successful bidder shall ensure that its promoters shall not cede control[2] of the bidding company/ consortium till 1 (one) years from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.

13.2. Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) years from the SCSD can be undertaken under intimation to Procurer.

13.3. In the event the Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake "Substitution of Promoter" in concurrence with the Procurers.

[[2]The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.]

14. COMMENCEMENT OF SUPPLY OF POWER

14.1. The Power Purchase Agreement between the RE Project and Procurer/Intermediate procurer shall clearly indicate the SCSD and quantum of supply.

14.2. Commencement of Supply Schedule

(a). The projects shall generally commence supply of power, within a period of :

(i). 24 (twenty-four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size not more than 1,000 MW;

(ii). 30 (thirty) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 1,000 MW.

(b). However, if for some reason, the SCSD period needs to be kept shorter or longer than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

(c). It is presumed that in terms of Clause 11.5 of these Guidelines, the tariff will be adopted by the Appropriate Commission within 60 days of such submission or within 120 days from the date of Power Sale Agreement (PSA), whichever is more. However, notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 days of submission or 120 days of PSA whichever is more, shall entail a corresponding extension in SCSD.

14.3. Delay in Commencement of Supply of Power

Delay in commencement of supply of power, beyond the SCSD shall involve penalties on the Generator, as detailed below:

(a). For Delay in commencement of supply of power up to 6 (six) months from SCSD, encashment of Performance Bank Guarantee (PBG), or alternate instruments, on per day basis and proportionate to the contracted capacity that has not commenced supply of power.

(b). For Delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the following shall be applicable:-

(i). The contracted capacity shall stand reduced to the project capacity that has commenced supply of power within the period of SCSD plus 6 (six) months. The PPA for the balance contracted capacity that has not commenced supply of power shall stand terminated.

(ii). The RE Power Generator shall be debarred from participating in bids issued by any procurer or any intermediary procurer for the following period:

a. For one year in case of first default

b. For not less than 2 years and not more than 3 years for second and any subsequent defaults.

14.4. Part Commencement of Supply of Power

Part Commencement of Supply of Power of the Project shall be accepted by the Procurer subject to the condition that the Minimum Capacity for acceptance of first and subsequent part(s) shall be 50 MW (with the last part being the balance Contracted Capacity), without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which has not yet commenced supply of power. However, the SCSD will not get altered due to part-commencement of supply of power. Irrespective of dates of part or full commencement of supply of power, the PPA will remain in force for the period specified in the bid.

14.5. Early Commencement of Supply of Power from single component outside PPA

In case of multiple project components and if one or more such component (wind, solar or other RE Power generating system) is ready for injection of power into the grid, but the remaining component is unable to commence supply of power, the Generator will be allowed to commence supply of power from such component which is ready outside the ambit of PPA, with first right of refusal for such power being vested with the End Procurer. Subsequent to refusal of such power by the End Procurer, the right of refusal shall vest with the Intermediary Procurer. In case the Procurer/Intermediary Procurer decides to buy such discrete component(s) power outside the PPA, such power shall be purchased at upto 50% of the PPA Tariff for the applicable Contract Year or specific provisions in this regard will be stipulated in the tender documents.

15. TRANSMISSION CONNECTIVITY

15.1. The responsibility of getting Transmission Connectivity to ISTS network under GNA regulation will lie with the Generator and shall be at the cost of Generator.

15.2. The Metering Points, which are the points at which energy supplied to the Procurer shall be measured, shall be the low voltage side of the CTU/STU substation. In case of RE parks, the metering point is the ISTS pooling station with which the internal transmission from all the pooling substations is connected. All expenses including wheeling charges and losses between the Project and the Metering Point shall be paid by

the Generators without any reimbursement by the Procurer. All expenses including wheeling charges and losses in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by the Procurers as per the regulation notified by the Commission from time to time.

16. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Procurers shall promote commercially established and operational technologies to minimize the technology risk and to achieve the timely commencement of supply from the Projects. The detailed technical parameters, for Solar PV/Wind/Hybrid Power Projects to be selected, shall be as specified by MNRE from time to time.

17. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES

The objective of these Guidelines is to bring standardization & uniformity in processes so that there is fairness & transparency in procurement. As such, these Guidelines need to be strictly followed in the bidding process and no bid, under section 63 of the Electricity Act, for procurement of Firm and Dispatchable RE power from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects, with Energy Storage System shall be issued in contravention to these Guidelines. However, in case it becomes imperative for the Procurer to deviate from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Commission before the initiation of bidding process itself. The Appropriate Commission shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days of filing such petition.

18. DISPUTE RESOLUTION

In the event, CERC is the Appropriate Commission, any dispute that arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by the Dispute Resolution Committee set up by the Government, failing which by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC/JERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC/JERC or shall be referred for arbitration by the SERC/JERC.

19. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of Power is empowered to do the same, with the approval of Minister, New & Renewable Energy. The decision in this regard shall be binding on all the parties concerned.

20. RENEWABLE/STORAGE PURCHASE OBLIGATION (RPO)

The renewable energy component [including Energy Storage System (ESS) component charged with RE sources] bought under this Scheme shall be eligible for RPO compliance. If RE power has wind, hydro or other RPO component, the apportionment of RPO between wind, hydro or other RPO shall be on the lines of principle adopted in case of hybrid plants. The ESS capacity used in the project can be used for fulfilling the Storage Power Obligations as per the GoI orders or notifications.

21. ISTS CHARGES AND LOSSES

ISTS charges and losses on transmission of power, including waiver for RE power, shall be as per extant rules and regulations.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.